न्याय के लिए बजट

11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

India Justice Report | 2025

न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

नवंबर 2025 में 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' द्वारा प्रकाशित

'न्याय के लिए बजट' में 1 करोड़ से अधिक आबादी और उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले शीर्ष 11 राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए बजटीय आवंटन और ख़र्चों का अध्ययन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेज़ों का उपयोग करते हुए, यह आवंटन और उपयोग के स्तर और न्याय व्यवस्था के मुख्य स्तंभों- पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क़ानूनी सहायता को मिले बजट का विश्लेषण करता है। हर स्तंभ में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए IJR की वेबसाइट देखें:

https://indiajusticereport.org

रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ने और वेब इंटरैक्टिव देखने के लिए यह कोड स्कैन करें।

रिपोर्ट डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिव्स (www.howindialives.com)

हिंदी अनुवाद: मनीष झा

संपादन: भारत सिंह, IJR

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग, फ़र्स्ट और अपर ग्राउंड फ़्लोर, कोटला मुबारकपुर, साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

© इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025

यह रिपोर्ट सूचना के अधिकार के आवेदन के जवाबों से मिले आंकड़ों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदर्भ सुझाव: 'न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025)'

न्याय के लिए बजट

11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

India Justice Report | 2025

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न राज्यों की औपचारिक न्याय व्यवस्था की क्षमता को रैंक करने वाला गणनात्मक सूचकांक है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से किया गया एक साझा प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई और दो साल में आने वाली IJR हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाती है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, क़ानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार और विविधता जैसे मात्रात्मक मापदंडों पर किया जाता है।

शोधकर्ता और लेखक

डॉ. अर्शी शौकत (डेटा विश्लेषक, IJR)
सौम्या श्रीवास्तव (शोधकर्ता, IJR)
वलय सिंह (प्रमुख, IJR)

समीक्षक

पूजा पार्वती (स्वतंत्र सलाहकार)
माया दारूवाला (मुख्य संपादक, IJR)

शोध सहायक

भारत सिंह (संचार सलाहकार, IJR)
लखविंदर कौर (डेटा विश्लेषक, IJR)
प्रज्ञान शर्मा (इंटर्न, BITS लॉ स्कूल, मुंबई)
नैन्सी बोंगशी (इंटर्न, BITS लॉ स्कूल, मुंबई)
निदा परवीन (शोधकर्ता, IJR)
वृंदा नायर (इंटर्न, BITS लॉ स्कूल, मुंबई)

संचालन समिति

डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, संस्थापक, विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी
गगन सेठी, सह-संस्थापक, सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस
लिया वर्गीज़, रिसर्च मैनेजर, दक्ष
माया दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
वलय सिंह, लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
वेंकटेश नायक, निदेशक, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इंडिया
प्रोफ़ेसर विजय राघवन, TISS-प्रयास
डॉ. विपुल मुद्गल, निदेशक, कॉमन कॉज़

डिज़ाइन

हाउ इंडिया लिव्स

साझेदारों के बारे में

- **सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस (सामाजिक न्याय केंद्र/ CSJ)** संगठन हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों के न्याय तक पहुंचने के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। फ्रेरे की विचारधारा से प्रेरित CSJ, भारत के आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय है, जहां उसने मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए हैं और ज़मीनी स्तर पर क़ानून का रणनीति के रूप में उपयोग करते हुए काम किया है। CSJ की मुख्य कोशिशें क़ानूनी सुधार और अनुसंधान में संस्थागत बदलाव लाना है। ये हस्तक्षेप महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक रूप से कमज़ोर समूहों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर क़ानून और नीति निर्माण को ज़मीनी कार्यकर्ताओं के आंदोलन के साथ व्यापक रूप से जोड़ते हैं।

- **कॉमन कॉज़** सार्वजनिक मुद्दों की वकालत, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संस्थाओं की अखंडता के लिए अभियानरत है। यह लोकतांत्रिक तरीक़ों और प्रचार के ज़रिए लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीतियों में सुधारों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कॉमन कॉज़ ख़ासतौर पर उन बदलावों के लिए जाना जाता है जो वह जनहित याचिकाओं (PILs) के माध्यम से लाने में सफल रहा है, जैसे कि पूरे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का रद्द होना; मनमाने तरीके से आवंटित कोयला खदानों का रद्द होना और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार' को मान्यता देना। कॉमन कॉज़ और CSDS-लोकनीति 2018 से पुलिस की जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग पर 'स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट्स' (SPIRs) प्रकाशित करते हैं।

- **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI)** एक स्वतंत्र, ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रमंडल देशों में शोध, रणनीतिक प्रचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानवाधिकारों की व्यावहारिक प्राप्ति के लिए कार्य करता है। CHRI विशेष रूप से न्याय तक पहुंच (पुलिस और जेल सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्र में काम करता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया अधिकारों और दासता के समकालीन रूपों को समाप्त करने के लिए भी कार्य करता है। CHRI कॉमनवेल्थ द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है और इसे UN ECOSOC (संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल) से विशेष परामर्शदाता का दर्जा प्राप्त है।

- **DAKSH** बेंगलुरु स्थित एक थिंक-टैंक है जो मज़बूत, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक संस्थाओं की दिशा में कार्य करके कानून के शासन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

- **TISS–प्रयास** की 1990 में स्थापना की गई। यह 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के 'सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी' की एक सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। 'प्रयास' का मुख्य ध्यान सेवा प्रदान करने, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों और समूहों के लिए सुधार और पुनर्वास से संबंधित नीतिगत बदलाव लाने पर है। इसका मिशन सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों, समुदायों और समूहों को मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली की नीति और प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी और समझ देना है, क्योंकि इन लोगों/समूहों के आपराधिक वारदातों, यौन शोषण या मानव तस्करी का शिकार होने का ज़्यादा ख़तरा होता है।

- **विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी** एक स्वतंत्र थिंक-टैंक है जो क़ानूनों को बेहतर बनाने और सार्वजनिक हित के लिए शासन सुधारने के उद्देश्य से क़ानूनी शोध करता है। यह उच्च गुणवत्तापूर्ण और मौलिक क़ानूनी शोध के ज़रिए यह कार्य करता है। साथ ही, भारत सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ मिलकर नीति-निर्माण के बारे में सूचित करने और नीतियों के प्रभावी ढंग से क़ानून बनने में सहायता करता है; महत्वपूर्ण क़ानून और नीति संबंधी मुद्दों पर न्यायालयों में अपील और रणनीतिक मुक़दमेबाजी करता है। इसके स्थायी मूल्य प्रभाव, उत्कृष्टता और स्वतंत्रता हैं।

आभार

उच्च GDP वाले 11 राज्यों के न्यायिक बजट पर यह प्रारंभिक अध्ययन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

इस अध्ययन की परिकल्पना इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की मुख्य संपादक सुश्री माया दारूवाला ने की थी; उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इसकी संकल्पना और क्रियान्वयन के लिए आवश्यक थी।

IJR अपनी संचालन समिति के सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों से अध्ययन के दायरे को काफ़ी समृद्ध किया।

हम श्री अजय नाथ, IAS (सेवानिवृत्त), के आभारी हैं, जिन्होंने बजट प्रक्रिया की गहरी जानकारी और बारीकियां उदारतापूर्वक हमारे साथ साझा कीं। हम श्री सुनील चौहान को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने न्यायपालिका में बजट के विशिष्ट पहलुओं पर हमारा मार्गदर्शन किया। उनके योगदान ने प्रमुख अवधारणात्मक और व्यावहारिक कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हम प्रोफेसर डॉ. अमिताभ कुंडू को कार्यप्रणाली के अमूल्य मार्गदर्शन और सुश्री पूजा पार्वती को उनके निरंतर परामर्श और सहयोग के लिए भी धन्यवाद देते हैं।

हम 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ पॉलिसी स्टडीज़ एंड एडवोकेसी' (IPSA) का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमसे अपनी बजट विश्लेषण की विशेषज्ञता साझा की, जो हमारे अध्ययन के ढांचे को मजबूत करने में सहायक बनी।

वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. अर्शी शौकत ने बजट डेटा संकलित करने और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए अथक परिश्रम किया। सौम्या श्रीवास्तव ने काम के सभी पहलुओं में कुशलतापूर्वक सहायता की। इनके बिना यह रिपोर्ट हक़ीक़त नहीं बन पाती। लखविंदर कौर, निदा परवीन, भारत सिंह, सरब लांबा और नयनिका सिंघल हमेशा सहायता के लिए उपलब्ध रहे।

वलय सिंह
लीड, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

संक्षिप्ताक्षर

ACJM	एडिशनल चीफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट
ADR	वैकल्पिक विवाद समाधान
AE	वास्तविक व्यय
AG	एडवोकेट जनरल/महाधिवक्ता
BE	बजट अनुमान
BPR&D	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
CAG	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
CCPWC	महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध रोकथाम
CCR	केस निपटान दर/केस क्लियरेंस रेट
CCTNS	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम्स
CCTV	सीसीटीवी/क्लोज्ड सर्किट टीवी
CFI	भारत की समेकित निधि
CJM	चीफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
DAR	ज़िला सशस्त्र रिज़र्व
DLSA	ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण
DIPTI	भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की निर्देशिका
DISHA	न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना
DMFU	ज़िला मोबाइल फ़ॉरेंसिक यूनिट्स
DoJ	न्याय विभाग
DoPO	पुलिस संगठनों के आंकड़े
FSL	फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
FTSC	फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
FY	वित्तीय वर्ष
GDP	सकल घरेलू उत्पाद
GSDP	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
HRA	मकान किराया भत्ता
IG	महानिरीक्षक
LADC	क़ानूनी सहायता रक्षा परामार्श प्रणाली
MHA	गृह मंत्रालय
MPF	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना
NALSA	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
NCRB	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
NFIES	राष्ट्रीय फ़ॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना
NJDG	राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड
PLV	पैरालीगल वॉलनटियर
POCSO	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
RE	संशोधित अनुमान
RFSL	क्षेत्रीय फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
SDRF	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल
SFSL	राज्य फ़ॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
SHRC	राज्य मानवाधिकार आयोग
SLSA	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
UT	केंद्र शासित प्रदेश
VC	वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग

विषय सूची

रिपोर्ट के बारे में, कॉपीराइट और उद्धरण 2

शीर्षक पृष्ठ 3

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और लेखकों के बारे में 4

साझेदारों के बारे में 5

आभार 6

संक्षिप्ताक्षर 7

अध्याय-1: परिचय 11

1.1 कार्यप्रणाली 13

1.2 बजट आंकड़ों का अध्ययन 13

1.3 ग्यारह सबसे अमीर राज्य न्याय के लिए बजट कैसे आवंटित करते हैं? 16

अध्याय-2: पुलिस 17

प्रमुख निष्कर्ष 18

2.1 पुलिस के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण 19

पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च 19

2.2 पुलिस के लिए बजट: प्रमुख क्षेत्र 20

क. प्रशिक्षण 20

पुलिस बजट में प्रशिक्षण संबंधी बजट की हिस्सेदारी 21

पुलिस प्रशिक्षण बजट: कटौती के कारण 22

ख. पुलिस आधुनिकीकरण 23

ग. पुलिस के लिए आवास निर्माण 24

घ. महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध रोकथाम 25

ङ. सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट 27

अध्याय-3: न्यायपालिका 29

प्रमुख निष्कर्ष 30

3.1 न्यायपालिका के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण 31

न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च 32

3.2 न्यायपालिका के लिए बजट: प्रमुख क्षेत्र 33

क. उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय 33

ख. न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण बजट 35

न्यायपालिका बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी 36

ग. फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 37

घ. तकनीक, बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण 38

ङ. महाधिवक्ता कार्यालय 40

अध्याय-4: अभियोजन 41

प्रमुख निष्कर्ष 42

4.1 अभियोजन के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण 43

अध्याय-5: जेल 45

प्रमुख निष्कर्ष 46

5.1 जेल बजट: संक्षिप्त विवरण 47

प्रति क़ैदी दैनिक ख़र्च 48

5.2 जेल बजट: प्रमुख क्षेत्र 49

क. केंद्रीय और ज़िला जेल 49

ख. जेल का बुनियादी ढांचा 51

ग. प्रशिक्षण 51

जेल बजट में प्रशिक्षण संबंधी बजट का हिस्सा 51

घ. जेलों का आधुनिकीकरण 52

ङ. जेल कर्मचारियों के लिए आवास 54

अध्याय-6: क़ानूनी सहायता 57

प्रमुख निष्कर्ष 58

6.1 क़ानूनी सहायता के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण 59

6.2 क़ानूनी सहायता के लिए बजट: प्रमुख क्षेत्र 60

क. पीड़ितों को मुआवज़ा 60

ख. वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ADR)/मध्यस्थता केंद्र 62

अध्याय-7: फ़ॉरेंसिक 65

प्रमुख निष्कर्ष: 66

7.1 फ़ॉरेंसिक के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण 67

अमीर राज्य फ़ॉरेंसिक के लिए बजट कैसे आवंटित करते हैं? 68

अध्याय-8: राज्य मानवाधिकार आयोग 71

प्रमुख निष्कर्ष 72

मानवाधिकारों पर प्रति व्यक्ति ख़र्च 73

अध्याय-9: उपलब्ध आंकड़े: महत्वपूर्ण निष्कर्ष 74

अनुलग्नक 77

शब्दावली 103

सूत्र 104

संदर्भ 106

चित्रों की सूची 108

अध्याय-1

परिचय

न्याय प्रदान करने वाली संस्थाओं: पुलिस, न्यायपालिका, जेल, क़ानूनी सहायता और अन्य सहायक निकायों को भारत में आमतौर पर कम वित्तीय आवंटन मिलता है, जबकि ये क़ानून के शासन को बनाए रखने और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की बुनियाद हैं। यह उपेक्षा साफ़ तौर पर सामने आती है क्योंकि न्याय प्रणाली को राज्य के बजट का लगभग 5% हिस्सा मिलता है, जिसमें अधिकांश भार राज्यों को उठाना पड़ता है। न्याय प्रणाली के भीतर, क़ानूनी सहायता के लिए सबसे कम वित्तीय प्रावधान किया जाता है, जिसका आवंटन कुल बजट के 1 प्रतिशत से भी कम होता है।

संस्थागत बजट का एक बड़ा हिस्सा (85% से 90%) वेतन संबंधी ख़र्च में आवंटित हो जाता है, जिससे बुनियादी ढांचे, तकनीक या दीर्घकालिक क्षमता के विकास में निवेश की सीमित गुंजाइश बचती है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में सार्वजनिक व्यय कम होने से सीमित संसाधनों के लिए खींच-तान ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे न्याय प्रणाली के लिए उपलब्ध राजकोषीय वित्त और भी कम हो गया है।[1]

यहां तक कि आवंटित की गई सीमित धनराशि का भी अक्सर पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। कड़ी शर्तों वाली केंद्रीय योजनाओं में कर्मचारियों पर ख़र्च संबंधी पाबंदियां (जैसे, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण), राज्यों का लागत साझा करने संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम होना और कर्मचारियों की कमी के कारण होने वाली प्रशासनिक देरी से बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

इस पृष्ठभूमि में, 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के प्रारंभिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वाले 11 राज्यों में न्याय प्रणाली के लिए बजटीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया गया। अध्ययन राज्यों के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेज़ों[2] पर आधारित है, जिसमें गृह (जिसके तहत पुलिस, जेल, फ़ॉरेंसिक और अभियोजन आते हैं) और क़ानून और न्याय (जिसके तहत न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता और महाधिवक्ता कार्यालय आते हैं) विभागों को प्राप्त आवंटन और उनके द्वारा किए गए ख़र्च की समीक्षा की गई है।

चित्र 1.1: बड़े राज्यों की GDP और आबादी (2023-24*)

GDP के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में राज्य

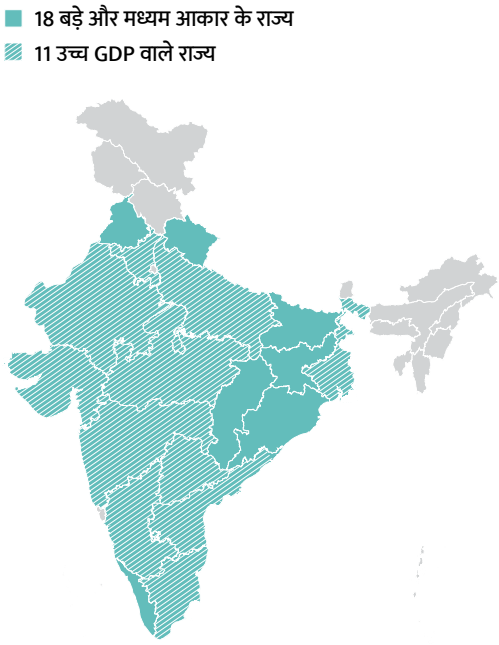

	GDP (लाख करोड़ रुपए में)	आबादी[3] (करोड़ में)
महाराष्ट्र	24.11	12.63
तमिलनाडु	15.71	7.68
गुजरात	14.66	7.15
कर्नाटक	14.23	6.76
उत्तर प्रदेश	14.23	23.56
पश्चिम बंगाल	9.04	9.9
राजस्थान	8.45	8.1
आंध्र प्रदेश	8.21	5.31
तेलंगाना	7.93	3.8
मध्य प्रदेश	6.6	8.65
केरल	6.35	3.57
हरियाणा	6.34	3.02
ओडिशा	5.21	4.42
पंजाब	4.96	3.07
बिहार	4.65	12.67
छत्तीसगढ	3.22	3.01
झारखंड	2.85	3.94
उत्तराखंड	2.13	1.16

* 2022-23 के लिए उपयोगिता की गणना RE 2023-24 / AE 2023-24 के आधार पर की गई है।

1 सुब्रत दास और असदुल्लाह, फ़िस्कल इनजस्टिस, (IJR 2019): https://indiajusticereport.org/files/IJR_2019_Full_Report154ef5.pdf (पृष्ठ:105-110)
2 2022-23 के लिए उपयोगिता की गणना RE 2023-24/AE 2023-24 के आधार पर की गई है।
3 जनसंख्या स्रोत: मार्च 2023 तक के लिए जनसंख्या अनुमान। भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036 https://www.india.gov.in/population-projections-india-and-states-2011-2036?page=3

आवंटन[4] और उपयोग[5] के तरीक़ों का विश्लेषण कर यह प्रारंभिक अध्ययन न्याय के लिए बजट की संरचना, प्राथमिकता और व्यय के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विशेष रूप से पुलिस आधुनिकीकरण, न्यायिक बुनियादी ढांचे और क़ानूनी सहायता तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है।

1.1 कार्यप्रणाली

अध्ययन में इन 11 राज्यों के वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 से संबंधित बजट दस्तावेज़ों का उपयोग किया गया है: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ग्यारह उच्च GDP वाले राज्यों में से एक केरल को इस पायलट स्टडी में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि आंकड़े जुटाते समय इसके बजट दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे।

राज्यों के चयन मानदंड

इन 18 राज्यों में से, हमने GDP के आधार पर शीर्ष 11 राज्यों को शामिल करने का फ़ैसला किया। ये राज्य एक करोड़ या उससे अधिक की आबादी की न्यूनतम सीमा को भी पूरा करते हैं। इन 11 राज्यों में देश की 65% से अधिक आबादी रहती है और न्याय क्षेत्र का 50% से अधिक कार्यभार और कार्यबल - दोनों इन्हीं से संबंधित है। इन 11 राज्यों से जुड़े कुछ अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

क. इनमें देश के कुल पुलिसबल का 60% से अधिक हिस्सा है,
ख. सभी हाई कोर्ट्स के 72% से अधिक और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के 78% पद इन राज्यों में हैं, और
ग. दिसंबर 2022 तक भारतीय जेलों में बंद 5,73,220 क़ैदियों में से 60% से अधिक क़ैदी इन शीर्ष ग्यारह GDP वाले राज्यों की जेलों में हैं।

नमूने को अंतिम रूप देने से पहले, 26 राज्यों के वित्तीय वर्ष 2023 के बजट का व्यापक विश्लेषण किया गया। नोडल विभागों के बजट दस्तावेज़ों से विभिन्न मदों से जुड़े बजट विवरण निकाले गए, और उन्हें IJR के फ़्रेमवर्क के अनुसार पुलिस, जेल, न्यायपालिका, क़ानूनी सहायता, फ़ॉरेंसिक, अभियोजन निदेशालय और राज्य मानवाधिकार आयोगों के आधार पर वर्गीकृत किया गया।

चित्र 1.2: न्याय व्यवस्था: उप-प्रणालियां और उनके संबंधित विभाग

उप-प्रणाली	विभाग
पुलिस	गृह विभाग
न्यायपालिका	न्यायिक प्रशासन
जेल	गृह विभाग
क़ानूनी सहायता	न्यायिक प्रशासन
फ़ॉरेंसिक	पुलिस विभाग
SHRC	गृह विभाग या न्यायिक प्रशासन

आंकड़ों का स्रोत

यह अध्ययन वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के राज्य बजट दस्तावेज़ों पर आधारित है। राज्य नीचे दिए विभागों को न्याय की निम्नलिखित प्रणालियों के लिए बजट प्रदान करते हैं:

क़ानूनी सहायता बजट "न्यायिक प्रशासन" का हिस्सा है, जो न्यायपालिका के लिए किए गए आवंटन में शामिल होता है, लेकिन इस अध्ययन में इस पर अलग से रोशनी डाली गई है। हालांकि, न्यायपालिका बजट के विश्लेषण में क़ानूनी सहायता बजट भी शामिल है।

1.2 बजट आंकड़ों का अध्ययन

बजट को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है: वास्तविक व्यय (AE), बजट अनुमान (BE), और संशोधित अनुमान (RE)।

1. बजट अनुमान (BE) से सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग पर ख़र्च करने की योजना के बारे में जानकारी मिलती है।
2. संशोधित अनुमान (RE) यह बताते हैं कि प्रारंभिक योजना (BE) के मुक़ाबले बजट में कितना बदलाव हुआ है।
3. वास्तविक व्यय (AE) असल ख़र्च को दर्शाता है।

इस अध्ययन में 2021-22 और 2022-23 तक उपलब्ध AE आंकड़ों का उपयोग किया गया है क्योंकि ये आंकड़े दो साल के अंतराल पर प्रकाशित किए जाते हैं।

अगस्त 2024 तक, AE के लिए वर्ष 2022-2023 तक, BE के लिए वर्ष 2024-2025 तक और RE के लिए वर्ष 2023-2024 तक के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध थे।

राज्य बजट संबंधी जानकारी को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। हर स्तर पर वित्तीय आवंटन की क्रमिक रूप से अधिक विस्तार में जानकारी मिलती है।

1. विभाग

वर्गीकरण का उच्चतम स्तर, जो किसी विशेष कार्य के लिए ज़िम्मेदार व्यापक प्रशासनिक इकाई को प्रस्तुत करता है।

4 आवंटन में बदलाव को संशोधित अनुमान (RE) 2022-23 और बजट अनुमान (RE) 2024-25 के बीच मापा गया है।
5 2022-23 के लिए उपयोगिता की गणना RE 2023-24/AE 2023-24 के आधार पर की गई है।

चित्र 1.3 राज्य बजट दस्तावेज़ों की संरचना

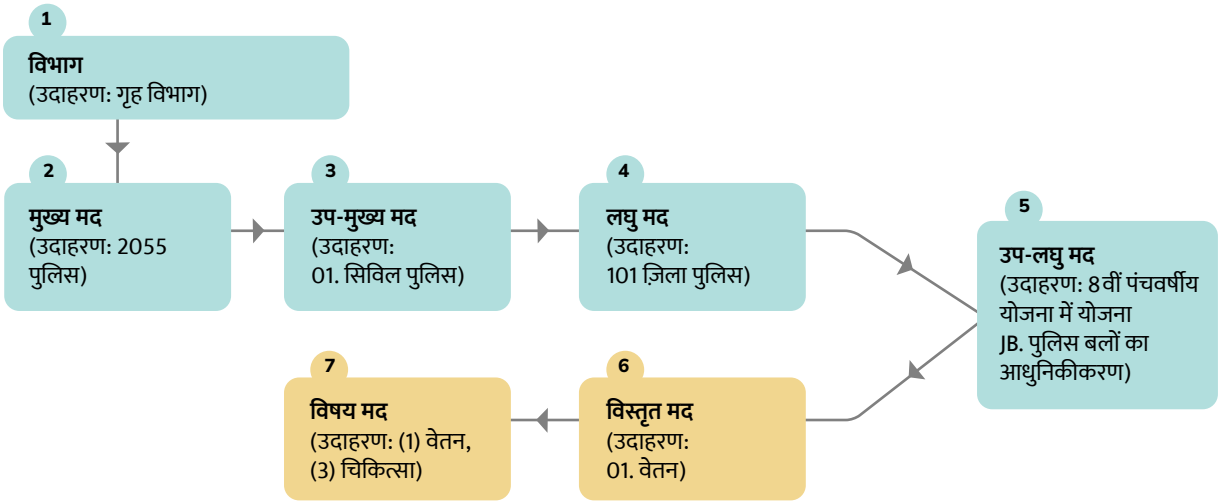

चित्र 1.4: गृह विभाग के तहत पुलिस प्रशिक्षण के लिए वर्णनात्मक बजट

स्तर	कोड	विवरण
विभाग	-	गृह विभाग
प्रमुख मद	2055	पुलिस
उप-प्रमुख मद	0	सामान्य
लघु मद	109	ज़िला पुलिस
उप-लघु मद	1	प्रशिक्षण
विस्तृत मद	-	प्रशिक्षण संस्थान
विषय मद	-	वेतन, उपकरण आदि

उदाहरण: गृह विभाग (पुलिस और जेलों के लिए), न्यायिक प्रशासन (न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता के लिए)।

2. प्रमुख मद (4 अंकों का कोड)

किसी विभाग के मुख्य सेवा या कार्य को दर्शाता है।

उदाहरण:

2055 – पुलिस

2014 – न्याय प्रशासन

2056 – जेल

3. उप-मुख्य मद (प्रमुख मद के अंतर्गत 2 अंकों का कोड)

यह मुख्य कार्य को आगे विशिष्ट श्रेणी में बांटता है।

उदाहरण (मुख्य मद के तहत 2055 - पुलिस):

00 – सामान्य

4. लघु मद (उप-मुख्य मद के अंतर्गत 3 अंकों का कोड)

किसी कार्य के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट गतिविधियों या योजनाओं की जानकारी देता है।

उदाहरण (2055 के अंतर्गत - पुलिस):

109 – ज़िला पुलिस

110 – रेलवे पुलिस

5. उप-लघु मद (लघु मद के अंतर्गत 2-3 अंकों का कोड)

हरेक लघु मद के अंतर्गत व्यय का छोटे विवरणों के साथ ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है।

उदाहरण (2055-109 के अंतर्गत - ज़िला पुलिस):

01 – प्रशिक्षण

02 – उपकरण

6. विस्तृत मद

उन मदों या सेवाओं के बारे में सटीक जानकारी देता है जिनके लिए धन आवंटित किया जाता है, जैसे वेतन, कार्यालय व्यय या तकनीक।

पूंजीगत परिव्यय

राज्य आम तौर पर, बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्ति जैसे क्षेत्रों के लिए 'पूंजीगत परिव्यय' भी आवंटित करते हैं। ये आवंटन 'मुख्य मद' के अंतर्गत आते हैं, या तो [संबंधित क्षेत्र] से संबंधित 'पूंजीगत परिव्यय' के रूप में (जैसे, पुलिस के लिए पूंजीगत परिव्यय) या 'लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय' के रूप में। 'लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय' के तहत सूचीबद्ध किए जाने पर विशिष्ट क्षेत्रों को लघु या उप-लघु मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

7. विषय मद

सबसे निचला स्तर, ख़र्च की आर्थिक प्रकृति के बारे में बताता है, जैसे वेतन, अनुदान, रखरखाव या पूंजीगत परिव्यय।

एकरूपता के लिए, अध्ययन में प्रत्येक विभाग के उप-लघु मद स्तर तक के बजट आंकड़ों का ही विश्लेषण किया गया है। इससे नीचे, वस्तु मद और विस्तृत मद स्तर के तहत अलग-अलग मदों के अनुसार आवंटन और उपयोग का ज़्यादा विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वेतन और भत्ते, विभिन्न भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता आदि।

आम तौर पर, यह अध्ययन उप-लघु स्तर तक सीमित है, जबकि प्रशिक्षण, फ़ॉरेंसिक जैसे क्षेत्रों में अध्ययन इससे आगे बढ़कर विषय

चित्र 1.5: न्यायिक बजट में हिस्सा

न्यायिक बजट में हिस्सा (%, 2024-25 BE)

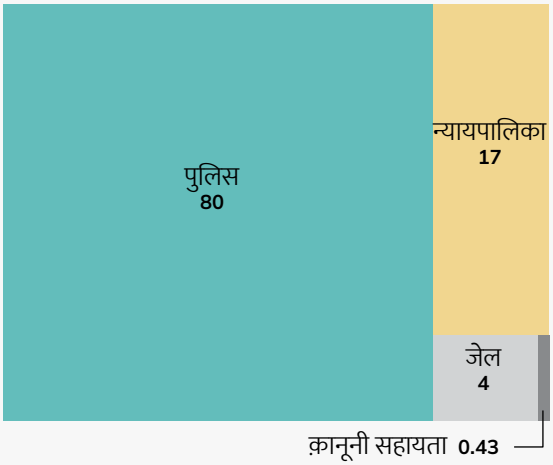

चित्र 1.6: आर्थिक अन्याय?

11 राज्यों में न्यायिक बजट कुल बजट का औसतन लगभग 4-5% रहता है।

	राज्य (करोड़ रुपए में)	न्यायिक बजट (करोड़ रुपए में)	राज्य बजट में न्यायिक बजट का हिस्सा (%)	न्याय पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु. में)
2021-22 (AE)	28,78,150	1,26,446	4.4	1,341
2022-23 (RE)	35,54,967	1,57,963	4.4	1,661
2022-23 (AE)	32,70,778	1,44,569	4.4	1,520
2023-24 (RE)	38,99,606	1,70,315	4.4	1,776
2024-25 (BE)	43,18,151	1,96,962	4.6	2,023

चित्र 1.7: न्याय पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (BE 2024-25)

विभिन्न राज्यों का न्याय पर प्रति व्यक्ति ख़र्च अलग-अलग है, सबसे अधिक ख़र्च, 3,047 रुपए, तेलंगाना का है, जबकि पश्चिम बंगाल सबसे कम, 1,287 रुपए ख़र्च करता है।

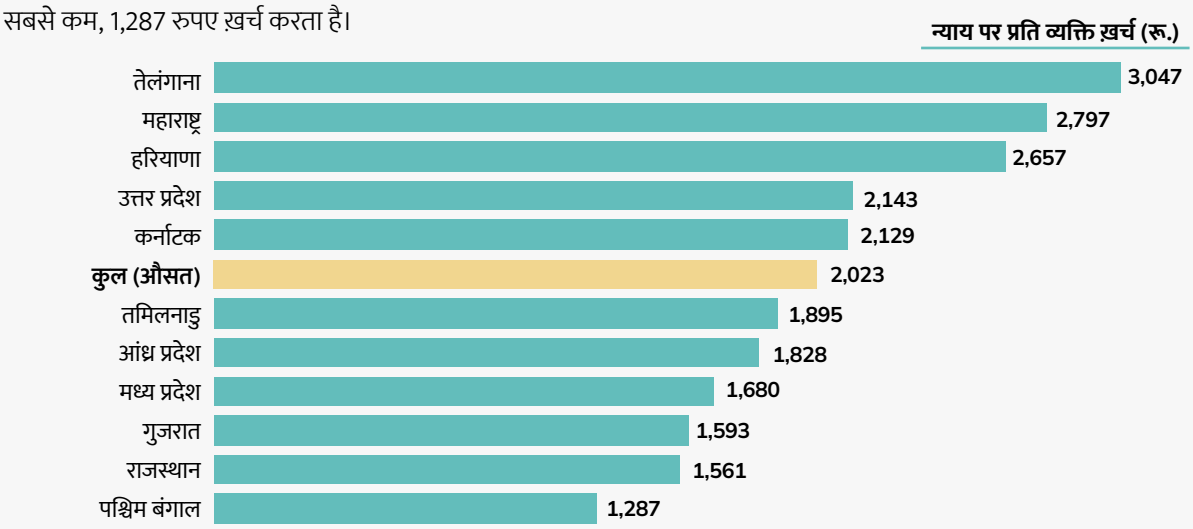

राज्यों के नाम प्रति व्यक्ति ख़र्च के घटते क्रम में दिए गए हैं।

और विस्तृत मद के स्तरों तक का गहराई से विश्लेषण करता है।

1.3 ग्यारह सबसे अमीर राज्य न्याय के लिए बजट कैसे आवंटित करते हैं?

2024-25 (बजट अनुमान) के अनुसार, 11 राज्यों ने न्यायिक प्रणाली के प्रमुख क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर 1.96 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2022-23 (संशोधित अनुमान) के मुक़ाबले 25% की वृद्धि है।

यह इन राज्यों के कुल बजट का लगभग 5% है।

AE 2021-22 और AE 2022-23 के बीच, न्याय पर वास्तविक व्यय 1.26 लाख करोड़ रुपए से 14% बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। राज्यवार बजट, न्यायिक बजट और राज्यों द्वारा न्याय पर प्रति व्यक्ति ख़र्च के लिए अनुलग्नक 1 देखें।

सबसे बड़ा हिस्सा (80%) पुलिस विभाग को मिलता है (बजट अनुमान 2024-25: 1.56 लाख करोड़ रुपए), इसके बाद न्यायपालिका, जेल और क़ानूनी सहायता का स्थान है, जैसा कि चित्र (1.6) में दिखाया गया है।

चित्र 1.8: 11 राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए, 2024-25)

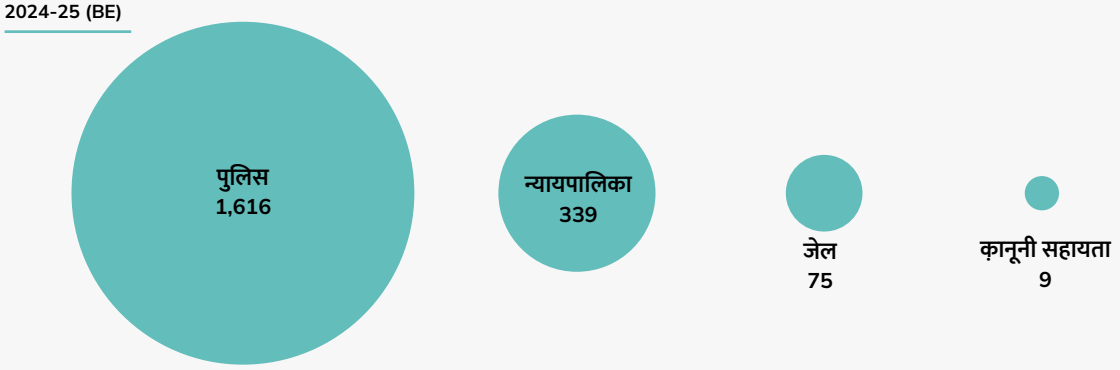

चित्र 1.9: न्यायिक बजट, 2022-23 से 2024-25 तक (करोड़ रु. में)

क्रम स.	कार्य	RE (2022-23)	AE (2022-23)	RE (2023-24)	BE (2024-25)
1	**पुलिस**	**1,28,637**	**1,20,928**	**1,35,077**	**1,56,719**
1a	पुलिस प्रशिक्षण	1,459	1,345	1,586	2,208
2	**न्यायपालिका (क़ानूनी सहायता सहित)**	**24,343**	**18,902**	**29,466**	**32,996**
2a	न्यायपालिका प्रशिक्षण	137	83	225	249
2b	AG कार्यालय	840	783	971	1,138
3	**जेल**	**4,983**	**4,740**	**5,771**	**7,247**
3a	जेल प्रशिक्षण	12	12	14	17
4	**क़ानूनी सहायता**	**591**	**502**	**739**	**849**
5	**फ़ॉरेंसिक**	**1,143**	**1,108**	**1,236**	**1,218**
6	**अभियोजन**	**597**	**551**	**679**	**775**

अध्याय 2

पुलिस

पुलिस के लिए बजट: प्रमुख निष्कर्ष

1.57 लाख करोड़ रुपए

2024-25 (BE) में 11 राज्यों में **पुलिस के लिए कुल आवंटन,** जो कि 2022-23 (RE) से 22% की औसत बढ़ोतरी है।

15%

2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच **पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च में वृद्धि** (11 राज्य)। IJR 2025 के अनुसार, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों [1] ने 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय औसत (1275 रुपए) से अधिक ख़र्च किया।

2-6%

कुल राज्य बजट में पुलिस बजट का हिस्सा। 2024-25 (BE) में उत्तर प्रदेश का पुलिस बजट 6%, जबकि राजस्थान का 2% रहा।

2% से कम

2024-25 के **पुलिस बजट में से प्रशिक्षण का बजट** राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण पर कम ख़र्च के रुझान को दिखाता है। इसे IJR[2] के विभिन्न संस्करणों द्वारा सामने भी लाया गया है।

चित्र 2.1: पुलिस का अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE)

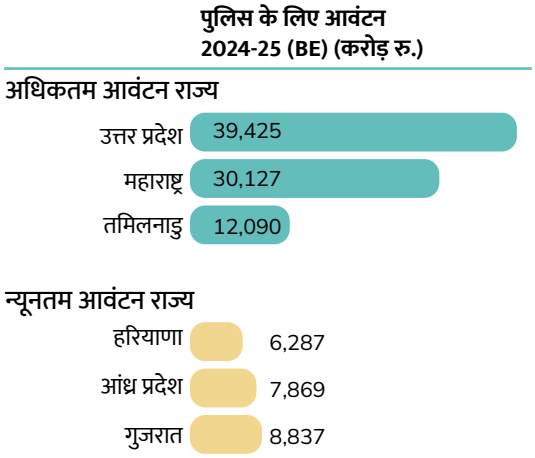

पुलिस के लिए बजट कोड

पुलिस का बजट गृह विभाग के बजट का हिस्सा होता है। सभी 11 राज्यों का पुलिस के लिए बजट कोड '2055' मुख्य मद के रूप में है जबकि संचालन और प्रशासन, ज़िला पुलिस, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण जैसी श्रेणियों को लघु मदों के तहत वर्गीकृत किया गया है। उप-लघु मद में बजटीय जानकारी को और ज़्यादा मदों में बांटा जाता है, जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों संबंधी आवंटन जैसे- पुलिस स्टेशन निर्माण, कर्मियों के लिए आवासीय सुविधाओं, वाहन ख़रीद और बेहतर तकनीक की निगरानी प्रणाली आदि का विवरण होता है।

1 लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, चंडीगढ़, मिज़ोरम, दिल्ली, त्रिपुरा, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम।

2 पुलिस बजट में प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान: IJR 3: 1.26%, IJR 4: 1.25%.

2.1 पुलिस के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण

सभी राज्यों में 2022-23 (RE) और 2024-25 (BE) के बीच कुल न्यायिक बजट का बड़ा हिस्सा, 70 से 85% के बीच, पुलिस को प्राप्त हुआ। यह कुल राज्य बजट का लगभग 2 से 5% है।

इन राज्यों ने कुल मिलाकर 2024-25 (BE) में पुलिस को 1.57 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2022-23 (RE) से 22% की औसत बढ़ोतरी है। 2021-22 और 2022-23 के बीच, इन राज्यों में पुलिस पर ख़र्च (AE) 1.06 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.21 लाख करोड़ रुपए (13% की वृद्धि) हो गया। राज्यवार पुलिस बजट, इसके उपयोग और आवंटन में बदलाव के लिए अनुलग्नक 2 देखें।

पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

इन 11 राज्यों ने पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च में 19% की वृद्धि की, जो

चित्र 2.2: 11 राज्यों का पुलिस बजट (करोड़ रु. में)

पुलिस बजट 2022-23 (RE) के 1,28,637 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 (BE) में 1,56,719 करोड़ रुपए हो गया जो कि लगभग 22% की वृद्धि है।

2024-25 (BE)

पुलिस बजट	राज्य के बजट में पुलिस बजट का हिस्सा (% में)	न्यायिक बजट में पुलिस बजट का हिस्सा (% में)	औसत प्रति व्यक्ति ख़र्च
1,56,719 करोड़ रुपए	4%	80%	1,616 रुपए

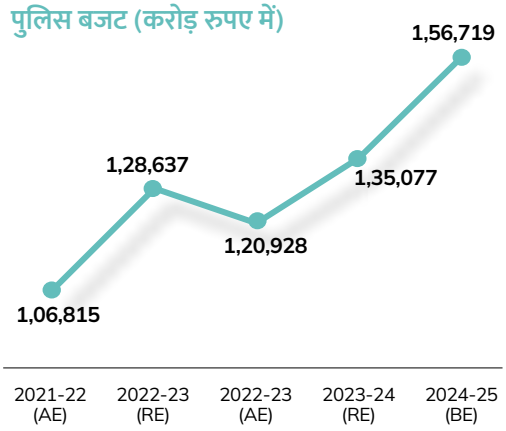

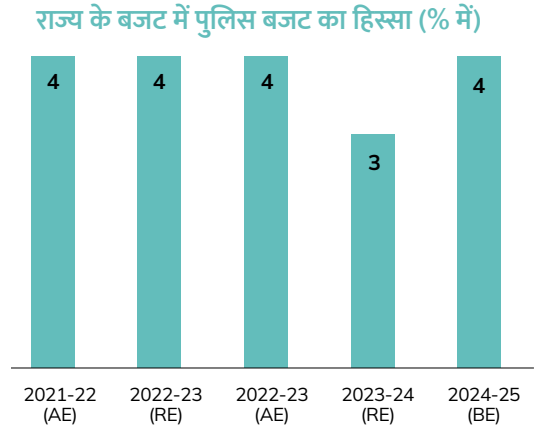

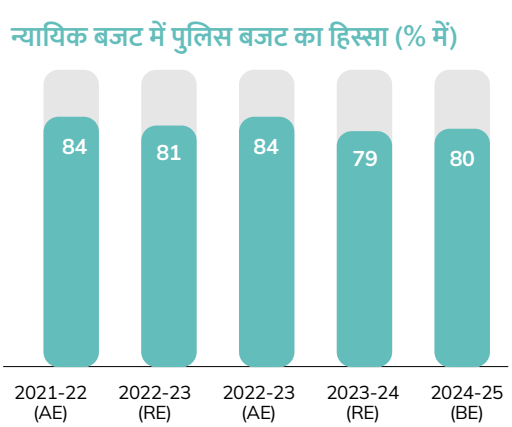

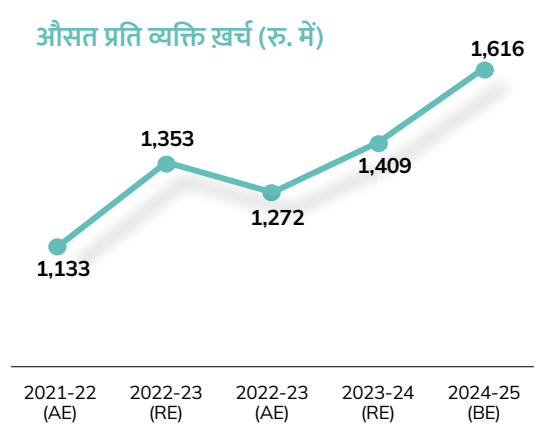

चित्र 2.3: पुलिस पर राज्यवार प्रति व्यक्ति ख़र्च (2024-25, रु)

विभिन्न राज्यों में पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च अलग-अलग है, जो तेलंगाना में सबसे अधिक (2,406 रुपए) और पश्चिम बंगाल में सबसे कम (1,106 रुपए) है।

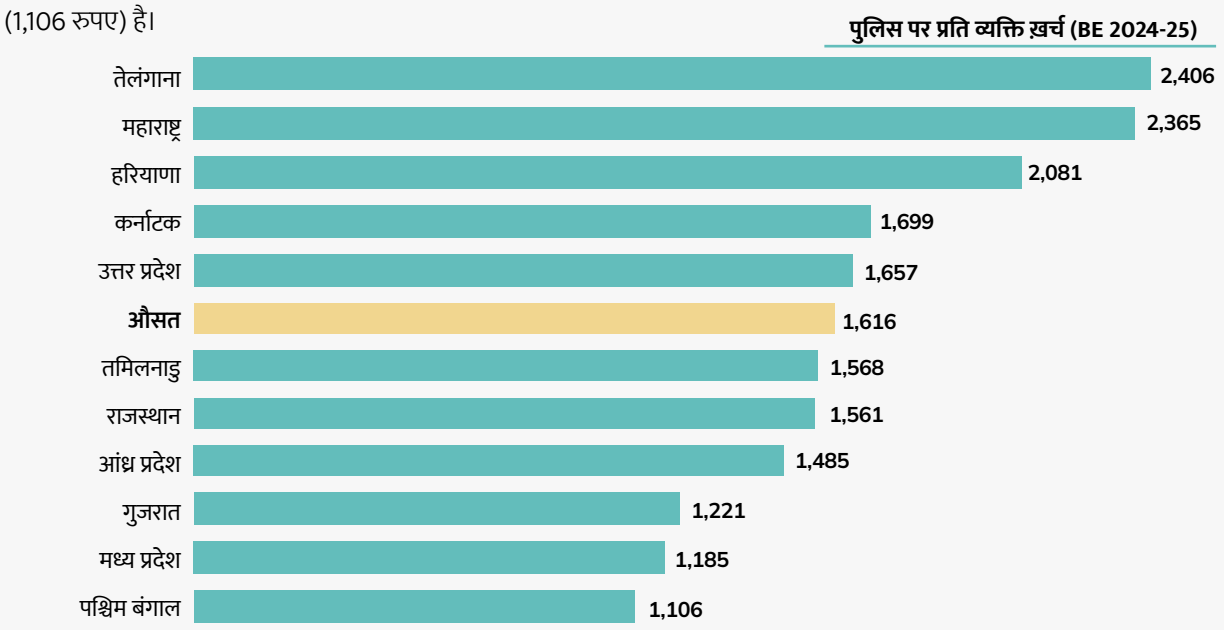

राज्यों के नाम प्रति व्यक्ति ख़र्च के घटते क्रम में दिए गए हैं।

2022-23 के 1354 रुपए से बढ़कर 2024-25 में औसतन 1,616 रुपए हो गया (चित्र 2.3)।

2.2 पुलिस के लिए बजट: प्रमुख क्षेत्र

क. प्रशिक्षण

पुलिस बल में शामिल किए जाने के समय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और सेवाकाल में विभिन्न पदों पर कौशल बढ़ाने के लिए समय-समय पर विशेष और लघु पाठ्यक्रम के आधार पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस प्रशिक्षण बजट में मुख्य रूप से प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों का वेतन, प्रशिक्षण संस्थानों की परिचालन लागत और यात्रा एवं चिकित्सा व्यय सहित कर्मियों के भत्ते शामिल होते हैं।[3] 'पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो' (BPR&D) द्वारा प्रकाशित भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की निर्देशिका (DIPTI) के अनुसार, मार्च 2023 तक पूरे भारत में कुल 236 प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें से 140 इस अध्ययन में शामिल 11 राज्यों में स्थित हैं। इन 11 राज्यों में देश के कुल पुलिस बल का 60% से अधिक हिस्सा कार्यरत है। राज्यवार पुलिस प्रशिक्षण बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 2.1 देखें।

IJR 2025

IJR कुछ प्रमुख मापदंडों के आधार पर न्याय स्तंभों के लिए बजट का आकलन करता आ रहा है। जैसे, राज्य के कुल व्यय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति ख़र्च और न्याय के स्तंभों पर ख़र्च में कितनी वृद्धि हुई। 2022-23 (RE) में, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों[4] ने राष्ट्रीय औसत (1275 रुपए) से अधिक ख़र्च किया।

चित्र 2.4: पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

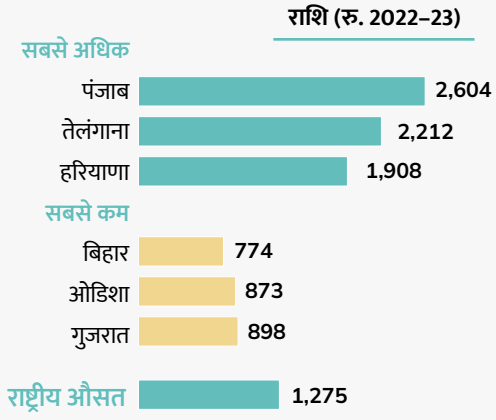

3 राज्य बजट दस्तावेज़ों में दिए गए विषयगत/विस्तृत मद विवरण के अनुसार।
4 लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, चंडीगढ़, मिज़ोरम, दिल्ली, त्रिपुरा, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम।

चित्र 2.5: पुलिस संख्या और प्रशिक्षण[5]

उच्च GDP वाले राज्यों में प्रति संस्थान कर्मियों का अनुपात (10,479) अखिल भारतीय औसत (9,150) से अधिक है।

	जनवरी 2023 तक स्वीकृत संख्या (लाख में)	प्रशिक्षण संस्थान (मार्च 2023)	प्रति प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक (मार्च 2023)
अखिल भारतीय	21.6	236	9,150
उच्च GDP वाले राज्य	14.6	140	10,479
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु	7.9	32	22,328

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे बड़ा पुलिस कार्यबल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कुल पुलिस कार्यबल का 30% से अधिक है।

चित्र 2.6: पुलिस प्रशिक्षण: संस्थान, कर्मी और बजट

वर्ष 2022-23 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों का प्रतिशत सबसे अधिक (क्रमशः 32% और 44%) रहा।

	प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	प्रशिक्षण बजट (AE 2022-23) (करोड़ रुपए)	प्रशिक्षित पुलिसकर्मी (2022-23) (%)
आंध्र प्रदेश	23	68	44
तेलंगाना	33	77	32
हरियाणा	4	65	19
पश्चिम बंगाल	10	32	17
राजस्थान	11	155	14
कर्नाटक	12	3	12
गुजरात	5	62	10
महाराष्ट्र	12	204	7
मध्य प्रदेश	10	164	6
उत्तर प्रदेश	11	185	6
तमिलनाडु	9	331	5
कुल	**140**	**1,345**	**13**

राज्यों के नाम प्रशिक्षित कर्मियों के घटते क्रम में दिए गए हैं।

DIPTI 2023 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 2022-23 तक केवल 14% पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण मिल पाया है । 2023 के दौरान, चार राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश) ने अपने 10% से भी कम पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया। कुल 33 संस्थान वाले तेलंगाना ने अपने 32% पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया।

पुलिस बजट में प्रशिक्षण संबंधी बजट की हिस्सेदारी

पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट की औसत हिस्सेदारी 2021-22 (AE) से 2024-25 (BE) के बीच स्थिर (1.03% से 1.41% तक) बनी रही।

वर्ष 2024-25 में, तीन राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र) ने अपने पुलिस बजट का 1% से भी कम हिस्सा प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया, जबकि शेष आठ राज्यों ने अपना हिस्सा 1 से 2% के बीच बनाए रखा।

इस राष्ट्रीय रूझान को पूर्व के IJR में भी चिह्नित किया गया है। यह बताता है कि अधिकांश राज्य अपने पुलिस बजट का लगभग 1 से 1.5% प्रशिक्षण के लिए आवंटित करते हैं। IJR 2022 के निष्कर्षों में यह पाया गया था कि 7 राज्यों (केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा,

5 पुलिस बल (स्वीकृत और नियुक्त): स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा जारी पुलिस संगठनों के आंकड़े (DoPO)। (जनवरी 2023 तक)।
पुलिस प्रशिक्षण संस्थान: स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की निर्देशिका (DIPTI)। (मार्च 2023 तक)।

चित्र 2.7: पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%)

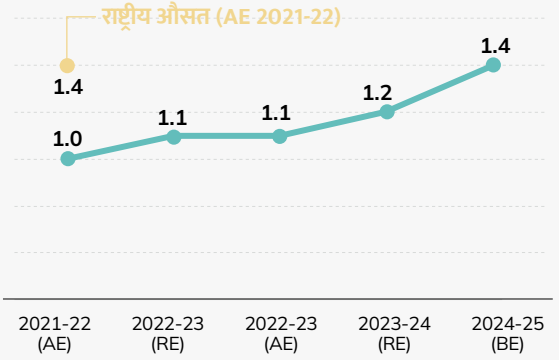

झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात) ने प्रशिक्षण के लिए पुलिस बजट का 1% से भी कम हिस्सा आवंटित किया था।[6]

अध्ययन में शामिल 11 राज्यों में से 3 राज्यों, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु, ने वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच अपने आवंटन में क्रमशः 100%, 14% और 39% की कटौती की है।

पश्चिम बंगाल का बजट वर्ष 2022-23 (RE: 34 करोड़ रुपए) से 2024-25 (BE: 175 करोड़ रुपए) के बीच लगभग 5 गुना बढ़ा है। इस बढ़ोतरी का ज़्यादातर हिस्सा मुख्य रूप से राज्य के बैरकपुर स्थित स्वामी विवेकानंद पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को वेतन मद में वृद्धि के लिए मिला। न्यायिक बजट में प्रशिक्षण के लिए आवंटित राशि की राज्यवार हिस्सेदारी के लिए अनुलग्नक 2 देखें।

पुलिस प्रशिक्षण बजट: कटौती के कारण

कर्नाटक: वर्ष 2024-25 में कर्नाटक का पुलिस प्रशिक्षण बजट 1 लाख रुपए (BE) का था। यह वर्ष 2022-23 के मुक़ाबले भारी (99%) कटौती थी, जब यह 2.62 करोड़ रुपए (RE) था।

यह कटौती बजटीय आवंटन को प्रभावित करने वाले कई कारणों की ओर इशारा करती है, जिनमें राजकोषीय सीमाएं, पिछले बजट आवंटनों का कम उपयोग और आधुनिकीकरण जैसी अन्य प्राथमिकताओं पर ज़्यादा ध्यान देना शामिल है।

पिछले वर्षों के विपरीत, कर्नाटक के बजट दस्तावेज़ 2024–25 में 'शिक्षा और अनुसंधान' नामक लघु मद के आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण के बजट होते हैं। वर्ष 2023-24 के बजट में, इस लघु मद के तहत केवल AE (2021–22) के आंकड़े दिए गए। BE (2022–23), BE (2023-24) और BE (2024–25) को 'उपलब्ध नहीं' के रूप में दर्ज किया गया था, जिसका अर्थ है कि इसके लिए पिछला आवंटन 2021–22 में मिला था।

उत्तर प्रदेश

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बीच के सिर्फ़ एक साल की अवधि में UP ने अपने पुलिस प्रशिक्षण बजट में 68% की उल्लेखनीय वृद्धि की और यह 168 करोड़ रुपए से बढ़कर 283 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2024-25 में, इसका आवंटन बढ़कर 637 करोड़ रुपए हो गया जो 11 राज्यों में सबसे ज़्यादा है। राज्य ने 2021-22 और 2022-23 के बीच अपने पुलिस कार्यबल में 11,000 से ज़्यादा कर्मियों की वृद्धि की, जबकि इसके प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या और उनकी क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ।

	2021-22	2022-23
पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या (सिविल+डीएआर)[7]	2,58,197	2,69,942
प्रशिक्षित पुलिसकर्मी[8]	11,106	14,998
प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या[9]	11	11
संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता[9]	10,320	10,320

उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण बजट के क़रीबी अध्ययन से पता चलता है कि इस अवधि में प्रशिक्षण बजट के तहत यात्रा भत्ते का बजट 5 करोड़ रुपए से दोगुना (10 करोड़ रुपए) हो गया। प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन मद में भी आवंटन 174 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना होकर 350 करोड़ रुपए हो गया।[9] वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के प्रशिक्षण बजट में आधे से ज़्यादा हिस्सा वेतन मद के लिए आवंटित किया गया। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बजट में बदलाव के कारण क्या थे।

6 ज़्यादा जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है: https://indiajusticereport.org/indicator/103/ijr-3/large-states/table

7 पुलिस बल (स्वीकृत और नियुक्त): स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा जारी पुलिस संगठनों के आंकड़े (DoPO)। (जनवरी 2023 तक)।

8 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी, प्रशिक्षण संस्थान और उनकी क्षमता: स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा जारी भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की निर्देशिका (DIPTI)। (मार्च 2023 तक)।

9 उत्तर प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़2023-24, पृष्ठ 6, उत्तर प्रदेश राज्य बजट दस्तावेज़2024-25, पृष्ठ 6.

2024–25 के बजट दस्तावेज़ में केवल 'निर्भया फ़ंड के तहत CCPWC और अन्य सुविधाओं के कार्यान्वयन के लिए साइबर फ़ॉरेंसिक लैब सह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना' के लिए बजट आवंटन का ज़िक्र है।

हरियाणा: हरियाणा का आवंटन वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच लगभग 10 करोड़ रुपए कम हो गया। भोंडसी स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवंटन 37 करोड़ रुपए से घटकर 34 करोड़ रुपए रह गया और रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए आवंटन में 9 करोड़ रुपए की भारी कमी (22 करोड़ रुपए से घटकर 13 करोड़ रुपए) की गई। सुनारिया स्थित केंद्र के किराए, उपकर और करों संबंधी आवंटन में 94% की भारी कटौती की गई।

ख. पुलिस आधुनिकीकरण

पुलिस आधुनिकीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत हथियारों की ख़रीद, आईटी और संचार उपकरण, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशन के बुनियादी ढांचे और मेगा सिटी पुलिसिंग, रेगिस्तान पुलिसिंग, सीमावर्ती ज़िलों एवं विशेष शाखाओं जैसी राज्य-विशिष्ट पहलक़दमियों के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में राशि आवंटित करते हैं।[10] राज्यवार पुलिस आधुनिकीकरण बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए, अनुलग्नक 2.2 देखें।

इन 11 राज्यों का कुल आधुनिकीकरण बजट, जिसके लिए केंद्र और राज्य, दोनों द्वारा राशि आवंटित की गई, 2022-23 (RE) के 1,335 करोड़ रुपए से 2024-25 (BE) में 25% घटकर 1,003 करोड़ रुपए रह गया। वास्तविक व्यय 2021-22 और 2022-23 के बीच 952 करोड़ रुपए (AE) से 17% बढ़कर 1,114 करोड़ रुपए (AE) हो गया। वर्ष 2024-25 तक, कुल पुलिस बजट में आधुनिकीकरण का हिस्सा 0.6% है, जो वर्ष 2022-23 के मुक़ाबले लगभग 1% कम है।

पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु ने महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पर केंद्रित आधुनिकीकरण के लिए धनराशि आवंटित की है, लेकिन राज्य के बजट दस्तावेज़ों में इन आवंटनों के बारे में विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं हैं। जैसे, पश्चिम बंगाल द्वारा 'अन्य ख़र्च' और कर्नाटक द्वारा 'सामान्य व्यय' का विवरण नहीं दिया गया है, जिससे विशिष्ट आवंटन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। संदर्भ के लिए अनुलग्नक 2.2 (क) और 2.2(ख) देखें।

चित्र 2.8: पुलिस आधुनिकीकरण (करोड़ रुपए)

पुलिस आधुनिकीकरण बजट 2022-23 (RE) के 1,335 करोड़ रुपए से 2024-25 (BE) में 25% घटकर 1,003 करोड़ रुपए हो गया।

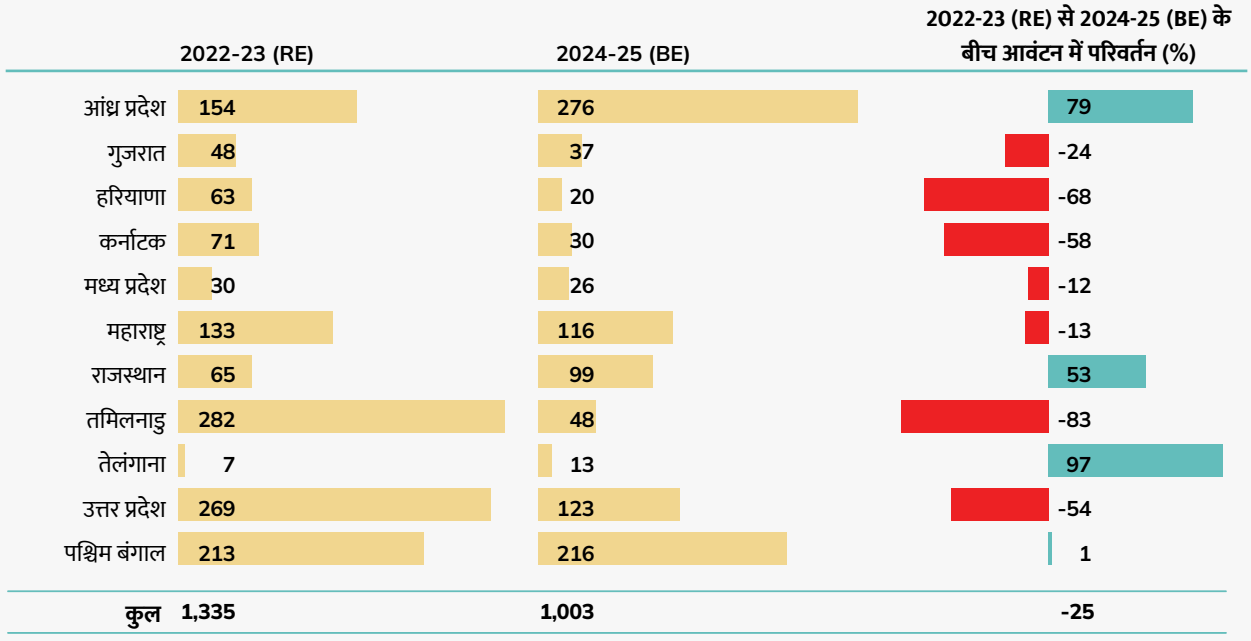

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

10 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। स्रोत: https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191091#:~:text=modernisation%20of%20Police%20Forces&text=The%20Government%20of%20India%20has,Extremism%20%28LWE%29%20affected%20Districts

वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम्स (CCTNS) के लिए 160.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2022-23 से 5% अधिक है।

उपयोग: BPR&D की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में इन 11 राज्यों ने अपने पुलिस आधुनिकीकरण बजट का औसतन 83% उपयोग किया, जबकि 2021-22 में यह 55% था।[11] वर्ष 2022-23 में, दो राज्यों (कर्नाटक, तेलंगाना) ने अपने आवंटित बजट से अधिक ख़र्च किया।

1. तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा उपयोग किया: वर्ष 2022-23 में 550% (वास्तविक अर्थों में आवंटित राशि से 30 करोड़ रुपए ज़्यादा)। तेलंगाना के आधुनिकीकरण बजट का 98% से ज़्यादा हिस्सा मशीन और उपकरणों की ख़रीद पर ख़र्च किया गया।

2. दूसरी ओर, कर्नाटक ने 'पुलिस आधुनिकीकरण' पर किए ख़र्च का विषयवार मद में कोई अतिरिक्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।

3. मध्य प्रदेश ने आधुनिकीकरण बजट के सबसे कम, 37%, उपयोग की जानकारी दी।

11 राज्यों में से सात (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश) में 2022-23 (संशोधित अनुमान) और 2024-25 (बजट अनुमान) के बीच आवंटन में गिरावट दर्ज की गई। 'उपकरणों की ख़रीद' मद के अंतर्गत, हरियाणा में सबसे अधिक (68%) गिरावट दर्ज की गई जो 63 करोड़ से घटकर 20 करोड़ रुपए रह गया। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने आधुनिकीकरण पर बजट में क्रमशः 79%, 53%, 97% और 1% की वृद्धि की।

पश्चिम बंगाल ने वर्ष 2024-25 में आधुनिकीकरण के लिए सबसे अधिक राशि आवंटन की जो कि 215.64 करोड़ रुपए (BE) है। लेकिन इसने निर्भया योजना, जिसके लिए राज्य और केंद्र दोनों योगदान करते हैं, के तहत महिला सुरक्षा के लिए उपरोक्त आवंटन के एक प्रतिशत से भी कम (1 करोड़ रुपए) राशि उपलब्ध कराई, जबकि 2023-24 में यह 26% था। हालांकि, वर्ष 2022-23 में इसका वास्तविक व्यय 17% ही रहा था।

ग. पुलिस के लिए आवास निर्माण

आवास कर्मियों के कल्याण का एक अहम साधन माना जाता है। कई सरकारों ने पुलिस अधिकारियों को आवास या आवास भत्ता देने की पहल की है। राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति सहित कई कारक बजट आकार और निर्माण की गति को प्रभावित करते हैं।

भारत के उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश और हरियाणा को छोड़) ने 2024-25 में पुलिस आवास के लिए 6,449 करोड़ रुपए (BE) आवंटित किए, जो 2022-23 (RE) के 5,165 करोड़ रुपए से औसतन 25% की बढ़ोतरी है।[12]

राष्ट्रीय स्तर पर, जनवरी 2023 तक 36% पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे। 11 उच्च सकल घरेलू उत्पाद वाले राज्यों में 42% कर्मियों को आवास उपलब्ध है। गुजरात के रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने 92% कर्मियों को आवास उपलब्ध कराता है।

पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण का कुल जितना बजट है, पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण का बजट उसके दोगुने से भी अधिक है।

वर्ष 2024-25 में पुलिस आवास के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि हुई, इस दौरान बजट का 4.11% निर्माण के लिए आवंटित किया गया जबकि 2022-23 में यह 4.02% था। हालांकि, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़ अधिकांश राज्यों ने इन वर्षों में अपने आवास आवंटन में कमी की।

- वर्ष 2024-25 में, उत्तर प्रदेश ने आवास के लिए अपने पुलिस बजट का सबसे अधिक हिस्सा (9%) आवंटित किया। राज्य पुलिस, केंद्रीय पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के लिए आवास निर्माण के साथ-साथ आवासों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए इस आवंटित राशि का उपयोग किया गया। उत्तर प्रदेश ने तीनों वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में पुलिस आवास के लिए लगातार सबसे अधिक राशि आवंटित की है।

- 21% पुलिसकर्मियों को आवास उपलब्ध कराने वाले पश्चिम बंगाल ने आवास के लिए सबसे कम बजट आवंटित किया जो कि 2024-25 के उसके पुलिस बजट का मात्र 0.25% है।

11 आधुनिकीकरण बजट का उपयोग: स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D द्वारा पुलिस संगठनों से संबंधित आंकड़े (DoPO)। (जनवरी 2023 तक)।
12 आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बजट (2022-23 और 2024-25) में पुलिस के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं है।

चित्र 2.9: पुलिस आवास: उपलब्धता और बजट[13]

पुलिस के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु सबसे अधिक बजट आवंटन (2,731 करोड़ रुपए) उत्तर प्रदेश का है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश के 27% पुलिसकर्मियों को आवास उपलब्ध है।

	नियुक्त पुलिस कर्मियों की संख्या जनवरी, 2023	पुलिसकर्मी जिन्हें आवास उपलब्ध है (% में) (जनवरी, 2023)	आवासीय भवन निर्माण के लिए पुलिस विभाग का बजट 2022-23 (AE) (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	79,614	27	NA
गुजरात	69,857	92	803
हरियाणा	53,223	25	NA
कर्नाटक	88,742	49	250
मध्य प्रदेश	81,790	48	1,813
महाराष्ट्र	1,56,109	52	874
राजस्थान	78,612	29	68
तमिलनाडु	1,08,329	61	81
तेलंगाना	52,569	39	18
उत्तर प्रदेश	2,65,245	27	2,731
पश्चिम बंगाल	77,596	21	18
कुल	**11,11,686**	**41**	**6,656**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

आवंटन में वृद्धि: तमिलनाडु 2022-23 (RE) के 139 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 2024-25 (BE) में 433 करोड़ रुपए आवंटित कर 200% से अधिक की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र ने इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास निर्माण (योजना) के अंतर्गत बजट में लगभग 700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की।

इन सभी राज्यों में, 2021-22 और 2022-23 के बीच वास्तविक व्यय (AE) लगभग 39% बढ़कर 4,783 करोड़ से 6,655 करोड़ रुपए हो गया। राजस्थान और तेलंगाना ने इस अवधि में अपने ख़र्च में कमी की। इन दोनों राज्यों में 40% से भी कम पुलिसकर्मियों के लिए आवास उपलब्ध है। पुलिस आवास, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन संबंधी राज्यवार बजट विवरण के लिए, अनुलग्नक 2.3 देखें।

उपयोग: कुल मिलाकर, इन राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने 2022-23 में पुलिस आवास बजट का पूरा इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश ने 2022-23 (AE) में 1,813 करोड़ रुपए ख़र्च किए, जो उसके आवंटित बजट 413 करोड़ रुपए (RE 2022-23) से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में यह धनराशि मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत आवंटित की जाती है, जो राज्य में पुलिसकर्मियों के लिए एक आवास योजना है।

राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल — इन चार राज्यों ने उपलब्ध बजट का औसत (119%) से कम उपयोग किया। 39% पुलिसकर्मियों के लिए आवास उपलब्ध कराने वाले तेलंगाना ने केवल आवासीय बजट का केवल 5% ही उपयोग किया। तमिलनाडु को छोड़कर, इन राज्यों में 50% से कम पुलिसकर्मियों के लिए आवास उपलब्ध हैं।

घ. महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध रोकथाम

महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)

13 कर्मचारियों के लिए आवास की उपलब्धता: स्रोत: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) द्वारा जारी पुलिस संगठनों के आंकड़े (DoPO)। (जनवरी 2023 तक)।

चित्र 2.10: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध और उनकी रोकथाम के लिए बजट[15]

छह राज्यों में होने वाले साइबर अपराध, पूरे भारत में होने वाले कुल साइबर अपराधों का 63% हैं। वर्ष 2021 और 2022 के बीच, ऐसे अपराधों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। हालांकि, यह क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। 2022-23 (AE) में साइबर अपराध रोकथाम पर कुल ख़र्च केवल 24 करोड़ रुपए था।

	महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध कुल साइबर अपराध (2021)		महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध कुल अपराधों में साइबर अपराधों का हिस्सा (2022) (%)	CCPCW बजट 2022-23 (AE) (करोड़ रुपए)
	2021	2022		
आंध्र प्रदेश	536	761	3	0.001
गुजरात	392	416	3	12
हरियाणा	271	365	2	4
कर्नाटक	2,407	4,143	16	3
मध्य प्रदेश	343	566	1	NP
महाराष्ट्र	1,865	2,708	4	5
राजस्थान	330	680	1	NP
तमिलनाडु	267	427	3	NP
तेलंगाना	900	1,295	5	0.01
उत्तर प्रदेश	1,059	1,219	1	NP
पश्चिम बंगाल	206	144	0	NP
कुल	**8,576**	**12,724**	**2**	**24**
अखिल भारतीय	**12,106**	**1,62,325**	**4**	**61.77** [16]

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

योजना का उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले साइबर अपराधों से निपटना, प्रभावी साइबर अपराध रोकथाम हेतु रोडमैप तैयार करना और सुझाव प्रदान करना है।[14] गृह मंत्रालय की इस योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार, साइबर अपराधों के बारे में जागरुकता फैलाने और इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को मज़बूत करने के लिए बजट आवंटित किया जाता है।

शीर्ष ग्यारह GDP वाले राज्यों में से केवल सात - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश - ने राज्य के गृह विभाग के बजट दस्तावेज़ों में CCPWC योजना के लिए आवंटन की जानकारी दी।

2022-23 (RE) और 2024-25 (BE) के बीच, CCPWC से संबंधित बजटीय जानकारी प्रदान करने वाले इन राज्यों ने इस योजना के लिए अपने आवंटन को 38 करोड़ रुपए से घटाकर 13 करोड़ रुपए कर दिया जो कि 68% की कमी है। आंध्र प्रदेश ने 2022-23 के लिए RE के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए।

उपयोग

वर्ष 2021-22 में, इन 6 राज्यों ने CCPCW पर 2022-23 की तुलना में 50% अधिक ख़र्च किया। इस दौरान गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों ने ख़र्च कम कर दिया। गुजरात ने अपना ख़र्च (पेशेवर सेवाओं पर) 0.16 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ किया।

इन राज्यों ने 2022-23 में अपने CCPWC बजट का औसतन 61% उपयोग किया। इस दौरान केवल गुजरात और कर्नाटक ने अपने आवंटित बजट का 90% से अधिक ख़र्च किया।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने 2022-23 और 2024-25 के

14 भारत सरकार के गृह मंत्रालय, 'महिला और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम' (8 जनवरी, 2019) स्रोत: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1559115

15 महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध: स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध (दिसंबर 2022 तक)।

16 CCPWC के लिए केंद्रीय आवंटन, केंद्रीय बजट (वित्त वर्ष 2024-25) के अनुसार।

चित्र 2.11: सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के लिए बजट

11 में से केवल चार राज्यों[17] ने 2022-23 और 2024-25 के अपने-अपने बजट दस्तावेज़ों में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी दी है। इन चार राज्यों द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटन 2022-23 (RE) के 1,003 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 (BE) में 95 करोड़ रुपए रह गया जो कि 90% से अधिक की कटौती है।

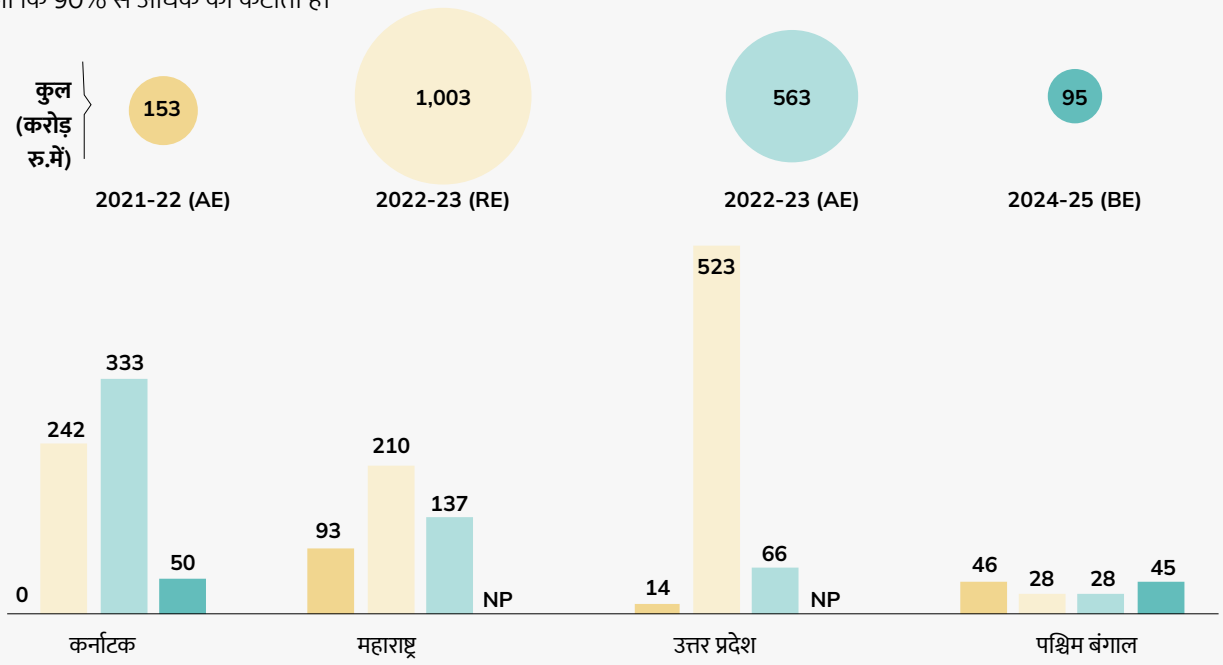

नोट: महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 2024-25 (BE) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

बीच इस योजना के लिए आवंटन बढ़ाया, हालांकि यह वृद्धि मामूली ही रही। महाराष्ट्र के बजट में 'साइबर अपराध और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार रोकथाम' के लिए 2.2 करोड़ रुपए की कुल बढ़ोतरी में से 1.17 करोड़ रुपए वेतन वृद्धि के लिए थे।

हरियाणा में, CCPWC (उप-लघु मद) के बजट में केवल कम्प्यूटरीकरण (वस्तु मद) के लिए आवंटन दिखाया गया है। यह आवंटन 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13 करोड़ रुपए घटकर 2024-25 के बजट अनुमान में मात्र 1 लाख रुपए रह गया। CCPWC योजना के लिए राज्यवार बजट और इसके उपयोग एवं आवंटन में परिवर्तन के लिए, अनुलग्नक 2.4 देखें।

ङ. सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट

सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट सार्वजनिक स्थलों को महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। यह शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और क़ानून प्रवर्तन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और समाधान पर केंद्रित है।[11]

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल ने आवंटन में सबसे ज़्यादा (60%) वृद्धि की जो वर्ष 2022-23 के 28 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 2024-25 में 45 करोड़ रुपए हो गया। राज्य के बजट दस्तावेज़ों में निर्भया फ़ंड के अंतर्गत महिला सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से के आवंटन का विवरण लघु मदों में किए गए आवंटन और 2022-23 (RE) और 2023-24 (RE) में राज्य पुलिस के लिए आवंटन के रूप में दर्ज है।

उपर्युक्त चारों राज्यों ने मिलकर 2021-22 (AE) से 2022-23 (AE) के बीच सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट पर ख़र्च 153 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 563 करोड़ रुपए कर दिया। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस

17 कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट: https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/safe-city-projects

अवधि में अपने ख़र्च (AE) को 46 करोड़ रुपए से घटाकर 28 करोड़ रुपए कर दिया।

पश्चिम बंगाल ने 2024-25 में अपना आवंटन 2022-23 (RE) के 28 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45 करोड़ रुपए कर दिया। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट संबंधी राज्यवार बजट के लिए, अनुलग्नक 2.5 देखें।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 2022-23 में अपने बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने सबसे कम 13% उपयोग दर्शाया। इसकी एक मात्र सेफ़ सिटी लखनऊ के लिए 2022-23 में 39.64 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय (AE) किया गया।

अध्याय 3

न्यायपालिका

न्यायपालिका का बजट: प्रमुख निष्कर्ष

15%-20%

2024-25 (BE) के **कुल न्यायिक बजट में न्यायपालिका के लिए बजट** का हिस्सा।

3 गुणा

11 राज्यों में, 2024-25 (BE) में **अधीनस्थ न्यायालयों को हाई कोर्ट्स की तुलना में तीन गुना अधिक आवंटन** (6,186 करोड़ रुपए के मुक़ाबले 19,064 करोड़ रुपए)। ये अदालतें हाई कोर्ट की तुलना में सात गुना अधिक केसों को निपटाती हैं।

36%

11 राज्यों द्वारा 2022-23 में संशोधित अनुमान के मुक़ाबले **न्यायपालिका के लिए कुल बजट आवंटन में वृद्धि**। इन राज्यों ने कुल मिलाकर 2024-25 (BE) में न्यायपालिका के लिए 32,996 करोड़ रुपए आवंटित किए।

<1%

2024-25 (BE) में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने न्यायपालिका बजट का 1% से भी कम (249 करोड़ रुपए) **प्रशिक्षण के लिए आवंटित** किया।

चित्र 3.1: न्यायपालिका- अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE)

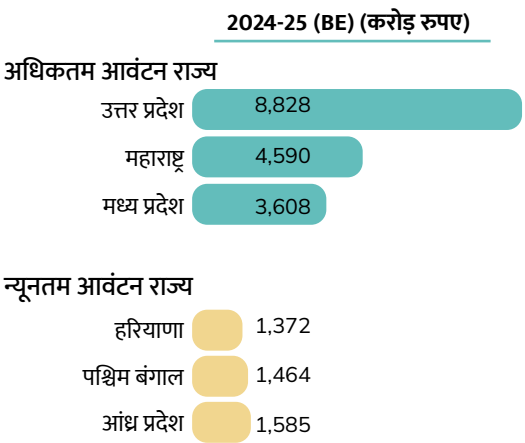

न्यायपालिका के लिए बजट कोड

न्यायपालिका के बजट को 'विधि एवं न्याय विभाग' द्वारा तैयार किया जाता है। सभी 11 राज्यों के लिए, 'न्यायिक' या 'न्यायिक प्रशासन' का बजट कोड '2014' है जो कई अन्य संबद्ध 'लघु मद' के साथ 'मुख्य मद' के अंतर्गत आता है। यह अध्ययन मुख्य रूप से 'उप-लघु मद' स्तर पर केंद्रित है, लेकिन राजकोषीय गतिविधि और प्रदर्शन की व्याख्या के लिए कुछ ख़ास उदाहरणों में विषय और विस्तृत मद स्तरों पर भी गहराई से पड़ताल करता है। प्रत्येक 'लघु मद' के लिए अलग-अलग बजट आवंटित किए गए हैं, जिनमें हाई कोर्ट्स, सिविल एवं सेशन कोर्ट्स, न्यायिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना, जजों का प्रशिक्षण और न्यायालयों का आधुनिकीकरण आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

3.1 न्यायपालिका के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण

हालांकि न्यायपालिका का बजट प्रत्येक राज्य के कुल राज्य बजट का 1% से भी कम हिस्सा होता है। वहीं न्याय के स्तंभों (पुलिस, जेल, क़ानूनी सहायता आदि) में, न्यायपालिका को दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ, जो 2024-25 में लगभग 15% से 20% रहा। राज्यवार न्यायपालिका बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 3 देखें।

चित्र 3.2: 11 राज्यों का न्यायपालिका का बजट (क़ानूनी सहायता सहित) (करोड़ रुपए)

न्यायपालिका बजट 2022-23 (RE) के 24,343 करोड़ रुपए से लगभग 36% बढ़कर 2024-25 (BE) में 32,996 करोड़ रुपए हो गया।

2024-25 (BE)

न्यायपालिका का बजट	राज्य बजट में न्यायपालिका का बजट (%)	न्यायिक बजट में न्यायपालिका को प्राप्त % आवंटन	न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति औसत ख़र्च (रु. में)
32,996 करोड़ रुपए	0.69%	17%	340 रुपए

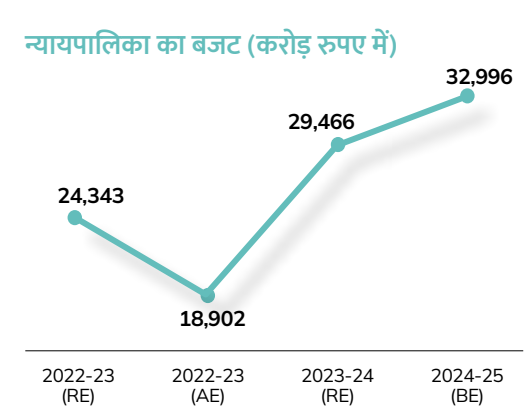

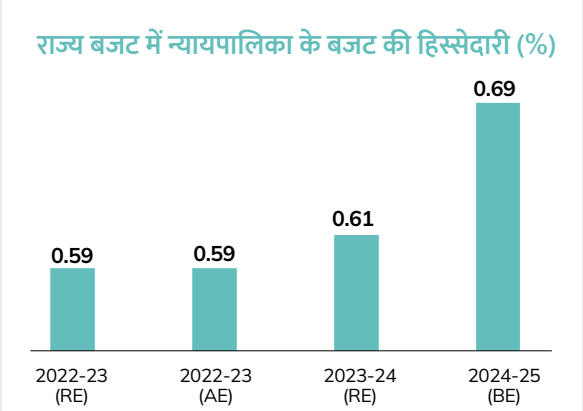

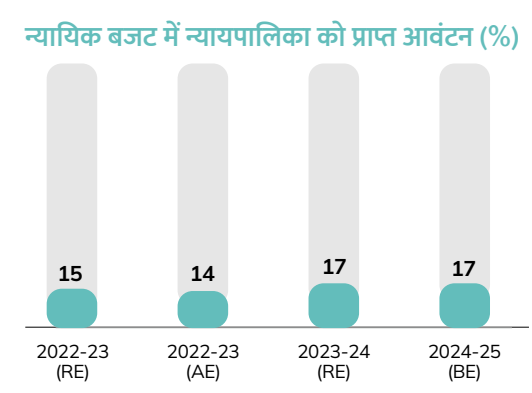

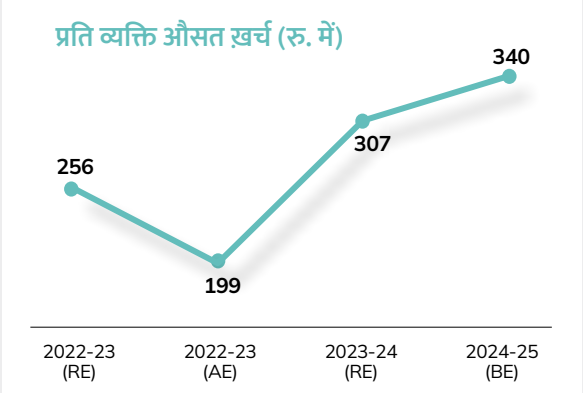

न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

वर्ष 2022-23 में, इन 11 राज्यों ने न्यायपालिका पर औसतन 199 रुपए प्रति व्यक्ति (AE) ख़र्च किए। यह ख़र्च 2024-25 (BE) में बढ़कर 340 रुपए हो गया। वर्ष 2024-25 में, हरियाणा ने सबसे अधिक (454 रुपए) और पश्चिम बंगाल ने सबसे कम (147 रुपए) आवंटित किए।

चित्र 3.3: न्यायपालिका पर राज्यवार प्रति व्यक्ति ख़र्च (2024-25, रु.)

इन सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति ख़र्च 340 रुपए (BE 2024-25) था। न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च के मामले में तेलंगाना सबसे आगे रहा, जहां प्रति व्यक्ति ख़र्च 600 रुपए रहा, उसके बाद हरियाणा (454 रुपए) और मध्य प्रदेश (412 रुपए) का स्थान रहा।

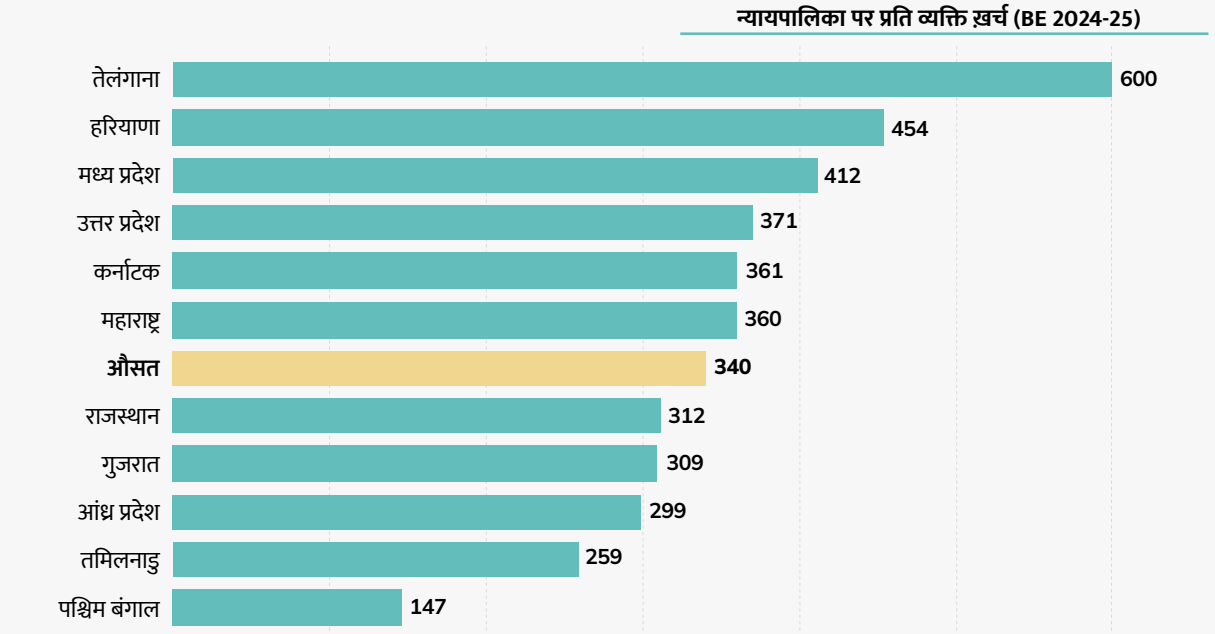

राज्यों के नाम न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च के घटते क्रम में दिए गए हैं।

IJR 2025

IJR कुछ प्रमुख मापदंडों के आधार पर न्याय स्तंभों के लिए बजट का आकलन करता आ रहा है। जैसे, राज्य के कुल व्यय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति ख़र्च और न्याय के स्तंभों पर ख़र्च में कितनी वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 में, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों[1] में न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च 182 रुपए के राष्ट्रीय औसत से कम था। न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च के मामले में दिल्ली (780 रुपए) दूसरे स्थान पर है, जबकि 966 रुपए ख़र्च कर सिक्किम सबसे ऊपर है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब सबसे आगे है, उसके बाद हरियाणा और केरल का स्थान है।

चित्र 3.4: न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (2022–23, रु. में)

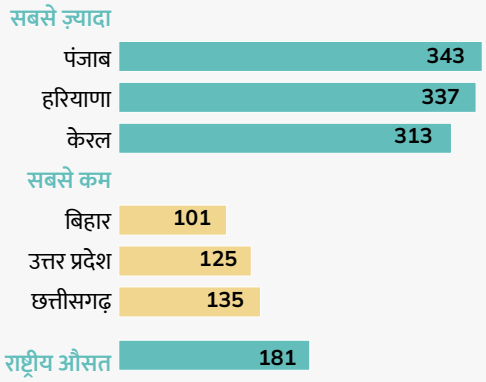

1 गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव।

3.2 न्यायपालिका के लिए बजट: प्रमुख क्षेत्र

इस अध्याय में जिन क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है उनमें हाई कोर्ट्स, सिविल और सेशन कोर्ट्स, क़ानूनी सलाहकार और परामर्शदाता, प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

क. उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय

भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय और 3500 से अधिक ज़िला न्यायालय हैं, जिनमें से अधिकांश लंबित मुक़दमों, रिक्तियों और अदालत परिसर से जुड़ी अपर्याप्त सुविधाओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।[2]

राज्य सरकारें न्यायपालिका के लिए दो मदों के अंतर्गत बजट आवंटित करती हैं। ये मदें- उच्च न्यायालय और सिविल एवं सत्र न्यायालयों, आपराधिक न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के लिए अलग-अलग होती हैं। इन दोनों स्तरों पर बुनियादी ढांचे के विकास, न्यायिक प्रशिक्षण और जजों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन के लिए बजट मिलता है। इस प्रक्रिया में 'अधीनस्थ न्यायालयों' के अंतर्गत सिविल, सत्र, आपराधिक, पारिवारिक न्यायालयों और विशेष न्यायालयों को शामिल किया जा है। हालांकि, राज्यों की ओर से सिविल और सत्र न्यायालयों को 'लघु' और 'उप-लघु' मदों के अंतर्गत एक समान रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता। ऐसे में एकरूपता के लिए, IJR ने उच्च न्यायालय के अलावा सभी अन्य न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में वर्गीकृत किया है।

चित्र 3.6: जजों के रिक्त पद

उच्च GDP वाले राज्यों के उच्च न्यायालयों में 782 और अधीनस्थ न्यायालयों में 17,087 जजों के पद हैं।

	उच्च न्यायालयों में जजों के रिक्त पद (21.11.2024 तक)	अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के रिक्त पद (01.12.2024 तक)
राष्ट्रीय स्तर पर	364	5,245
उच्च GDP वाले राज्य	197	3,388

नवंबर 2024 तक, भारत के हाई कोर्ट्स में जजों के 30% से ज़्यादा पद रिक्त थे जिनमें से 72% से ज़्यादा रिक्तियां इन 11 राज्यों में हैं। भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के 20% पद रिक्त हैं, जिनमें से 78% रिक्तियां इन्हीं राज्यों में हैं। देश के सभी हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालयों के कुल जजों में से क्रमशः 68% और 63% जज इन राज्यों की अदालतों में नियुक्त हैं।

चित्र 3.5: लंबित मामले और बजट[3]

30 नवंबर, 2024 तक, 11 उच्च GDP वाले राज्यों के 11 हाई कोर्ट में कुल 46 लाख मामले लंबित थे, जिनके लिए वर्ष 2022-23 (AE) का बजट आवंटन 3,482 करोड़ रुपए है। संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या 3 करोड़ 30 लाख है, जिनका इस अवधि के लिए बजट 12,146 करोड़ रुपए है।

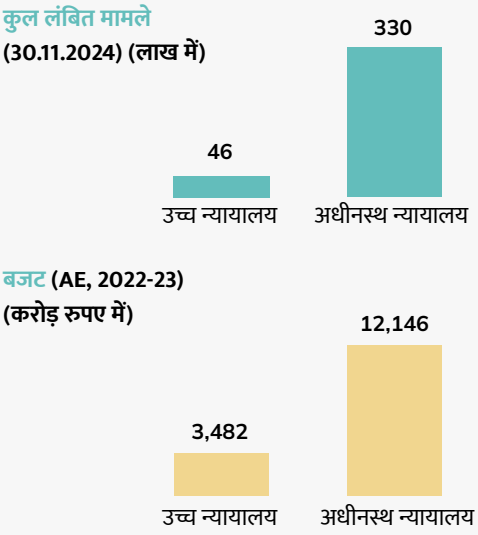

इन दो स्तरों- उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों- के लिए 11 राज्यों द्वारा 2024-25 के लिए आवंटित कुल बजट (BE) 25,250 करोड़ रुपए था। इनमें से उच्च न्यायालय के लिए 6,186 करोड़ और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 19,064 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में से अधिकांश मामले भी इन्हीं 11 राज्यों में लंबित हैं। भारतीय अदालतों में लंबित 5 करोड़ मामलों में से 70% से अधिक मामले इन 11 राज्यों के उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं।

उपयोग: लंबे समय से, भारत की अदालतें बुनियादी ढांचे की कमी और धन का प्रभावी उपयोग न कर पाने की दोहरी समस्याओं से जूझ रही हैं। वर्ष 2022-23 में, राज्यों ने अपने अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों के बजट का क्रमशः 86% और 73% उपयोग किया। अधीनस्थ न्यायालयों और हाई कोर्ट्स के स्तर पर सबसे अधिक आवंटन होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश ने इनका सबसे कम उपयोग (क्रमशः 71% और 47%)

2 न्यायालय परिसर: स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (https://njdg.ecourts.gov.in/njdg_v3/)
3 हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले: स्रोत: संसदीय प्रश्न: भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, राज्य सभा, तारांकित प्रश्न संख्या 185, 12/12/2024 को उत्तर दिया गया।

चित्र 3.7: न्यायपालिका के बजट का उपयोग

वर्ष 2022-23 में, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवंटित न्यायपालिका के बजट का कुल 86% उपयोग किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक 104% उपयोग किया। हाई कोर्ट्स के मामले में यह 73% रहा, जिसमें आंध्र प्रदेश 103% के साथ फिर सबसे आगे और 47% उपयोग के साथ उत्तर प्रदेश सबसे पीछे रहा।

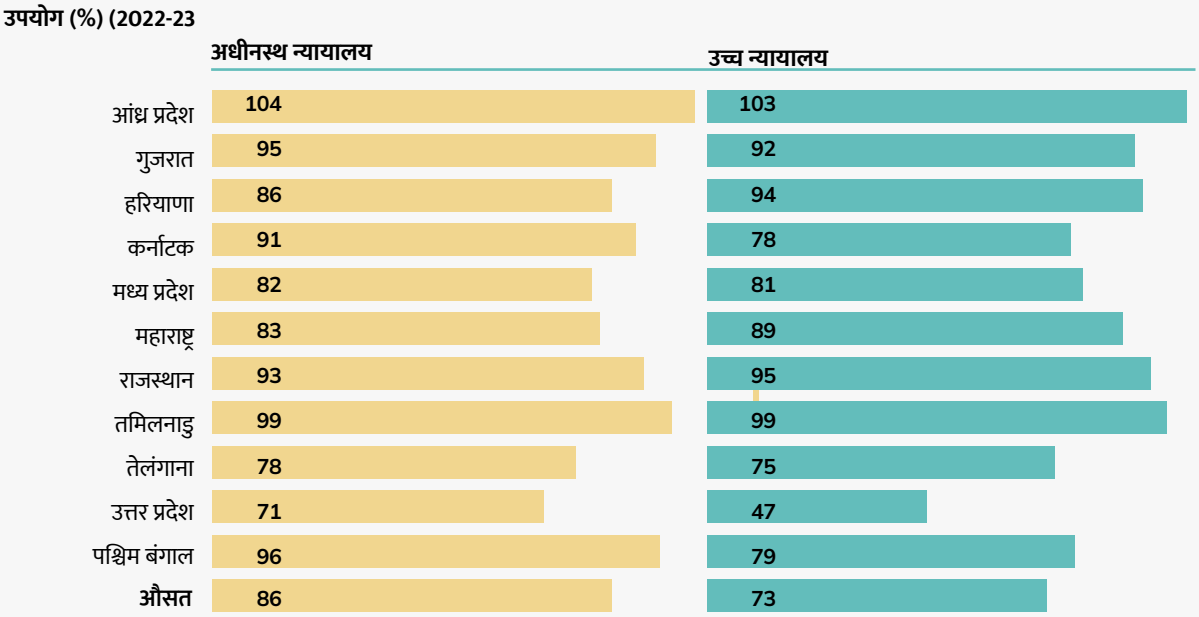

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

किया। केवल आंध्र प्रदेश ने अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ हाई कोर्ट के अपने बजट का पूरा उपयोग किया।

वर्ष 2024-25 तक, अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त आवंटन (BE: 19,064 करोड़ रुपए) हाई कोर्ट्स के बजट (RE: 6,186 करोड़ रुपए) का तीन गुना था। 2022-23 और 2024-25 के बीच इन राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों और हाई कोर्ट्स के लिए लगभग समान वृद्धि

चित्र 3.8: 2022-23 और 2024-25 के बीच राज्यों द्वारा किया गया कुल आवंटन

उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आवंटन में क्रमशः लगभग 30% और 35% की वृद्धि हुई।

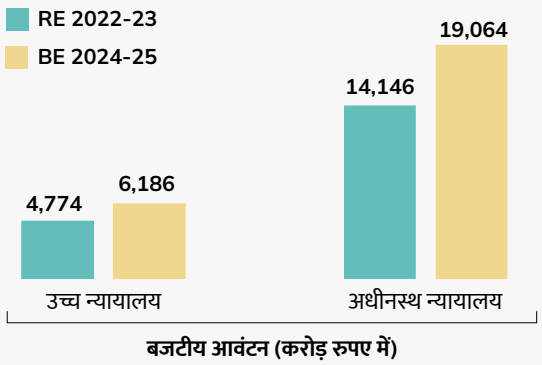

RE 2022-23 और BE 2024-25 के बीच, मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक आवंटन बढ़ाया: अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 88% (1,290 करोड़ रुपए (RE 2022-23) से 2424 करोड़ रुपए (BE 2024-25)), और उच्च न्यायालयों के लिए 96% (252 करोड़ रुपए (RE 2022-23) से 493 करोड़ रुपए (BE 2024-25)।

(36%) की गई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों पर मुक़दमों का बोझ उच्च न्यायालयों के सात गुना से भी अधिक है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बजटीय आवंटन और बढाए जाने की ज़रूरत है।

मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट के 'रिक्त पद प्रावधान' (उप-लघु) के लिए अपने बजट को 65 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 323 करोड़ रुपए कर दिया जो कि 300% से अधिक की बढ़ोतरी है। अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में राज्य ने 'विशेष न्यायालय - सांसद और विधायक' के बजट में 100% से अधिक (4 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए से अधिक) की वृद्धि की।

कर्नाटक ने भी हाई कोर्ट के आवंटन में 96% की वृद्धि की, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के बजट में इसने केवल 16% की बढ़ोतरी की। सबसे ज़्यादा वृद्धि हाई कोर्ट के लिए 'रिक्त पद प्रावधान' मद में हुई जो

चित्र 3.9: उत्तर प्रदेश: लंबित केसों की ज़्यादा दर

भारत के उच्च न्यायालयों में कुल लंबित मामलों में से 14% और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल लंबित मामलों में से 25% उत्तर प्रदेश से हैं।

	लंबित मामले (30.11.2024)		
	उच्च न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय	कुल लंबित मामले
उत्तर प्रदेश	8,37,086	1,15,95,720	1,24,32,806
पूरे भारत में हिस्सेदारी (%)	14	25	40
उच्च GDP वाले राज्यों में हिस्सेदारी (%)	19	34	33

कि 53 करोड़ रुपए (RE 2022-23) से 323 करोड़ रुपए (BE 2024-25) हो गया।

उत्तर प्रदेश वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच अधीनस्थ न्यायालयों और हाई कोर्ट - दोनों को आवंटन करने के मामले में शीर्ष पर रहा। राज्य में हाई कोर्ट के बजट का 30% नए हाई कोर्ट भवन के निर्माण और अधीनस्थ न्यायालय के बजट का 69% ज़िला एवं सत्र जज (उप-लघु शीर्ष) के लिए आवंटित किया गया। इस उप-लघु शीर्ष में वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता जैसे विभिन्न विषय/विस्तृत मद शामिल हैं। राज्यवार हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ न्यायालयों के बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 3.1 देखें।

ख. न्यायपालिका के लिए प्रशिक्षण बजट

न्यायपालिका का प्रशिक्षण बजट राज्य न्यायिक अकादमियों के रख-रखाव, प्रशिक्षण कर्मचारियों के वेतन के अलावा नई कक्षाओं एवं आवासीय परिसर जैसे अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण पर ख़र्च किया जाता है। राज्य न्यायिक अकादमियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्त सभी जजों को प्रशिक्षित करती हैं। भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए चुनिंदा जजों को प्रशिक्षित करती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकांश जजों को उनके संबंधित राज्य न्यायिक अकादमियों में प्रशिक्षित किया जाता है। राज्यवार न्यायपालिका प्रशिक्षण बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन की विस्तार में जानकारी के लिए, अनुलग्नक 3.2 देखें।

चित्र 3.10: अधीनस्थ न्यायालय: जजों की संख्या[4] और प्रशिक्षण

कुल मिलाकर, इन राज्यों का प्रशिक्षण बजट 2022-23 (RE) में 137 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 (BE) में 249 करोड़ रुपए हो गया।

	अधीनस्थ न्यायालय में जजों की वास्तविक संख्या (2024)	न्यायपालिका प्रशिक्षण बजट में RE 2022-23 से BE 2024-25 तक बदलाव (करोड़ रुपए)		
		2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	544	0.45	4.04	9.14
गुजरात	1,185	6.95	6.27	9.98
हरियाणा	552	NP	NP	NP
कर्नाटक	1,157	3.72	3.63	2.54
मध्य प्रदेश	1,692	5	0	16
महाराष्ट्र	1,940	19.52	16.12	14.49
राजस्थान	1,314	5.23	4.93	8.81
तमिलनाडु	1,023	9.86	9.23	10.6
तेलंगाना	445	6.78	3.74	5.09
उत्तर प्रदेश	2,717	71.62	29.12	164.08
पश्चिम बंगाल	875	8.09	5.72	8.16
कुल	**13,444**	**137**	**83**	**249**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

4 अधीनस्थ न्यायालयों में जजों की संख्या: स्रोत: लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 917.

चित्र 3.11: न्यायपालिका बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%)

न्यायपालिका बजट में प्रशिक्षण संबंधी आवंटन की औसत हिस्सेदारी में 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच मामूली बढ़ोतरी हुई। हालांकि यह हिस्सेदारी इस दौरान 1 प्रतिशत से भी कम रही।

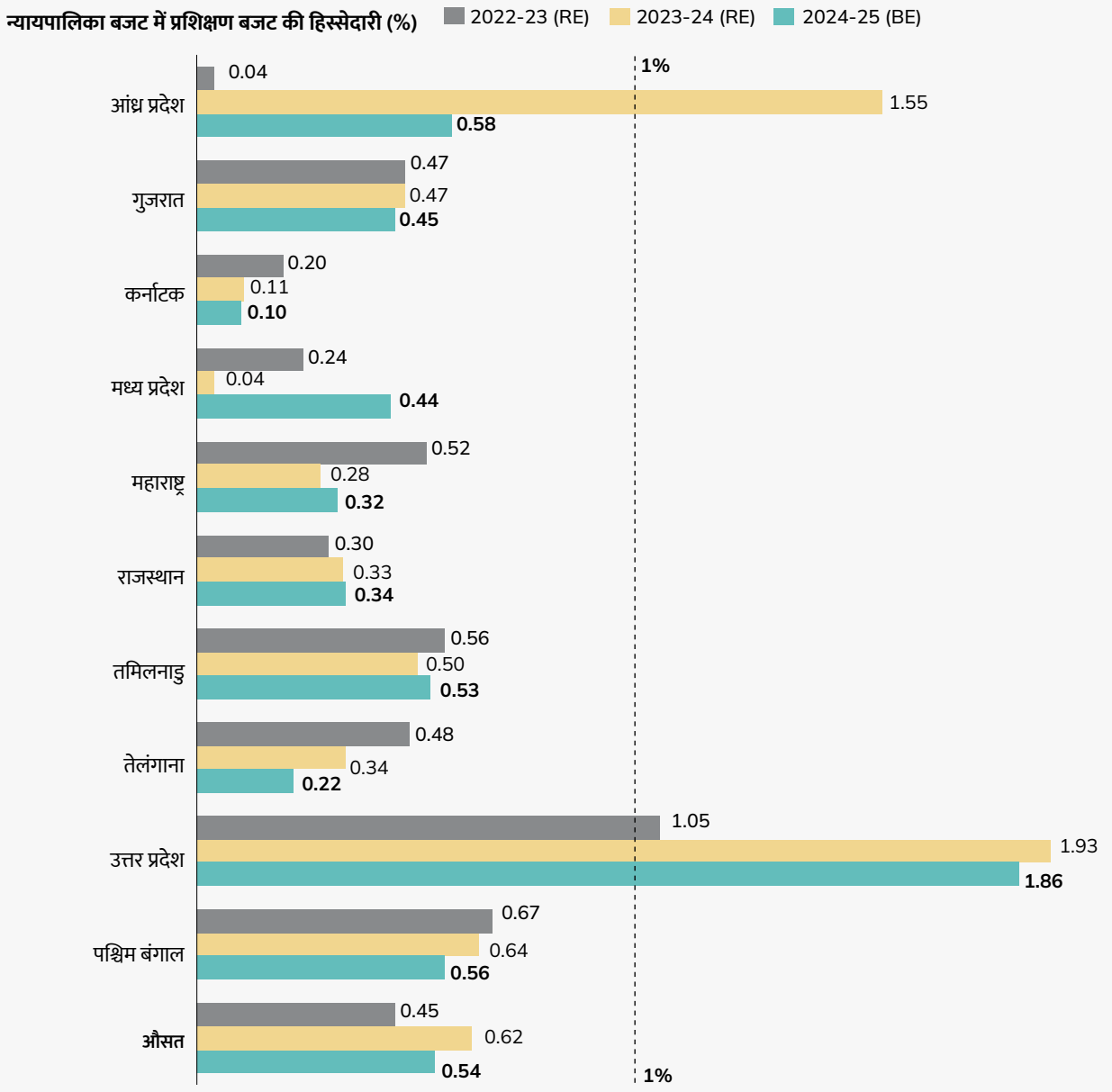

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। हरियाणा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

न्यायपालिका के बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी

वर्ष 2024-25 में केवल आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने प्रशिक्षण बजट के लिए राज्य के न्यायपालिका बजट के 1% से अधिक हिस्सा आवंटित किया गया। आंध्र प्रदेश ने गुंटूर स्थित अपनी नई राज्य न्यायिक अकादमी का प्रशिक्षण बजट 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच 0.45 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9 करोड़ रुपए कर दिया।

उपयोग: वर्ष 2022-23 में, इन राज्यों ने कुल मिलाकर अपने प्रशिक्षण बजट का केवल 61% ही उपयोग किया। इनमें आंध्र प्रदेश ने अपने प्रशिक्षण बजट का 100% से अधिक का उपयोग किया, उसके बाद कर्नाटक (98%), राजस्थान (94%) और तमिलनाडु (94%) का स्थान रहा।

उत्तर प्रदेश ने 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच अपने प्रशिक्षण बजट को 72 करोड़ से बढ़ाकर 164 करोड़ रुपए कर दिया जो कि 129% की वृद्धि है। 2022-23 में, उत्तर प्रदेश अपने प्रशिक्षण बजट का केवल 41% ही उपयोग कर पाया।

दूसरी ओर, कर्नाटक ने प्रशिक्षण बजट के लिए लगातार कम राशि आवंटित की। इसमें 2022-23 से 2024-25 के बीच 32% की गिरावट हुई और यह 2022-23 (RE) के 3.72 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2024-25 तक 2.54 करोड़ रुपए रह गया। इसका कारण समझने के लिए, IJR ने 'विषय मद' स्तर पर विश्लेषण किया। इस मद में केवल न्यायिक अकादमी (उप-लघु मद) के लिए आवंटन दिखा, जिसके अंतर्गत इसने 'सामान्य व्यय, मशीनरी और उपकरण, आदि' जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन कम कर दिया है। तेलंगाना और महाराष्ट्र ने भी इस अवधि के दौरान अपने प्रशिक्षण बजट में कटौती की।

ग. फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) यौन अपराधों से संबंधित मामलों, विशेष रूप से बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की सुनवाई में तेज़ी लाने के लिए स्थापित विशेष अदालतें हैं। कुल 750 फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में से 66% यानी 492 विशेष अदालतें उच्च GDP वाले 11 राज्यों में स्थित हैं। बच्चों और महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के कुल मामलों में से दो-तिहाई केस इन्हीं 11 राज्यों में दर्ज हैं। अक्टूबर 2024 तक, भारत के फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में ऐसे 2 लाख से अधिक मामले लंबित थे।[5]

इनमें से आठ राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के बजट दस्तावेज़ों के मुताबिक फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को न्यायपालिका के तहत बजट आवंटित किया गया। आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने FTSC के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया। इन राज्यों ने वर्ष 2024-25 में फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए कुल मिलाकर 382 करोड़ रुपए (BE) आवंटित किए। राज्यवार FTSC बजट, उनकी संख्या और निपटाए गए मामलों के लिए अनुलग्नक 3.3 देखें।

चित्र 3.12: FTSC: लंबित मामले और बजट [5]

उच्च GDP वाले राज्यों में प्रति FTSC औसत आवंटन 0.92 करोड़ रुपए है।

	विशेष पॉक्सो कोर्ट्स सहित FTSC की संख्या (अक्टूबर 2024)	प्रति FTSC औसत आवंटन (2024) (करोड़ रुपए में)	FTSC के समक्ष लंबित मामले (अक्टूबर 2024)
आंध्र प्रदेश	16	NA	6,425
गुजरात	35	0.28	5,680
हरियाणा	16	NA	4,351
कर्नाटक	31	0.61	5,436
मध्य प्रदेश	67	2.33	10,352
महाराष्ट्र	8	1.48	572
राजस्थान	45	NA	5,426
तमिलनाडु	14	1.46	4,525
तेलंगाना	36	0.75	8,424
उत्तर प्रदेश	218	0.62	91,125
पश्चिम बंगाल	6	0.33	4,235
कुल	**492**	**0.92**	**1,46,551**
राष्ट्रीय स्तर पर	**750**		**2,03,157**

राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में हैं।

5 FTSC की संख्या और लंबित मामले: स्रोत: DoJ डैशबोर्ड। https://dashboard.doj.gov.in/fast-track-special-court/pendency_by_ftsc

उपयोग: राज्यों ने 2022-23 में FTSC बजट का लगभग 85% उपयोग किया। तीन राज्यों (तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) ने 2022-23 में अपने FTSC बजट का 100% से अधिक का उपयोग किया। वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच, महाराष्ट्र के आवंटन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई और यह 79 करोड़ रुपए से घटकर 12 करोड़ रुपए रहा गया। राज्य बजट के मुताबिक FTSC बजट में केंद्र की हिस्सेदारी 2022-23 के 62 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में शून्य हो गई। इस अवधि में राज्य की हिस्सेदारी में भी 28% की गिरावट आई। पश्चिम बंगाल के FTSCs में 31 अक्टूबर 2024 तक 4 हजार से अधिक मामले लंबित थे लेकिन वर्ष 2022-23 और 2024-25[6] में भी इसने इन विशेष अदालतों के लिए सबसे कम 2 करोड़ रुपए आवंटित किए।

घ. तकनीक, बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण

भारत की अदालतें अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए निरंतर अपने बुनियादी ढांचे में सुधार और तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके लिए, राज्य अपने न्यायालयों को आधुनिक और इनके तकनीकी ढांचे

चित्र 3.13: FTSC बजट का उपयोग

वर्ष 2022-23 में, अध्ययन में शामिल राज्यों द्वारा FTSC बजट का औसत उपयोग 85% था। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः 128% और 114% का उपयोग किया, जबकि गुजरात और पश्चिम बंगाल में इसका सबसे कम उपयोग हुआ।

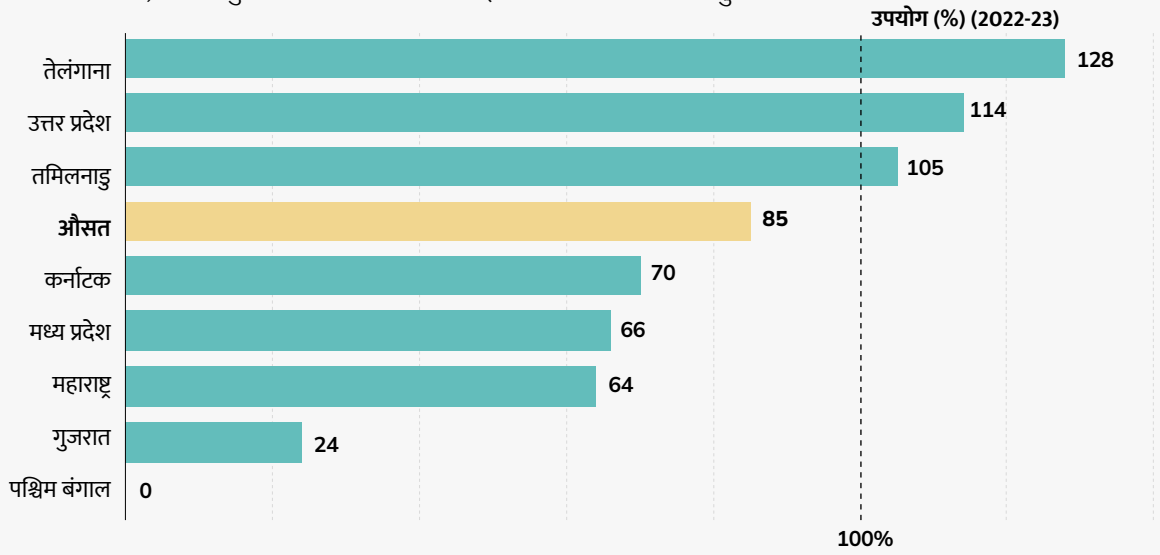

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (महाराष्ट्र)

वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच, महाराष्ट्र के आवंटन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई और यह 79 करोड़ रुपए से घटकर 12 करोड़ रुपए रहा गया। राज्य बजट के मुताबिक FTSC बजट में केंद्र की हिस्सेदारी 2022-23 के 62 करोड़ रुपए से घटकर 2024-25 में शून्य हो गई। इस अवधि में राज्य की हिस्सेदारी में भी 28% की गिरावट आई।

चित्र 3.14: महाराष्ट्र: फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के बजट में 28% की कमी

राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के तहत महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना (योजना)

	केन्द्रीय अंश (60%)	राज्य अंश (40%)	कुल (करोड़ रुपए में)
2021-22 (A)	4.19	2.82	7.01
2022-23 (RE)	62.12	16.52	78.64
2022-23 (AE)	33.53	16.52	50.05
2023-24 (RE)	37.50	25.00	62.50
2024-25 (BE)	0.00	11.80	11.80

6 FTSC की संख्या और लंबित मामले: स्रोत: DoJ डैशबोर्ड: https://dashboard.doj.gov.in/fast-track-special-court/pendency_by_ftsc

को उन्नत बना रहे हैं। तकनीक, आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट न्यायालय के नए भवनों के निर्माण, मौजूदा न्यायालयों के रखरखाव, पॉक्सो कोर्ट्स की स्थापना, अदालती रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण, न्यायालय परिसरों में CCTV के उपयोग आदि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जहां भी उलब्ध हो, इसमें ग्राम न्यायालयों के बजट को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर, 2024 में जजों के 25 हजार से अधिक स्वीकृत पदों के लिए 14% अदालती कक्षों की कमी थी। भारत की 64% अदालतें इन 11 राज्यों में स्थित हैं।[7]

ई-कोर्ट्स: फ़रवरी 2024 तक, पूरे भारत में कार्यरत 18,735 ई-कोर्ट्स में से 69% इन 11 राज्यों में संचालित हो रही थीं।[8] प्रत्येक ई-कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है ताकि ऑनलाइन सुनवाई और दूरदराज़ स्थित लोगों की अदालती कार्यवाही में भागीदारी को संभव बनाया जा सके।

उच्च GDP वाले 11 राज्यों में से, हरियाणा और राजस्थान ने विधि एवं न्याय विभाग के अंतर्गत तकनीक, आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया। शेष 9 राज्यों का, 2022-23 और 2024-25 के बीच इस मद के लिए कुल बजट 5,240 करोड़ रुपए (RE) से 47% से बढ़कर 7,693 करोड़ (BE) हो गया।

उपयोग: औसतन, राज्यों ने तकनीक, बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण के लिए अपने आवंटित बजट के 48% हिस्से का उपयोग किया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 100% से अधिक ख़र्च किया। उत्तर प्रदेश ने इस मद में आवंटन का सबसे कम उपयोग (18%) किया। हालांकि, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच उत्तर प्रदेश का आवंटन सबसे अधिक था और इसके बजट में 23% की वृद्धि हुई। गुजरात ने आवंटन में 200% की वृद्धि की, जो मुख्य रूप से अधीनस्थ

चित्र 3.15 अदालतों और ई-कोर्ट्स के लिए बजट

उच्च GDP वाले 9 राज्यों में 12,000 से ज़्यादा ई-कोर्ट्स कार्यरत थे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में जजों के सभी स्वीकृत पदों लिए अदालतें उपलब्ध थीं।

	अदालतों की कमी [9] (%) (अगस्त 2024)	जजों के स्वीकृत पद (अधीनस्थ न्यायालय)	कार्यरत ई-कोर्ट्स की संख्या [10] (फरवरी 2024)	तकनीक, आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट (AE, 2022-23) (करोड़ रुपए में)
आंध्र प्रदेश	-4.9	618	617	58
गुजरात	12.3	1,720	1,268	3
हरियाणा	25.5	773	500	NP
कर्नाटक	10.5	1,375	1,031	237
मध्य प्रदेश	21.0	2,028	1,363	1,392
महाराष्ट्र	-68.2	2,190	2,157	119
राजस्थान	15.4	1,641	1,240	NP
तमिलनाडु	9.4	1,369	1,124	36
तेलंगाना	2.0	560	476	83
उत्तर प्रदेश	23.3	3,698	2,222	443
पश्चिम बंगाल	12.5	1,105	827	169
कुल	**13.0**	**17,077**	**12,825**	**2,541**
राष्ट्रीय स्तर पर	**14.0**	**25,725**	**18,735**	**NA**

7 भारत भर में कोर्टरूम: राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1242, जिसका उत्तर 1 अगस्त 2024 को दिया गया, यह सवाल बुनियादी ढांचे पर ख़र्च से संबंधित था। 01/08/2024 तक की जानकारी।

8 ई-कोर्ट से संबंधित आंकड़े: स्रोत: कार्यरत ई-कोर्ट से जुड़ा 02/02/2024 को लोकसभा में पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 222।

9 जजों की संख्या: स्रोत: राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2043, 12/12/2024 को उत्तर दिया।देश में जज-जनसंख्या अनुपात। 09/12/2024 तक।
कोर्टहॉल संख्या स्रोत: राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1242, 1 अगस्त 2024 को उत्तर दिया, जिसमें अदालतों की बुनियादी संरचना पर हुए ख़र्च से जुड़े सवालों का उत्तर दिया गया। 01/08/2024 तक।

10 कार्यरत ई-कोर्ट्स की संख्या: स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 222, 2 फ़रवरी 2024 (शुक्रवार) को उत्तर दिया गया। 02/02/2024 तक।

अदालतों के कम्प्यूटरीकरण और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटित किया गया। महाराष्ट्र ने अपना आवंटन 27% घटाकर 181 करोड़ रुपए (RE 2022-23) से 133 करोड़ रुपए (BE 2024-25) कर दिया। तकनीक, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे संबंधी राज्यवार बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए, अनुलग्नक 3.4 देखें।

ङ. महाधिवक्ता कार्यालय

महाधिवक्ता कार्यालय का मुख्य कार्य हाई कोर्ट्स (किसी भी रीज़नल बेंच सहित) और भारत के सुप्रीम कोर्ट में राज्य से संबंधित अहम क़ानूनी मामलों में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। महाधिवक्ता, जो सरकार के मुख्य क़ानूनी सलाहकार होते हैं, के नेतृत्व में इस विभाग में विधि अधिकारियों की एक टीम कार्य करती है, जिसमें अपर महाधिवक्ता, सरकारी वकील, राज्य लोक अभियोजक और उच्च न्यायालय के सरकारी वकील शामिल हैं। महाधिवक्ता के मार्गदर्शन में ये अधिकारी विभिन्न अदालतों और ट्रिब्यूनल्स/न्यायाधिकरणों में मुक़दमों की पैरवी करते हैं।

> वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच, 11 उच्च GDP वाले राज्यों में महाधिवक्ता कार्यालय का कुल बजट 840 करोड़ रुपए (RE) से बढ़कर 1138 करोड़ रुपए (BE) हो गया, जो 35% की वृद्धि है। वर्ष 2021-22 में व्यय (AE) 690 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 783 करोड़ रुपए (13% की वृद्धि) हो गया। इन 11 राज्यों में, महाधिवक्ता कार्यालय का बजट अभियोजन निदेशालय के बजट (BE 2024-25: 775 करोड़ रुपए) से लगभग दोगुना (46.8%) है।

महाधिवक्ता कार्यालय का बजट लघु मद 'क़ानूनी सलाहकार और वकील' के अंतर्गत आता है। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 'महाधिवक्ता' के उप-लघु मद के अंतर्गत महाधिवक्ता कार्यालय के बजट को दर्शाते हैं। शेष राज्य - गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान - अधिवक्ता और विधि अधिकारी जैसे उप-लघु मद के तहत बजट आवंटित करते हैं। तमिलनाडु महाधिवक्ता के लिए बजट आवंटित नहीं करता है।

चित्र 3.16: महाधिवक्ता कार्यालय के लिए बजट

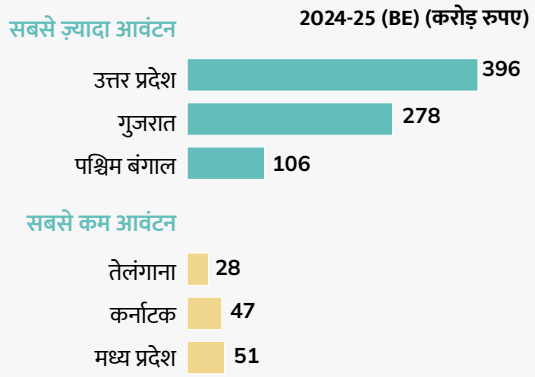

वर्ष 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच, गुजरात और राजस्थान ने महाधिवक्ता कार्यालय के लिए आवंटन में 50% से अधिक की वृद्धि की है। गुजरात में, यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से '2024-25 में सरकारी वकील (गुजरात हाई कोर्ट) का कार्यालय, ज़िला सरकारी वकील और कोर्ट फ़ीस के निरीक्षण अधिकारी का कार्यालय' के लिए बजट (BE) को शामिल करने के कारण हुई। इन्हें 2024-25 के बजट में नए उप-लघु मदों के रूप में शामिल किया गया जो कि 2023-24 के बजट में शामिल नहीं थे। राजस्थान में, इस अवधि में 'राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण मामलों के लिए स्थायी वकील' के लिए आवंटन में 6 लाख रुपए से 19 लाख रुपए की वृद्धि हुई है।

उपयोग: इन 11 राज्यों ने 2022-23 में महाधिवक्ता कार्यालय के लिए अपने आवंटित बजट का 90% से अधिक का उपयोग किया। गुजरात और पश्चिम बंगाल ने अपना लगभग पूरा बजट ख़र्च किया। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि महाधिवक्ता कार्यालयों पर कितने मामलों का कार्यभार है। महाधिवक्ता कार्यालय के राज्यवार बजट के लिए, अनुलग्नक 3.5 देखें।

अध्याय 4

अभियोजन

अभियोजन बजट: प्रमुख निष्कर्ष

28%

11 उच्च GDP वाले राज्यों द्वारा 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच अभियोजन के लिए **कुल बजट में की गई वृद्धि।**

126 करोड़ रुपए

सबसे अधिक बजट हरियाणा ने आवंटित किया। सबसे कम बजट 1.8 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश ने आवंटित किए।

829 करोड़ रुपए

वर्ष 2024-25 में अभियोजन निदेशालय के लिए **कुल आवंटन किया गया**, जो 2022-23 से 28% अधिक है।

73%

तेलंगाना ने अभियोजन के बजट में **सर्वाधिक वृद्धि**- 26 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45 करोड़ रुपए की।

अभियोजन बजट के कोड

अभियोजन निदेशालय के प्रमुख कार्यों में आपराधिक मुक़दमों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, मामलों की जांच करना और क़ानूनी सलाह प्रदान करना शामिल है। अभियोजक जुडिशल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट (ACJM) एवं चीफ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट्स और विशेष सत्र न्यायालयों सहित विभिन्न अदालतों में मुक़दमों की पैरवी करते हैं; जांच की निगरानी करते हैं और चार्टशीट्स की समीक्षा करते हैं।

अभियोजन के लिए बजट गृह विभाग या विधि एवं न्याय विभाग (कोड 2055 या 2014) के अंतर्गत आवंटित किया जाता है। यह बजट निदेशालय के दैनिक कार्यकलाप, प्रशिक्षण और अभियोजकों के वेतन एवं भत्तों के लिए आवंटित किया जाता है।

4.1 अभियोजन के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण

इन 11 राज्यों ने कुल मिलाकर 2024-25 में अभियोजन के लिए 829 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2022-23 की तुलना में 28% अधिक है। वर्ष 2021-22 (AE) से 2022-23 (AE) के बीच ख़र्च में भी 11% की वृद्धि हुई।

IJR ने उच्च GDP वाले राज्यों के अभियोजन विभागों की वेबसाइट्स के ज़रिए विभाग के विभिन्न पदों की स्वीकृत और/या वास्तविक संख्या का पता लगाया। हालांकि, सभी राज्य ये आंकड़े एक ही तरह नहीं उपलब्ध कराते हैं। जैसे, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की वेबसाइट पर अधिकारी और क्लर्क - दोनों स्तर के कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक केवल अधिकारियों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा, इन वेबसाइट्स पर कर्मचारियों की संख्या के साथ यह जानकारी नहीं मिलती कि ये आंकड़े हाल के हैं या पुराने, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वर्तमान में स्टाफ़ की स्थिति क्या है।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच अभियोजन (अभियोजन निदेशालय) के लिए महाराष्ट्र का बजट सबसे ज़्यादा था। यह बजट विभाग के कर्मचारियों के वेतन, भुगतान और ख़र्चों के लिए आवंटित किया जाता है।

उपयोग: वर्ष 2022-23 में, उच्च GDP वाले राज्यों ने अपने बजट का लगभग 92% उपयोग किया। उत्तर प्रदेश ने अभियोजकों के प्रशिक्षण के लिए 2022-23 में 3 करोड़ रुपए का आवंटन तो किया लेकिन इस अवधि में इस पर कोई राशि ख़र्च नहीं की।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने 2022-23 में अपने अभियोजन बजट के लिए आवंटित राशि से ज़्यादा का उपयोग किया। हरियाणा ने सबसे कम (80%) उपयोग किया। प्रशिक्षण के लिए आवंटित 1.14 करोड़ रुपए में से 5 लाख रुपए से भी कम का उपयोग किया गया। वर्ष 2022-23 में राज्य द्वारा दूसरी सबसे बड़ी राशि (113 करोड़ रुपए) आवंटित की गई।

तेलंगाना ने आवंटन में सबसे ज़्यादा वृद्धि की जो 26 करोड़ रुपए से बढ़कर 45 करोड़ रुपए हो गया। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने अपने बजट में कटौती की। गुजरात अभियोजन निदेशालय (उप-लघु मद) में बजट आवंटित करता है, जबकि उत्तर प्रदेश अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बजट प्रदान करता है। राज्यवार अभियोजन बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए, अनुलग्नक 4 देखें।

चित्र 4.1: 1-3 वर्ष से लंबित आपराधिक केस[1]

2024 में, उच्च GDP वाले राज्यों के हिस्से में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों दोनों में लंबित आपराधिक मामलों का 70 प्रतिशत से अधिक आया, जिससे अभियोजन सेवाओं पर कार्यभार बढ़ गया। इन राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 46.3 लाख लंबित मामले दर्ज किए गए, जबकि उनके उच्च न्यायालयों में 2 लाख से अधिक मामले लंबित थे।

	अधीनस्थ न्यायालय	उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश	95,846	6,505
गुजरात	3,11,430	8,404
हरियाणा	2,44,845	18,348
कर्नाटक	2,72,004	12,248
मध्य प्रदेश	3,34,474	22,242
महाराष्ट्र	7,64,838	18,806
राजस्थान	3,42,915	30,081
तमिलनाडु	1,69,350	13,594
तेलंगाना	1,34,438	7,199
उत्तर प्रदेश	14,22,743	61,379
पश्चिम बंगाल	5,33,008	3,864
उच्च GDP वाले राज्य	**46,25,891**	**2,02,670**
कुल	**64,71,284**	**2,54,346**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

1 2024 तक।

चित्र 4.2: 11 राज्यों का अभियोजन बजट (करोड़ रुपए)

2022-23 में, इन राज्यों का कुल अभियोजन बजट व्यय (AE) 599 करोड़ रुपए था।

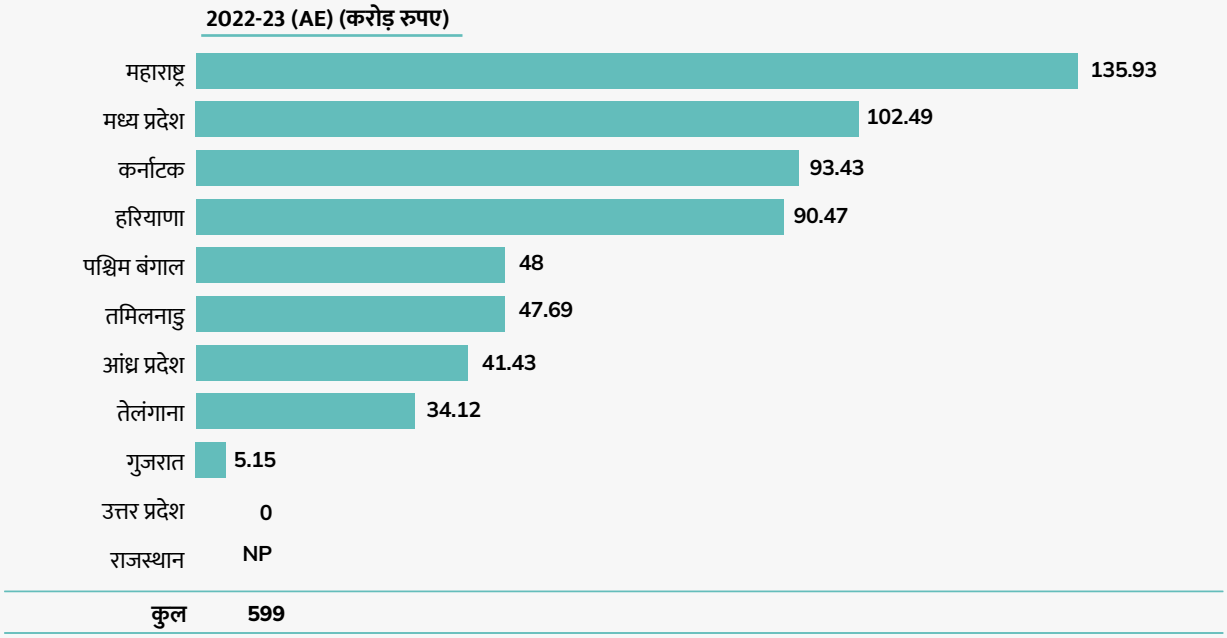

राज्यों के नाम आवंटन के घटते क्रम में हैं।

अध्याय 5

जेल

जेल बजट: प्रमुख निष्कर्ष

0.23 रुपए
औसतन, राज्यों द्वारा 2024-25 में प्रत्येक 100 रुपए में से जेलकर्मियों के **प्रशिक्षण पर ख़र्च किए गए।**

2%
हिस्सा ही आवंटित बजट में से 2024-25 (BE) में **जेलों के आधुनिकीकरण** पर ख़र्च किया गया। वर्ष 2024-25 में इन राज्यों ने आधुनिकीकरण के लिए कुल **126 करोड़ रुपए (BE)** आवंटित किए।

45%
कुल वृद्धि हुई 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के जेल बजट में, जो **7,247 करोड़ रुपए** रही।

4 राज्यों [1]
ने केंद्रीय और ज़िला जेलों के बजट को **उप-लघु मदों** में आवंटित किया।

चित्र 5.1: जेल- अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE)

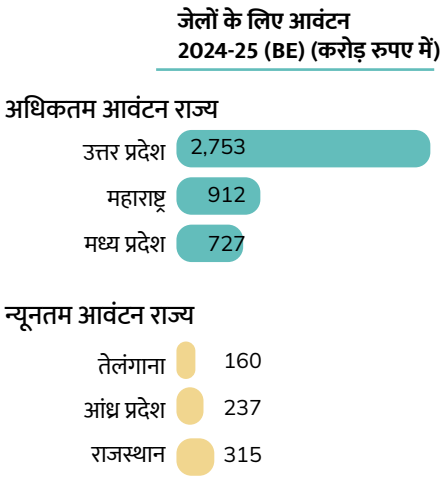

जेल के लिए बजट कोड

पुलिस बजट की तरह, जेल बजट भी गृह विभाग के बजट के एक हिस्से के रूप में पेश किया जाता है। इन सभी 11 राज्यों में 'जेल/कारागार/सुधार सेवाएं' 'मुख्य मद' है, और 'संचालन एवं प्रशासन, जेल, जेल निर्माण, प्रशिक्षण' आदि 'लघु मद' हैं। इसके अलावा, कुछ 'उप-लघु मद' भी हैं जो जेलों के प्रकारों के अनुसार बजट संबंधी अलग-अलग जानकारी प्रदान करती हैं। ये मद जेल कर्मचारियों के आवास, जेलों के आधुनिकीकरण, जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं, पानी की टंकियों का निर्माण या मरम्मत, RO की ख़रीद या मरम्मत जैसी जेल/सुधार सुविधाओं संबंधित ख़र्च की जानकारी देते हैं। 'वस्तु मद' और 'विस्तृत मद' स्तर पर बजट दस्तावेज़ में वेतन और भुगतान, विभिन्न भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता आदि जैसे विस्तृत विवरण दिए जाते हैं।

न्याय के अन्य स्तंभों की तरह, जेल बजट का विश्लेषण भी उप-लघु मद स्तर तक सीमित है। हालांकि कुछ चुनिंदा मामलों में, बजट के उपयोग और उसके परिणामों के विश्लेषण के लिए विषय और विस्तृत मद स्तरों पर भी गहराई से पड़ताल की गई है। अध्ययन में केंद्रीय और ज़िला जेल, जेलों के लिए बुनियादी ढांचे, जेल कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण और जेलों के आधुनिकीकरण संबंधी बजट के विश्लेषण की कोशिश की गई है।

1 गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान।

5.1 जेल बजट: संक्षिप्त विवरण

31 दिसंबर 2022 तक, भारत की 1,330 जेलों में बंद 5.73 लाख क़ैदियों में से 60% (लगभग 3.48 लाख) क़ैदी उच्च GDP वाले 11 राज्यों की जेलों में बंद थे। इन राज्यों में ऑक्यूपेंसी रेट (137%) राष्ट्रीय औसत (131%) से ज़्यादा है।

चित्र 5.2: 11 राज्यों का जेल बजट (करोड़ रुपए)

प्रति व्यक्ति ख़र्च में क्रमिक वृद्धि के साथ, जेल बजट 2024-25 (BE) में 7,247 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

2024-25 (BE)

जेल बजट	राज्य बजट में जेल बजट का %	न्यायिक बजट में जेल बजट का %	प्रति व्यक्ति ख़र्च (रु.)
7,247 करोड़ रुपए	0.14%	3.7%	75 रुपए

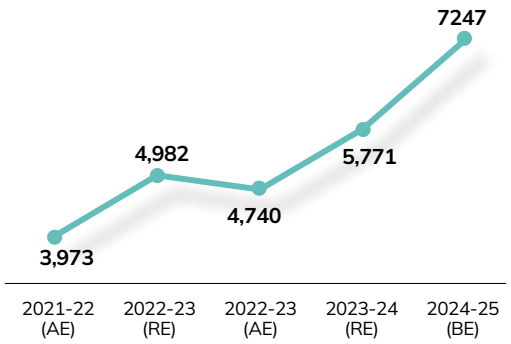

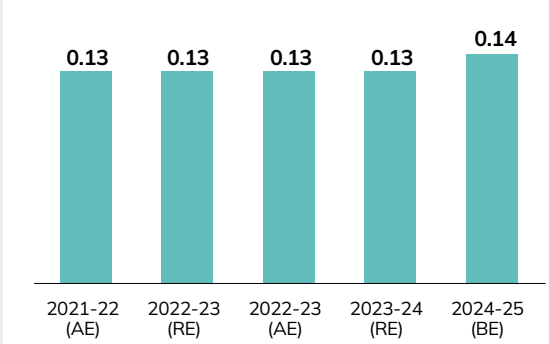

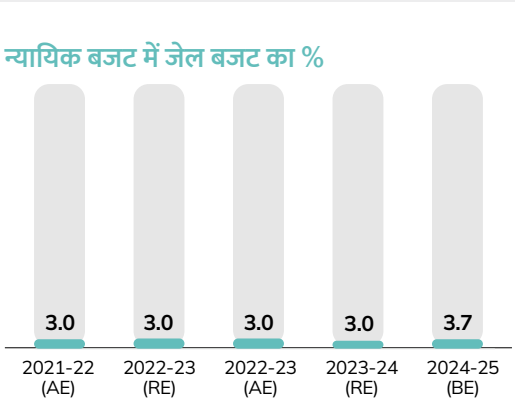

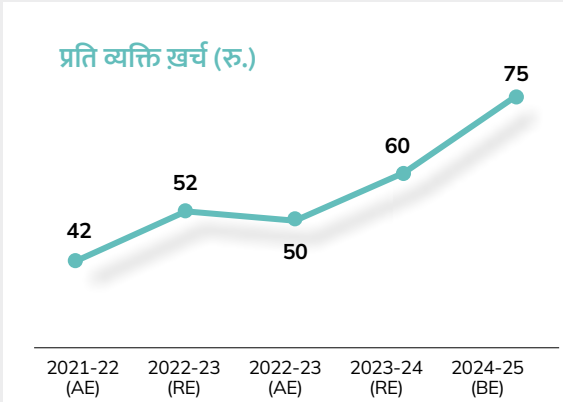

चित्र 5.3: जेलों में अधिभोग

वर्ष 2022 में उच्च GDP वाले राज्यों में राष्ट्रीय औसत (131%) की तुलना में अधिक जेल अधिभोग दर (137%) दर्ज की गई।

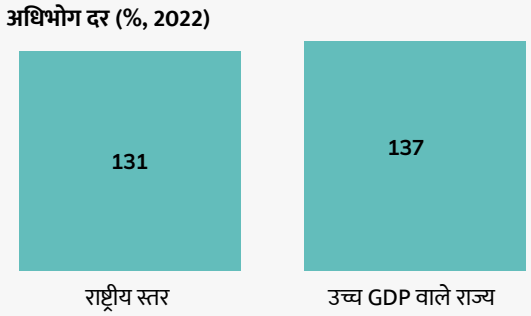

वर्ष 2024-25 में, इन राज्यों ने जेलों के लिए 7,247 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2022-23 (RE) से 45% की बढ़ोतरी है। 2021-22 से 2022-23 के बीच वास्तविक व्यय में भी 19% की वृद्धि हुई। उच्च GDP वाले 11 राज्यों के कुल न्यायिक बजट में जेल बजट की हिस्सेदारी लगभग 3.7% है। हालांकि, यह हिस्सा राज्य के कुल बजट के 1% से भी कम है।

प्रति क़ैदी दैनिक ख़र्च

इन 11 राज्यों में, 2022-23 में प्रति क़ैदी औसत दैनिक ख़र्च 402 रुपए था, जो इस अवधि के राष्ट्रीय औसत दैनिक ख़र्च (121 रुपए) से अधिक था। राज्यवार जेल बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 5 देखें।

क़ैदियों पर ख़र्च: IJR 2025

IJR कुछ प्रमुख मापदंडों के आधार पर न्याय स्तंभों के लिए बजट का आकलन करता आ रहा है। जैसे, राज्य के कुल व्यय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति ख़र्च और न्याय के स्तंभों पर ख़र्च में कितनी वृद्धि हुई।

चित्र: 5.4 प्रति क़ैदी ख़र्च

वर्ष 2022-23 में प्रति क़ैदी ख़र्च में राज्यों के बीच में बहुत भिन्नता रही, जिसमें आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक, 733 रुपए प्रतिदिन, ख़र्च किए जो राष्ट्रीय औसत (121 रुपए) से छह गुना अधिक है।

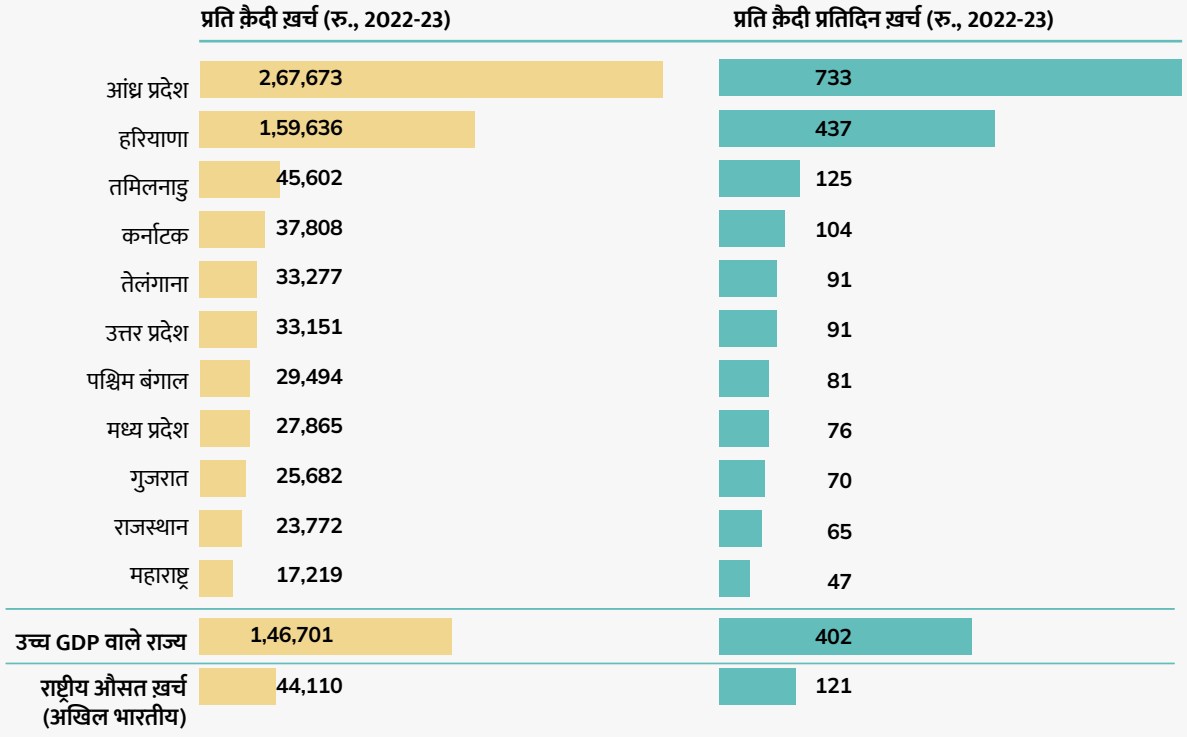

राज्यों के नाम ख़र्च के घटते क्रम में हैं।

5.2 जेल बजट: प्रमुख क्षेत्र

क. केंद्रीय और ज़िला जेल

भारत में 148 केंद्रीय और 428 ज़िला जेल हैं, जिनमें औसतन क्रमशः 125% और 157% ऑक्यूपेंसी (जेलों की आधिकारिक क्षमता के मुक़ाबले वहां मौजूद क़ैदियों की दर) रहती है।[2] इनमें से लगभग आधी जेलें (75 केंद्रीय और 250 ज़िला जेल) शीर्ष ग्यारह GDP वाले राज्यों में हैं।

जेल बजट को अलग-अलग घटकों में बांटने के तरीक़े में राज्यों के बीच काफ़ी भिन्नता होती है। केवल गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ही केंद्रीय और ज़िला जेलों के बजट को 'केंद्रीय जेल' और 'ज़िला जेल' की अलग-अलग 'लघु मदों' में बांटकर प्रस्तुत करते हैं। शेष राज्यों में, इन दोनों प्रकार की जेलों के बजट को एक ही लघु मद के अंतर्गत समग्र रूप से आवंटित किया जाता है।

हरियाणा के बजट में 'कारा विनिर्माण' नामक लघु मद के अंतर्गत केंद्रीय और ज़िला जेलों को अलग-अलग घटकों के रूप में दर्शाया जाता है। एक अन्य लघु मद, 'जेल', के तहत इसमें 'बोर्स्टल इंस्टिट्यूट और किशोर गृह सहित केंद्रीय व ज़िला जेलों' (उप-लघु मद) के लिए बजट आवंटित किया गया है।

तमिलनाडु और मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की जेलों के लिए समेकित आवंटन करते हैं। तमिलनाडु की लघु मद 'जेल' में जेल से संबंधित दो उप-लघु मद इस प्रकार हैं, 1. उप-जेलों के अलावा अन्य जेलें और 2. उप-जेलें (उप-लघु मद)।

चित्र 5.5: केंद्रीय और ज़िला जेल: क़ैदियों की संख्या और बजट

वर्ष 2022-23 में, राज्यों ने केंद्रीय जेलों पर 1,388 करोड़ और ज़िला जेलों पर 306 करोड़ रुपए ख़र्च किए। कई राज्यों के जेल बजट से संबंधित अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बजट उपलब्धता पर टिप्पणी	उप मद	क़ैदियों की संख्या (2022)		2022-23 (AE) (करोड़ रुपए में)	
			केंद्रीय जेल	ज़िला जेल	केंद्रीय जेल	ज़िला जेल
आंध्र प्रदेश	बिना अलग-अलग विवरण के केवल "जेल" मद के तहत जानकारी प्रदान करता है।	उपलब्ध नहीं	4,542	1,112	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
गुजरात	केंद्रीय और ज़िला जेलों को उप-लघु मदों में बांटता है।	जेल	9,961	3,739	95	46
हरियाणा	केंद्रीय और ज़िला जेलों को उप-लघु मदों में बांटता है।	विनिर्माण	4,500	20,971	1	2
कर्नाटक	बिना किसी विभाजन के केवल "जेल" मद के तहत जानकारी प्रदान करता है।	उपलब्ध नहीं	10,267	4,584	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	'केंद्रीय और ज़िला जेलों' को उप-लघु मद में शामिल करता है।	जेल	25,170	15,720	430	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
महाराष्ट्र	केंद्रीय और ज़िला जेलों को उप-लघु मदों में बांटता है।	जेल	28,337	10,395	249	174
राजस्थान	'मुख्य जेल' मद के तहत जानकारी प्रदान करता है।	जेल	10,148	8,091	237	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	'जेल (उप-जेलों के अतिरिक्त)' मद में जानकारी प्रदान करता है।	जेल	14,068	2,212	258	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
तेलंगाना	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	3,618	1,942	NA	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
उत्तर प्रदेश	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	12,132	1,08,396	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं	अलग-अलग बजट उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	केंद्रीय और ज़िला सुधार सुविधाओं को उप-लघु मदों में बांटता है।	सुधार गृह	15,705	6,928	118	84
कुल			**1,38,448**	**1,84,090**	**1,388**	**306**

उपलब्ध नहीं: बजट के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं। राज्यों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है।

2 प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022. पृष्ठ संख्या 21-23. इस लिंक पर उपलब्ध: https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701946506Table13-2022.pdf

मध्य प्रदेश केंद्रीय और ज़िला जेलों के बजट को लघु मद 'जेल' और उप-लघु मद 'केंद्रीय और ज़िला जेल' के तहत संयोजित करता है। इसलिए, इन राज्यों में केंद्रीय और ज़िला जेलों के बजट को अलग-अलग घटकों में बांटना संभव नहीं है। केंद्रीय एवं ज़िला जेलों के लिए राज्यवार बजट, उपयोग एवं आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 5.1 देखें।

अलग-अलग बजट विवरण उपलब्ध कराने वाले इन 6 राज्यों में केंद्रीय जेलों के लिए आवंटन 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच 24% बढ़कर 1454 करोड़ से 1805 करोड़ रुपए हो गया। इस अवधि में, ज़िला जेलों के लिए यह 18% बढ़कर 316 करोड़ से 373 करोड़ रुपए हो गया।

चित्र 5.6 जेलों की अधिभोग दर में बदलाव

वर्ष 2022 में उच्च GDP वाले राज्यों की जेलों में अधिभोग दर (137%) राष्ट्रीय औसत (131%) से अधिक रही।

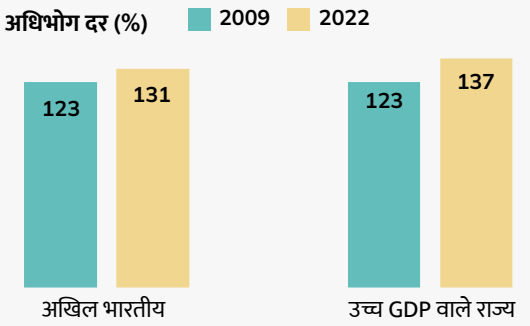

इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश की ऑक्यूपेंसी दर (180%) भी सबसे ज़्यादा है और इसने सबसे अधिक बजट आवंटन भी किया। इसने 2024-25(BE) में 1366 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तर प्रदेश ने 2022-23 से बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन में 300% से अधिक की वृद्धि की है जिसमें नई जेलों के निर्माण और मौजूदा जेलों के नवीनीकरण संबंधी आवंटन भी शामिल हैं।

वर्ष 2012 से 2022 बीच, राज्य ने अपने यहां क़ैदियों की क्षमता को 48,000 से बढ़ाकर 68,000 (लगभग 42% की वृद्धि) कर लिया। हालांकि, क़ैदियों की संख्या में भी 50% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे जेलों में लगातार क्षमता से ज़्यादा क़ैदी रहे। इस पूरी अवधि में ऑक्यूपेंसी दर 160% से अधिक रही।

चित्र 5.7: जेलों में बढ़ती भीड़

वर्ष 2022 में, अधिकांश राज्यों में क़ैदियों की संख्या उपलब्ध जेल क्षमता से अधिक हो गई। इनमें से उत्तर प्रदेश में तो यह लगभग दोगुनी हो गई। इन 11 राज्यों में 2.5 लाख क़ैदियों की क्षमता के मुक़ाबले 3.5 लाख क़ैदी हैं जो कि 137% की अधिभोग दर है।

	ऑक्यूपेंसी % (2022)	जेल के बुनियादी ढांचे पर ख़र्च (करोड़ रुपए में)	
		2022-23 (AE)	2024-25 (BE)
	100%		
उत्तर प्रदेश	180	247	1366
मध्य प्रदेश	164	55	107
महाराष्ट्र	161	8	197
पश्चिम बंगाल	134	NP	NP
हरियाणा	122	NP	NP
गुजरात	118	157	209
राजस्थान	107	NP	NP
कर्नाटक	104	150	101
आंध्र प्रदेश	84	1	9
तेलंगाना	81	0	0
तमिलनाडु	77	1	0
कुल	**137**	**619**	**1,990**

राज्यों के नाम अधिभोग दर के घटते क्रम में हैं।

अधिकांश राज्यों ने अपनी केंद्रीय और ज़िला जेलों के लिए आवंटित बजट के 90% से अधिक का उपयोग किया। विस्तृत केंद्रीय और ज़िला बजट के लिए अनुलग्नक 5.1 देखें।

ख. जेल का बुनियादी ढांचा

राज्यों को बैरकों, रसोईघरों और सुरक्षा संबंधी प्रणालियों सहित जेल बुनियादी ढांचे का नियमित रूप से उन्नयन, नवीनीकरण और निर्माण करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर, ऑक्यूपेंसी 2009 के 123% से भी बढ़कर 2022 में 131% हो गई। दिसंबर 2022 तक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की जेलों में क्षमता से अधिक क़ैदी थे।

पिछले 5 वर्षों (2018 से 2022) में, इन 11 राज्यों में उपलब्ध क्षमता 2.3 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर, इस अवधि में यह 3.9 लाख से बढ़कर 4.3 लाख हो गई।

इन राज्यों ने 2024-25 में जेलों के बुनियादी ढांचे के लिए कुल मिलाकर 1990 करोड़ रुपए आवंटित किए जो 2022-23 (RE) से 170% अधिक है। हालांकि, 2021-22 से 2022-23 के बीच ख़र्च में 43% की ही वृद्धि हुई।

उपयोग: कुल मिलाकर, इन राज्यों ने 2022-23 में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित बजट का 84% हिस्सा उपयोग किया। तमिलनाडु ने बुनियादी ढांचे से संबंधित आवंटन केवल 'जेल विभाग के लिए भवन निर्माण' के उप-लघु मद के तहत किया।

कर्नाटक (103.94%), तमिलनाडु (77.26%) और तेलंगाना (81.24%) ने बुनियादी ढांचे के लिए आवंटन में वृद्धि की, जबकि अपेक्षाकृत कम ऑक्यूपेंसी दर वाले एक अन्य राज्य, आंध्र प्रदेश, में यह कम हो गया। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना - ये तीनों राज्य बिना किसी विस्तृत मद के, जेलों के निर्माण या जेल विभाग के लिए भवन निर्माण (उप-लघु मद) के लिए बजट प्रदान करते हैं।

> इन 7 राज्यों में, वर्ष 2024-25 में जेल पर ख़र्च किए गए प्रत्येक 100 रुपए में से 0.23 रुपए कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ख़र्च किए गए।

चित्र 5.8: प्रशिक्षण का बजट

2022-23 (AE) में प्रशिक्षण के लिए बजट 0.36% था, जो 2024-25 (BE) में घटकर 0.23% हो गया।

	AE (2022-23)	BE (2024-25)
7 राज्यों का जेल बजट (करोड़ रुपए में)	3,292	5,178
7 राज्यों का जेल प्रशिक्षण बजट (करोड़ रुपए में)	12	17
जेल बजट में प्रशिक्षण का हिस्सा (%)	0.24	0.23

ग. प्रशिक्षण

जेलों के लिए आवंटित प्रशिक्षण बजट प्रशिक्षण संस्थानों के रख-रखाव, प्रशिक्षण कर्मचारियों के वेतन और इन संस्थानों की बुनियादी ढांचे संबंधी कार्यों पर ख़र्च किया जाता है। इन 11 राज्यों में से केवल 7 (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) ने जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया है।

राष्ट्रीय स्तर पर, 2022 में 20% जेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। दिसंबर 2022 तक, कर्नाटक ने अपने 50% से अधिक जेल कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया, जबकि बाक़ी दस उच्च GDP वाले शेष राज्यों ने अपने औसतन 22% जेल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।

जेल बजट में प्रशिक्षण संबंधी बजट का हिस्सा

औसतन, इन 7 राज्यों[3] ने जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 0.50% से भी कम राशि आवंटित की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने राज्य के जेल बजट का 1% से अधिक हिस्सा प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया।

चित्र 5.9: न्याय के विभिन्न स्तंभों में प्रशिक्षण का हिस्सा (%)

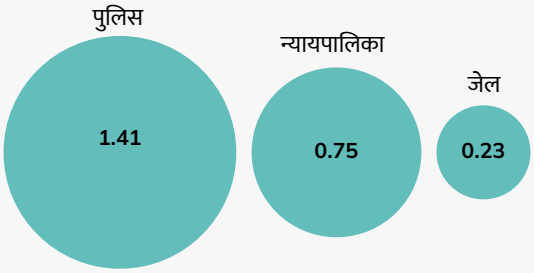

3 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश।

चित्र 5.10 जेल: 11 राज्यों में मानव संसाधन और बजट (करोड़ रुपए)

वर्ष 2022 में इन राज्यों में 24% जेल कर्मी प्रशिक्षित थे, जिसमें कर्नाटक 66% प्रशिक्षित कर्मियों के साथ सबसे आगे था।

	प्रशिक्षित जेल कर्मचारी (%)		जेल कर्मचारियों का प्रशिक्षण (करोड़ रुपए) (2022-23) (AE)
	2021	2022	
आंध्र प्रदेश	13	28	3
गुजरात	28	15	NP
हरियाणा	18	46	NP
कर्नाटक	155	66	1
मध्य प्रदेश	28	26	1
महाराष्ट्र	5	12	NP
राजस्थान	15	25	1
तमिलनाडु	6	7	0
तेलंगाना	11	29	2
उत्तर प्रदेश	8	20	4
पश्चिम बंगाल	14	12	NP
औसत	24	24	(कुल): 12
अखिल भारतीय	15.39	20.73	

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

न्याय के तीनों स्तंभों में से, केवल पुलिस प्रशिक्षण बजट ही कुल पुलिस बजट का औसतन 1% से अधिक है। न्यायपालिका और जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण बजट उनके संबंधित कुल विभागीय बजट के 1% से भी कम हैं।[4] कुल मिलाकर, जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण का बजट 2022-23 (RE) के 12 करोड़ से बढ़कर 2024-25 (BE) में 17 करोड़ रुपए हो गया जो कि 32% की वृद्धि है।

उपयोग: इन राज्यों ने अपने प्रशिक्षण बजट का 96% उपयोग किया। तमिलनाडु ने 2022-23 में अपने प्रशिक्षण बजट का सबसे कम उपयोग (61%) किया और इसका बजट अनुमान वर्ष 2023-24 से 2024-25 के बीच 1 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा। राज्यों का पिछले वर्षों में प्रशिक्षण बजट, इसके उपयोग, आवंटन में बदलाव और प्रशिक्षित कर्मचारियों के लिए अनुलग्नक 5.3 देखें।

घ. जेलों का आधुनिकीकरण

वर्ष 2021-22 में, मंत्रालय ने 950 करोड़ रुपए के बजट के साथ जेल आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मॉडल प्रिज़न मैनुअल 2016 के अनुरूप जेलों के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारात्मक सुविधाओं को बेहतर करना है।[5,6]

शीर्ष 11 GDP वाले राज्यों में से छह (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) राज्य बजट दस्तावेज़ों में जेल आधुनिकीकरण बजट का प्रावधान करते हैं। इन राज्यों ने 2024-25 में आधुनिकीकरण के लिए 126 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) आवंटित किए, जो 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 75 करोड़ रुपए से अधिक है। 2021-22 से 2022-23 के बीच ख़र्च भी 33 करोड़ रुपए से बढ़कर 75 करोड़ रुपए हो गया। इन राज्यों ने अपने जेल बजट का 1.74% हिस्सा जेल आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किया था। इन राज्यों ने अपने आधुनिकीकरण बजट का पूरा उपयोग किया।

4 ये ऐसे 7 राज्य हैं जिनके जेल बजट में प्रशिक्षण के लिए आवंटन किया जाता है, इनमें शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।

5 इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल हैं: (1) वीडियो कॉन्फ्रेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (2) शरीर पर लगाए जाने वाले (बॉडी वॉर्न) कैमरे (3) डोर फ्रेम/मेटल डिटेक्टर्स/सिक्योरिटी पोल्स और अन्य आधुनिक उपकरण (4) बैगेज स्कैनर/तलाशी/जैमिंग उपकरण और (5) क़ैदियों के लिए परामर्श/चिकित्सा/व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे सुधारात्मक कार्यक्रम। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेलों में जेल आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश। स्रोत: https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-09/GuidelinesModernisationPrisons_13092024.pdf

6 जेलों का आधुनिकीकरण। स्रोत: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1907161 https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-09/GuidelinesModernisationPrisons_13092024.pdf

अध्ययन में पाया गया कि राज्य उप-मदों के अंतर्गत 'जेलों का आधुनिकीकरण' योजना का बजट बजट आवंटित करते हैं। जैसे, उत्तर प्रदेश में जेल रसोई-घर का आधुनिकीकरण और महाराष्ट्र में जेलों में खेती का आधुनिकीकरण के तहत ऐसा किया जाता है।[7]

वर्ष 2024-25 में, राष्ट्रीय स्तर पर इस पहल के लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जबकि 2022-23 तक वास्तविक व्यय 150 करोड़[8] रुपए था। इन राज्यों ने अपने आधुनिकीकरण बजट का पूरा उपयोग किया। जेल आधुनिकीकरण बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन की राज्यवार विस्तृत जानकारी के लिए अनुलग्नक 5.4 देखें।

चित्र 5.11: उच्च GDP वाले राज्यों में विचाराधीन क़ैदी (2022)

11 उच्च GDP वाले राज्यों की जेलों में विचाराधीन क़ैदियों की संख्या 72% है, जो भारत के सभी विचाराधीन क़ैदियों का लगभग 60% है। पश्चिम बंगाल में यह संख्या सबसे अधिक 82% है।

	विचाराधीन क़ैदी (2022)	विचाराधीन क़ैदियों का प्रतिशत (2022) (%)
पश्चिम बंगाल	23,706	82
महाराष्ट्र	32,883	80
कर्नाटक	12,605	78
राजस्थान	19,233	78
उत्तर प्रदेश	94,131	77
हरियाणा	19,279	76
आंध्र प्रदेश	5,123	71
गुजरात	11,129	67
तेलंगाना	4,221	65
तमिलनाडु	11,564	61
मध्य प्रदेश	26,877	55
कुल	**2,60,751**	**73**
अखिल भारतीय	**4,34,302**	**76**
भारत के कुल विचाराधीन क़ैदियों में से उच्च GDP वाले राज्यों में बंद विचाराधीन क़ैदी (% में)	**60**	

राज्यों के नाम विचाराधीन क़ैदियों के प्रतिशत के क्रम में हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ने 2024-25 में जेल आधुनिकीकरण के लिए 78 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो शीर्ष 11 GDP राज्यों में सबसे अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश ने सबसे कम 1 करोड़ रुपए आवंटित किए।

महाराष्ट्र ने 2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच अपने जेल आधुनिकीकरण बजट को 11 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 78 करोड़ रुपए कर दिया। राज्य ने 'जेलों में सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण' और 'जेलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा' के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की।

चित्र 5.12: जेलों का आधुनिकीकरण

जेल सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए आवंटन 2022-23 (RE) के 5.6 करोड़ रुपए से दस गुना से अधिक बढ़कर 2024-25 (BE) में 66 करोड़ रुपए हो गया है।

	RE 2022-23 (करोड़ रुपए)	BE 2024-25 (करोड़ रुपए)
18 - जेलों में सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण। (योजना)	5.6	66.0
19 - जेलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा। (योजना)	4.6	8.7

7 महाराष्ट्र के जेल विभाग ने जेलों में आधुनिक कृषि उपकरणों से खेती करने की पहल शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, इस आधुनिकीकरण से न केवल क़ैदियों को उन्नत उपकरणों का प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि जेलों की कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी। स्रोत: https://indianexpress.com/article/cities/pune/maharashtra-modern-farm-equipment-prison-farming-8413602/

8 जेलों का आधुनिकीकरण। स्रोत: https://prsindia.org/budgets/parliament/demand-for-grants-2024-25-analysis-home-affairs

जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं

जेलों के आधुनिकीकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं को बेहतर बनाना भी शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर, कम-से-कम एक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाली जेलों की संख्या दिसंबर 2019 के 60% से बढ़कर दिसंबर 2022 में 86% हो गई।[9] वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा वाली आधी से ज़्यादा जेलें शीर्ष ग्यारह GDP वाले राज्यों में हैं (उच्च GDP वाले राज्य: 738, अखिल भारतीय: 1150)। हालांकि, ज़्यादा ऑक्यूपेंसी वाली जेलों में क़ैदियों की न्यायिक प्रक्रियाओं तक प्रभावी पहुंच के लिए केवल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंतज़ाम अक्सर अपर्याप्त साबित होते हैं। IJR 2025 के अनुसार, देश की 1,314 जेलों में से लगभग 400 में ऑक्यूपेंसी रेट 150% से ज़्यादा है। भारत के 60% से अधिक विचाराधीन क़ैदी उच्च GDP वाले ग्यारह राज्यों में हैं। इनमें से, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है।

ङ. जेल कर्मचारियों के लिए आवास

इन 11 राज्यों में से केवल उत्तर प्रदेश और राजस्थान ही जेल कर्मचारियों के आवास संबंधी बजट का विवरण प्रदान करते हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश ने 'जेल कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण' और राजस्थान ने 'क़ैदी एवं कर्मचारी कल्याण योजना' के उप-लघु मद तहत प्रदान की है।

पूरे भारत में, दिसंबर 2022 तक, 61.9% नियुक्त कर्मचारियों को आवास उपलब्ध था। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी जेल कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की बात कही है।[10] वर्ष 2024-25 में, राज्य ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए। दूसरी ओर, राजस्थान ने सिर्फ़ 0.65 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो अपने 32% कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराता है। जेल कर्मचारियों के आवास बजट के विस्तृत विवरण के लिए अनुलग्नक 5.5 देखें।

मकान किराया भत्ता

राज्य सरकारें जेल कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें किराया भत्ता भी प्रदान करती हैं। इस भत्ते को बजट में विभिन्न उप-लघु मदों, जैसे जेल, केंद्रीय जेल, ज़िला जेल और IG जेल आदि, के तहत विषय/विस्तृत मद के रूप में दर्शाया जाता है।

11 राज्यों में से सात (आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) ने मकान किराया भत्ते (HRA) के लिए बजट आवंटित किया। इन राज्यों ने 2022-23 में मकान किराया भत्ते पर 45 करोड़ रुपए ख़र्च (AE) किए, जो 2021-22 की तुलना में 10% अधिक है। यह बढ़ोतरी 2021 और 2022 के बीच कर्मचारियों की वास्तविक संख्या[11] में गिरावट के बावजूद हुई।

गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 2021 और 2022 के बीच अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की लेकिन चारों ने अपने मकान किराए भत्ते (HRA) के आवंटन में मामूली वृद्धि भी की। कुल मिलाकर, राज्यों ने 2024-25 (BE) में मकान किराया भत्ते के लिए 54 करोड़ रुपए आवंटित किए।

चित्र 5.13: जेल कर्मचारियों के लिए आवास - बजट और उपयोग (2022-23)

उत्तर प्रदेश और राजस्थान द्वारा जेल कर्मचारियों के आवास पर ख़र्च किए गए 28.31 करोड़ रुपए में से अकेले उत्तर प्रदेश ने 27.66 करोड़ रुपए ख़र्च किए।

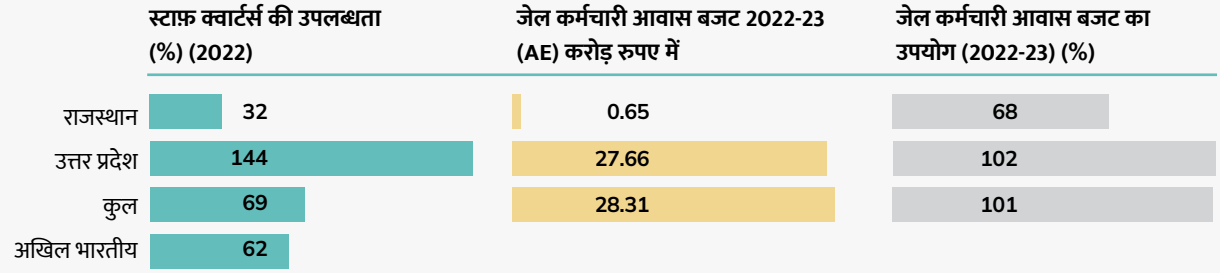

9 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाली जेलें: PSI 2020, PSI 2022।
10 जेल कर्मचारी आवास: PSI 2022।
11 HRA के लिए बजट आवंटित करने वाले राज्यों में कर्मचारियों की संख्या।

चित्र 5.14: जेल कर्मचारी आवास और मकान किराया भत्ता (HRA)

वर्ष 2021 और 2022 के बीच, 11 राज्यों में कर्मचारी आवास की औसत उपलब्धता वास्तविक स्टाफ़ संख्या की 56% रही और इसमें पिछले वर्षों के मुक़ाबले कोई बदलाव नहीं आया। इसके बावजूद, HRA पर 61 करोड़ रुपए ख़र्च किए गए जो 2021-22 से 55 करोड़ रुपए अधिक है।

	वास्तविक कर्मचारी संख्या		आवास उपलब्धता वाले वास्तविक कर्मचारी (2021) (% में)		HRA (AE) (करोड़ रुपए)	
	2021	2022	2021	2022	2021-22 (AE)	2022-23 (AE)
आंध्र प्रदेश	1,872	1,864	26	21	13	16
गुजरात	2,389	2,241	75	83	1	1
हरियाणा	2,731	2,696	90	80	NA	NA
कर्नाटक	3,202	3,131	37	38	NA	NA
मध्य प्रदेश	5,587	5,786	62	60	1	1
महाराष्ट्र	4,226	4,219	57	57	NA	NA
राजस्थान	3,375	3,312	28	32	NA	NA
तमिलनाडु	4,779	4,896	43	42	8	8
तेलंगाना	1,543	1,418	36	39	13	14
उत्तर प्रदेश	9,052	8,959	140	144	5	6
पश्चिम बंगाल	3,566	3,488	22	23	14	15
कुल	**42,322**	**42,010**	**68**	**69**	**55**	**61**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

अध्याय 6

क़ानूनी सहायता

क़ानूनी सहायता का बजट: प्रमुख निष्कर्ष

00.43%
हिस्सा कुल न्यायिक बजट में से 2024-25 (BE) में क़ानूनी सहायता को प्राप्त हुआ।

6 रुपए
औसत 11 उच्च GDP वाले राज्यों ने क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च किया।

2 राज्यों
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने ज़िला और मंडल स्तर के आवंटन की जानकारी दी। बाक़ी 9 राज्यों ने SLSA के लिए 2024-25 (BE) में SLSA को 267 करोड़ रुपए जारी किए।

1.71 रुपए
पश्चिम बंगाल ने प्रति व्यक्ति क़ानूनी सहायता के लिए साल 2024-25 में आवंटित किए। इसी अवधि में हरियाणा का आवंटन सबसे अधिक (25 रुपए) रहा।

चित्र 6.1: क़ानूनी सहायता बजट: अधिकतम और न्यूनतम आवंटन

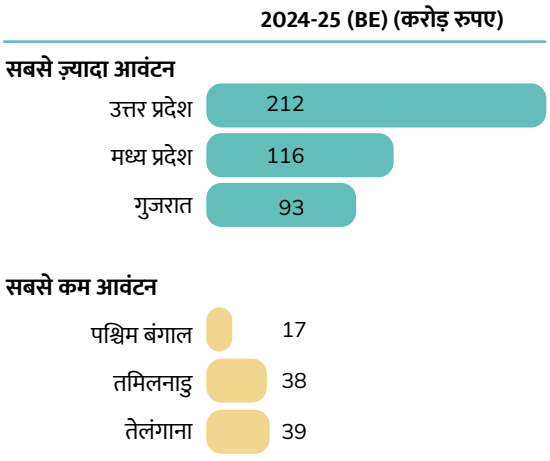

क़ानूनी सहायता बजट कोड

'विधि एवं न्याय विभाग' के न्यायपालिका से संबद्ध प्रमुख शीर्ष मद (2014 - न्यायिक प्रशासन) के तहत क़ानूनी सहायता बजट आवंटित किया जाता है। इसकी अपनी कोई मुख्य मद नहीं होती। इसलिए, क़ानूनी सहायता के मुख्य मदों के बजट कोड न्यायपालिका (2014) के समान हैं। वहीं, कर्नाटक में यह सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235) के कोड जैसे हैं। यह अध्ययन उप-लघु मद स्तर तक ही सीमित है। हालांकि, राजकोषीय गतिविधि और प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए यह कुछ ख़ास उदाहरणों में विषय और विस्तृत मद स्तरों तक का अध्ययन भी करता है। प्रत्येक लघु मद के लिए अलग-अलग बजट आवंटित किए जाते हैं, जैसे- SLSAs, पीड़ितों को मुआवज़ा आदि।

विषय और विस्तृत मद स्तर पर, बजट दस्तावेज़ वेतन और मज़दूरी, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे विभिन्न भत्तों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

6.1 क़ानूनी सहायता के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण

निःशुल्क क़ानूनी सहायता को पूरी दुनिया में क़ानून के शासन पर आधारित प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सुलभ और निःशुल्क क़ानूनी सहायता प्रतिनिधित्व, परामर्श, मध्यस्थता, जागरुकता कार्यक्रमों या रेफ़रल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और सभी की न्याय तक समान पहुंच के सिद्धांत को व्यावहारिक वास्तविकता में बदलती है।

'क़ानूनी सहायता प्रदाताओं' में पैरालीगल वॉलनटियर्स (PLVs), वकील (पैनल, रिटेनर और रिमांड), जेल विज़िटिंग वकील और हाल ही में शुरू किए गए पूर्णकालिक क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श कार्यालय (LADC) शामिल हैं। PVS समुदायों और क़ानूनी सेवा संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सेवाएं देश भर में उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। इनकी ज़िम्मेदारियों में क़ानूनी साक्षरता को बढ़ावा देना, क़ानूनी सलाह देना और सामान्य विवादों का शुरुआत में ही निपटारा करना आदि शामिल है।

इस अध्ययन में उच्चतम GSDP वाले 11 राज्यों के क़ानूनी सहायता बजटों के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। यह प्रत्येक राज्य में क़ानूनी सहायता बजट के अंतर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटित बजट की भी जानकारी प्रदान करता है। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के राज्य बजट दस्तावेज़ों से लिए गए हैं।

चित्र 6.2: क़ानूनी सहायता बजट

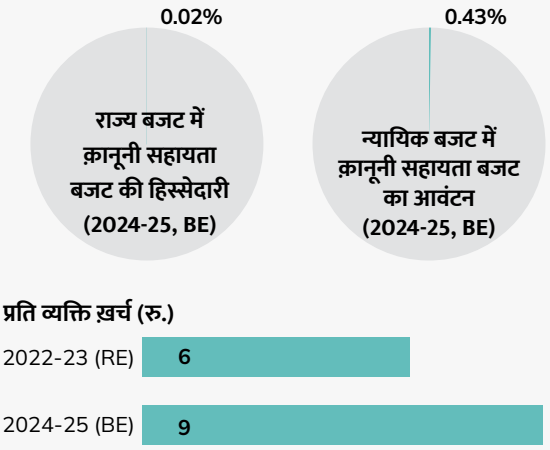

'विधि एवं न्याय विभाग' के न्यायपालिका से संबद्ध प्रमुख शीर्ष मद (2014 - न्यायिक प्रशासन) के तहत क़ानूनी सहायता बजट आवंटित किया जाता है। इसकी अपनी कोई मुख्य मद नहीं होती। इसलिए, क़ानूनी सहायता के मुख्य मदों के बजट कोड न्यायपालिका (2014) के समान हैं। वहीं, कर्नाटक में यह सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (2235) के कोड जैसे हैं। यह अध्ययन उप-लघु मद स्तर तक ही सीमित है। हालांकि, राजकोषीय गतिविधि और प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए यह कुछ ख़ास उदाहरणों में विषय और विस्तृत मद स्तरों तक का अध्ययन भी करता है। प्रत्येक लघु मद के लिए अलग-अलग बजट

चित्र 6.3: क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए में, 2024-25)

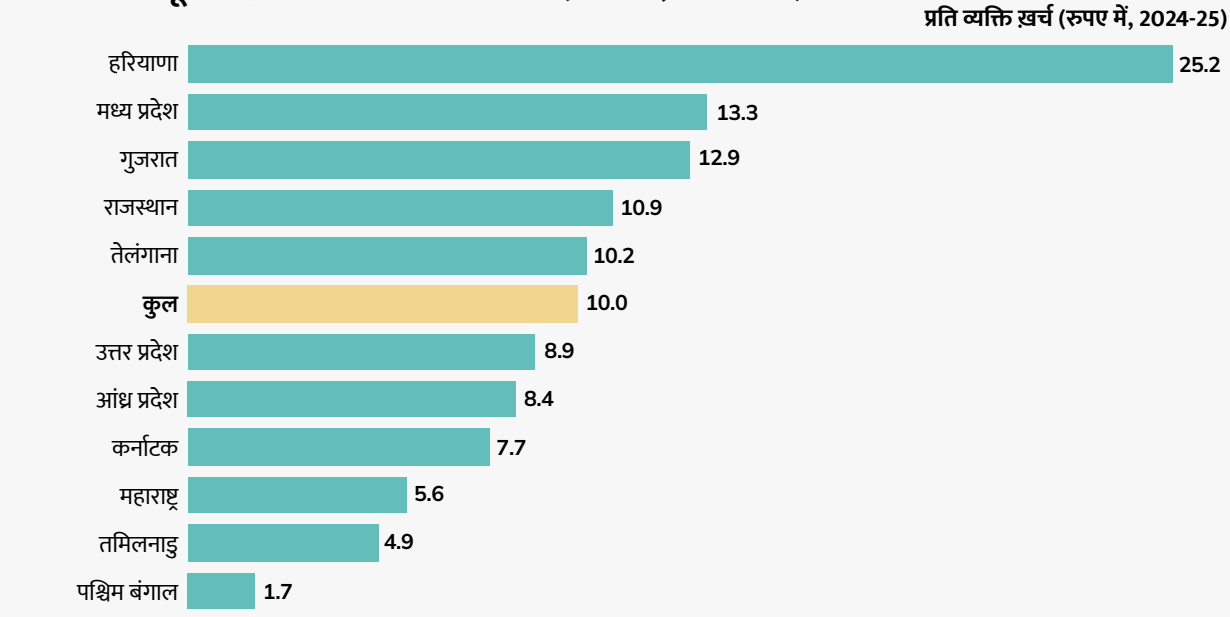

राज्यों के नाम प्रति व्यक्ति ख़र्च के घटते क्रम में दिए गए हैं।

IJR 2025
क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

IJR कुछ प्रमुख मापदंडों के आधार पर न्याय स्तंभों के लिए बजट का आकलन करता आ रहा है। जैसे, राज्य के कुल व्यय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति ख़र्च और न्याय के स्तंभों पर ख़र्च में कितनी वृद्धि हुई।

7 राज्यों: झारखंड (5 रुपए), असम (5 रुपए), उत्तर प्रदेश (4 रुपए), तमिलनाडु (4 रुपए), महाराष्ट्र (4 रुपए), बिहार (3 रुपए), पश्चिम बंगाल (2 रुपए) में प्रति व्यक्ति ख़र्च औसत 6.3 रुपए प्रति व्यक्ति ख़र्च 2022-23 (RE) से कम था।

चित्र 6.4: क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

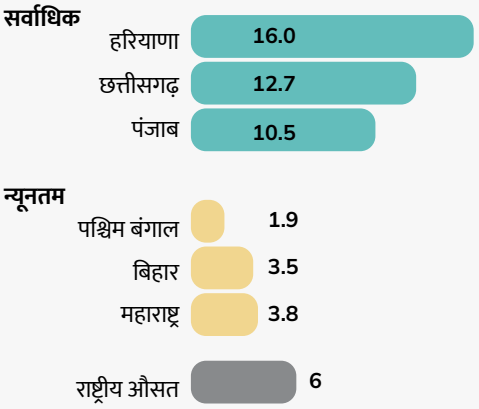

आवंटित किए जाते हैं, जैसे- SLSAs, पीड़ितों को मुआवज़ा आदि।

विषय और विस्तृत मद स्तर पर, बजट दस्तावेज़ वेतन और मज़दूरी, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसे विभिन्न भत्तों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

न्यायिक बजट के साथ-साथ राज्य बजट में भी क़ानूनी सहायता बजट का हिस्सा न्याय के सभी स्तंभों को आवंटित बजट में सबसे कम है। साल 2022-23 में, राष्ट्रीय स्तर पर क़ानूनी सहायता के लिए 836 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उच्च GDP वाले राज्यों ने इस वित्तीय वर्ष में 591 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह 2022-23 (RE) के उनके कुल न्यायिक बजट का लगभग 0.37% और 2024-25 (BE) का 0.43% था। इन 11 राज्यों ने क़ानूनी सहायता पर औसतन प्रति व्यक्ति 6 रुपए (2022-23 RE) ख़र्च किए, जो 2024-25 (BE) में बढ़कर 9 रुपए हो गया। हालांकि, राज्य बजट में (2022-23 से 2024-25) क़ानूनी सहायता का औसत प्रतिशत लगातार 0.02% के स्तर पर बना हुआ है। राज्यवार क़ानूनी सहायता बजट के लिए अनुलग्नक 6 देखें। औसतन, इन 11 राज्यों ने क़ानूनी सहायता पर 2022-23 (RE) में प्रति व्यक्ति 6 रुपए ख़र्च किए, जो 2024-25 (BE) में बढ़कर औसतन 9 रुपए हो गया।

6.2 क़ानूनी सहायता के लिए बजट: प्रमुख क्षेत्र

इस अध्ययन में जिन लघु मदों का विश्लेषण शामिल है, वे हैं: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका अदालतें, मध्यस्थता केंद्र, पीड़ित को

चित्र 6.5: क़ानूनी सहायता में पीड़ितों के लिए मुआवज़ा

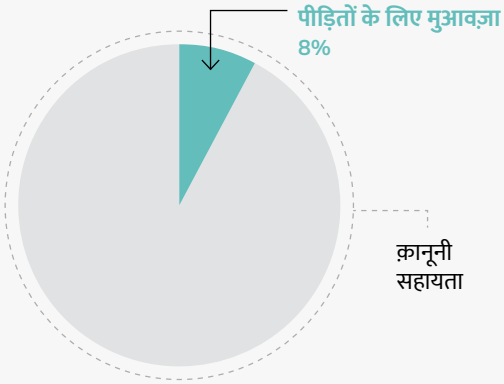

मुआवज़ा, मध्यस्थों/समाधानकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अनुदान और क्षमता निर्माण आदि।

क. पीड़ितों को मुआवज़ा

क़ानूनी सहायता प्रणाली की एक प्रमुख प्राथमिकता पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं का कार्यान्वयन है। ये योजनाएं ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्रदान करती हैं जिन्हें किसी अपराध के कारण नुक़सान हुआ है या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की ज़रुरत है।

इन 11 राज्यों में से 7 (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) 'विधि एवं न्याय विभाग' (या न्यायिक प्रशासन) के बजट में पीड़ित मुआवज़े का प्रावधान करते हैं। गुजरात में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मद में जेंडर बजट (वित्त

चित्र 6.6: पीड़ित को मुआवज़ा (करोड़ रुपए में)

साल 2022 में, इन 11 राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध 2.67 लाख से ज़्यादा अपराध IPC के तहत दर्ज किए गए। इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध (52,000 से ज़्यादा) दर्ज किए गए और राज्य ने पीड़ितों को 2 करोड़ रुपए मुआवज़े (AE) के तौर पर दिए।

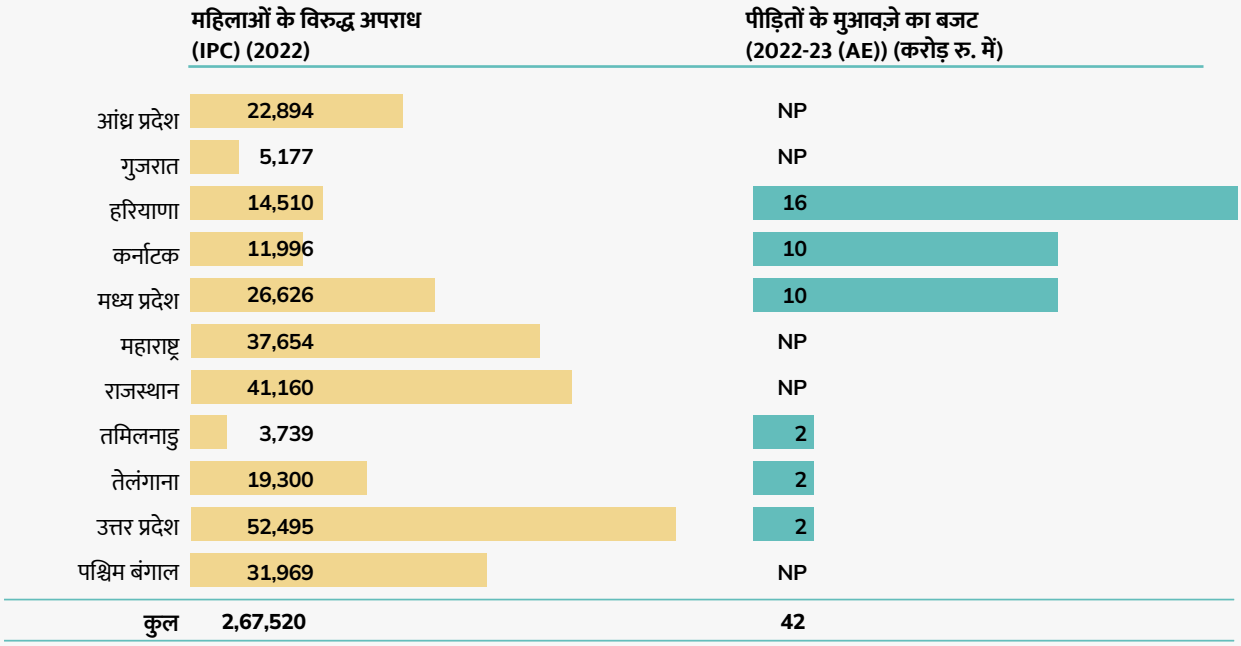

राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में हैं।

इन सात राज्यों ने मिलकर पीड़ितों को मुआवज़े के लिए आवंटन को 2022-23 (RE) के 37 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना कर 2024-25 में 66 करोड़ रुपए कर दिया। इससे संबंधित ख़र्च 2021-22 के 28 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 42 करोड़ रुपए हो गया।

वर्ष 2023) के तहत पीड़ितों के मुआवज़े के लिए 32 करोड़ रुपए का आवंटन दर्शाया गया था।[1] दिलचस्प है कि गुजरात के विधि एवं न्याय विभाग के वित्त वर्ष 2023 और 2024-25 के बजट में पीड़ित मुआवज़ा बजट मद में शामिल नहीं है।

व्यापक दिशानिर्देश के बावजूद, इन योजनाओं को पूरी तरह ज़मीन पर उतरना मुमकिन नहीं हो पाया है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में ऐसा है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2016-17 और 2021-22 के बीच राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरणों को मुआवज़े के लिए कुल 97,037 आवेदन मिले।[2] इनमें से, सभी राज्यों में केवल 64,333 आवेदनों (66 प्रतिशत) का ही निपटारा किया गया। पीड़ितों को मुआवज़े के राज्यवार बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 6.1 देखें।

उपयोग: औसतन, इन राज्यों ने 2022-23 में अपने पीड़ित मुआवज़ा बजट का पूरा उपयोग किया।[3] मध्य प्रदेश ने अपने आवंटित बजट से दोगुनी राशि ख़र्च की। राज्य ने 'मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित मुआवज़ा योजना 2015' के लिए 2022-23 (BE) में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए, उसी वर्ष इसे संशोधित कर 3.6 करोड़ रुपए (RE 2022-23) कर दिया और फिर 10 करोड़ रुपए (AE 2022-23) ख़र्च किए।

2024-25 में, मध्य प्रदेश ने आवंटन में 500% से अधिक की वृद्धि कर इसे 25 करोड़ कर दिया। आवंटन संबंधी अलग-अलग विवरण के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि यह वृद्धि वास्तव में किस मद में की गई। शेष राज्यों ने अपने-अपने बजट में या तो मामूली वृद्धि की या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं की।

साल 2022-23 से 2024-25 के बीच 7 राज्यों में हुई 26 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी में से अकेले मध्य प्रदेश का योगदान 21 करोड़ रुपए का था।

1 गुजरात जेंडर बजट 2024-25, पृष्ठ 25. (विधि विभाग)।
2 पीड़ितों का मुआवज़ा, नालसा। स्रोत: https://nalsa.gov.in/victim-compensation/
3 आंध्र प्रदेश ने केवल 2024-25 के लिए आवंटन दर्शाया है।

चित्र 6.7: मध्यस्थता: प्राप्त और निपटाए गए मामले (अप्रैल 2023-मार्च 2024)

2023-24 के दौरान मध्यस्थता के कुल मामलों में से 72% मामले उच्च GDP वाले राज्यों से संबंधित थे और राष्ट्रीय स्तर पर निपटाए गए कुल मामलों में से 64% इन राज्यों से संबंधित थे।

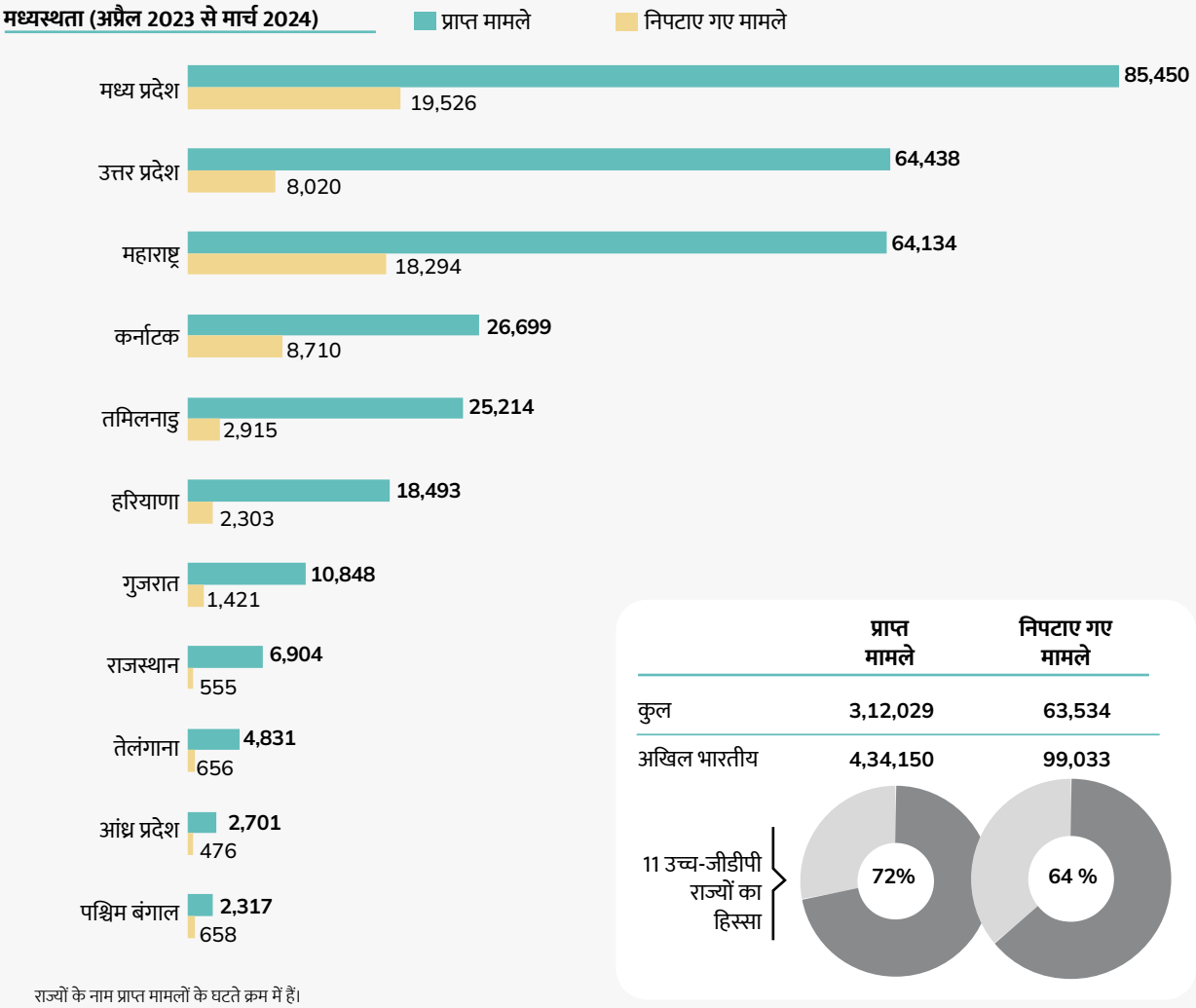

	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
कुल	3,12,029	63,534
अखिल भारतीय	4,34,150	99,033

IJR ने यह भी पता लगाया कि क्या विधि एवं न्याय और/या न्यायिक प्रशासन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करते हैं। हरियाणा और कर्नाटक क्रमशः 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग' और 'राजस्व विभाग' के तहत तेज़ाब हमलों के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए बजट आवंटित करते हैं।

ख. वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (ADR)/मध्यस्थता केंद्र

छह राज्यों (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) के बजट दस्तावेज़ों में ADR और मध्यस्थता केंद्रों संबंधी आवंटन के आंकड़े दिए गए हैं। इन छह राज्यों ने कुल मिलाकर 2024-25 (BE) में 60 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2022-23 (RE) के 63 करोड़ रुपए से कम है। ख़र्च (AE) 2021-22 में 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 27 करोड़ रुपए हो गया। ADR और मध्यस्थता के लिए राज्यवार आवंटन के लिए अनुलग्नक 6.2 (B) देखें।

उच्च GDP वाले राज्यों में, साल 2024-25 तक उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक (35 करोड़ रुपए) और तेलंगाना ने सबसे कम (2.36 करोड़ रुपए) राशि आवंटित की। औसतन, इन राज्यों ने 2022-23 में अपने ADR/मध्यस्थता बजट का लगभग 41% उपयोग किया। तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने आवंटित बजट का लगभग पूरा उपयोग किया।

साल 2024-25 में, कर्नाटक ने 'कर्नाटक मध्यस्थता केंद्र (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय)' के लिए 4 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह एक ग़ैर-लाभकारी उद्यम है जिसकी स्थापना 2012 में उच्च न्यायालय के संरक्षण और मार्गदर्शन में की गई थी।[4] तमिलनाडु के बजट दस्तावेज़ के मुताबिक मद्रास स्थित ADR और मध्यस्थता केंद्र में मीडिएशन एंड कन्सिलिएशन सेंटर के लिए राशि आवंटित की गई।

महाराष्ट्र ने 2022-23 (RE) में ADR सेंटर्स के लिए राशि आवंटित की थी लेकिन 2024-25 (BE) में ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश ने 2022-23 से 2024-25 के बीच 'ADR सेंटर्स स्थापना और मध्यस्थों के प्रशिक्षण' के लिए आवंटन 11 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया।

चित्र 6.8: 11 राज्यों में ADR, मध्यस्थता और आवंटित बजट (करोड़ रुपए)

साल 2023-24 में, राष्ट्रीय स्तर पर संचालित सभी ADR और अन्य मध्यस्थता केंद्रों में से क्रमशः 63% और 68% केंद्र उच्च GDP वाले राज्यों में स्थित थे।

	केंद्र (अप्रैल 2023 से मार्च 2024		ADR/मध्यस्थता केंद्र के लिए बजट (करोड़ रुपए)	
	ADR सेंटर	मौजूदा मध्यस्थता केंद्र (ADR सेंटर्स के अलावा)	(AE 2022-23)	(BE 2024-25)
आंध्र प्रदेश	0	13	NP	NP
गुजरात	12	14	NP	NP
हरियाणा	19	36	NP	NP
कर्नाटक	18	11	4	4
मध्य प्रदेश	44	142	6	13
महाराष्ट्र	37	0	6	0
राजस्थान	31	144	NP	NP
तमिलनाडु	32	128	4	6
तेलंगाना	4	7	0	2.36
उत्तर प्रदेश	46	0	7	35
पश्चिम बंगाल	19	1	NP	NP
कुल	**262**	**496**	**27**	**60**
अखिल भारतीय	**416**	**728**	**53.03**	
राष्ट्रीय स्तर पर उच्च GDP वाले राज्यों का हिस्सा	**63**	**68**	**26.51**	

राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में हैं।

4 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर- बेंगलुरु (डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल)। स्रोत: https://www.arbitrationcentreblr.org/objectives.html

अध्याय 7

फ़ॉरेंसिक

फ़ॉरेंसिक बजट: प्रमुख निष्कर्ष

1% से कम
साल 2024-25 में **पुलिस बजट में फ़ॉरेंसिक का औसत हिस्सा।**

284 करोड़ रुपए
साल 2024-25 में फ़ॉरेंसिक के लिए सबसे अधिक बजट **आवंटन उत्तर प्रदेश** ने किया।

40%
रिक्तियां इन 11 राज्यों की राज्य फ़ॉरेंसिक साइंस लैब्स (SFSLs) में 1 जनवरी 2023 तक थीं।

437 करोड़ रुपए
फ़ॉरेंसिक पर ख़र्च (AE) हुआ। 671 करोड़ रुपए (2021-22) से बढ़कर 1,108 करोड़ रुपए (2022-23) हो गया।

फ़ॉरेंसिक बजट का कोड

सभी राज्यों में फ़ॉरेंसिक का बजट गृह विभाग (कोड 2055) के बजट के अंतर्गत आता है। यह बजट फ़ॉरेंसिक लैब्स की स्थापना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और राज्य फ़ॉरेंसिक लैब्स, क्षेत्रीय फ़ॉरेंसिक लैब्स एवं ज़िला मोबाइल फ़ॉरेंसिक यूनिट्स सहित विभिन्न फ़ॉरेंसिक सेंटर्स के लिए मशीनरी और उपकरणों की ख़रीद जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। फ़ॉरेंसिक के लिए राज्य सरकार के अलावा, देश में फ़ॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए केंद्र सरकार भी बजट प्रदान करती है।

तीन नए आपराधिक क़ानूनों द्वारा अतिरिक्त फ़ॉरेंसिक क्षमताओं को ज़रूरी बनाए जाने को ध्यान में रखते हुए, जून 2024 में गृह मंत्रालय ने 2024-25 से 2028-29 तक के लिए 2,254.43 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय फ़ॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।[1]

जनवरी 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ध्यान दिलाया था कि पिछले पांच वर्षों से मुंबई और ठाणे स्थित फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) इकाइयों में 'लंबित मामलों की विशाल संख्या' 45,000 से अधिक है।[2]

1 कैबिनेट ने केंद्रीय योजना "राष्ट्रीय फ़ॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना" (N.F.I.E.S.) को मंज़ूरी दी। स्रोत: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2026705#:~:text=The%20Union%20Cabinet%20chaired%20by,%2D25%20to%202028%2D29.

2 बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई और ठाणे के फ़ॉरेंसिक लैब्स में 5 वर्षों से 45,000 मामले लंबित रहने पर चिंता जताई। स्रोत: https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/bombay-high-court-raises-concerns-over-pendency-of-45000-cases-with-fsls-in-mumbai-thane-for-5-yrs-9806502/

7.1 फ़ॉरेंसिक के लिए बजट: संक्षिप्त विवरण

जनवरी 2023 तक, भारत में 32 राज्य फ़ॉरेंसिक साइंस लैब्स (SFSL), 97 क्षेत्रीय फ़ॉरेंसिक साइंस लैब्स (RFSL) और 582 ज़िला मोबाइल फ़ॉरेंसिक यूनिट्स (DMFU) कार्यरत थीं। पूरे भारत में इनके लिए स्वीकृत पदों की कम संख्या मात्र क़रीब 10 हज़ार पद होने के बावजूद इनमें सभी स्तरों पर भारी रिक्तियां हैं और SFSL में 40%, RFSL में 60% और ज़िला मोबाइल लैब्स में 68% पद रिक्त हैं।[3] जनवरी 2023 तक, उच्च GDP वाले राज्यों में SFSL में फ़ॉरेंसिक कर्मचारियों की औसतन 40%, RFSL में 53% और DMFU में 55% की कमी थी। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कर्मचारियों के 62% पद और 66% रिक्तियां इन राज्यों से संबंधित हैं।

चित्र 7.1: फ़ॉरेंसिक लैब्स में ख़ाली पद (%)

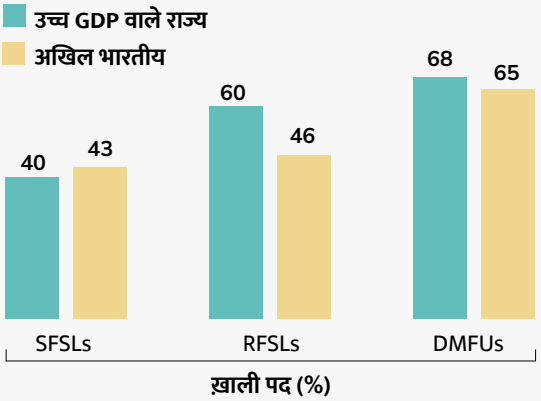

हरियाणा और पश्चिम बंगाल को छोड़ सभी राज्य SFSLs, RFSLs और DFSLs के लिए अलग-अलग बजट का प्रावधान नहीं करते हैं और फ़ॉरेंसिक लैब्स की स्थापना के लिए उप-लघु मद में बजट आवंटित करते हैं। हरियाणा और पश्चिम बंगाल RFSLs के लिए बजट प्रदान करते हैं।

चित्र 7.2: फ़ॉरेंसिक: लैब्स/यूनिट्स, रिक्तियां[4] और बजट[5] (करोड़ रुपए में)

जनवरी 2023 में, विभिन्न राज्यों में फ़ॉरेंसिक लैब्स में रिक्तियों की संख्या अलग-अलग थी, जिनमें SFSL में 27% (उत्तर प्रदेश) से 66% (तेलंगाना) तक पद खली थे। RFSL में सबसे अधिक 74% रिक्तियां हरियाणा में थीं।

	फ़ॉरेंसिक लैब की संख्या (जनवरी 2023)			वैकेंसी (जनवरी 2023)			2022-23 (AE) (करोड़ रुपए)
	SFSLs	RFSLs	DMFU	SFSLs	RFSLs	DMFU	
आंध्र प्रदेश	1	5	109	48	44	100	23
गुजरात	1	7	51	59	47	58	57
हरियाणा	1	4	17	63	74	54	22
कर्नाटक	1	7	NP	29	26	NP	383
मध्य प्रदेश	1	4	50	53	59	85	28
महाराष्ट्र	1	12	45	33	30	0	126
राजस्थान	1	6	35	47	45	50	56
तमिलनाडु	1	10	47	18	14	55	49
तेलंगाना	1	4	NP	66	64	NP	13
उत्तर प्रदेश	1	11	75	27	63	100	131
पश्चिम बंगाल[6]	1	2	4	63	74	NP	222
कुल	**11**	**72**	**433**	**39**	**60**	**68**	**1108**
अखिल भारतीय	**32**	**97**	**582**	**43**	**46**	**65**	**NA**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

3 फ़ॉरेंसिक लैब्स की संख्या: https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1716639795_d6fce11ed56a985b635c.pdf
4 लैब्स (प्रयोगशालाओं) की संख्या और रिक्तियों के आंकड़े DoPo 2023 से लिए गए हैं। ये आंकड़े 1 जनवरी 2023 तक के हैं।
5 इसमें SFSL, RFSL और DMFU से संबंधित बजट शामिल हैं।
6 पश्चिम बंगाल अपने कई DMFUs, उनमें कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या और शून्य नियुक्त संख्या की जानकारी प्रदान करता है।

अमीर राज्य फ़ॉरेंसिक के लिए बजट कैसे आवंटित करते हैं?

साल 2021-22 से 2024-25 के बीच, लगातार कुल पुलिस बजट का लगभग 1% हिस्सा फ़ॉरेंसिक के लिए आवंटित किया गया।

इन 11 राज्यों ने कुल मिलाकर 2024-25 में फ़ॉरेंसिक के लिए 1218 करोड़ रुपए (BE) आवंटित किए, जो 2022-23 (RE) से 7% अधिक है। फ़ॉरेंसिक पर ख़र्च (AE) भी 2021-22 और 2022-23 के बीच बढ़ कर 671 करोड़ रुपए से 1108 करोड़ रुपए हो गया। राज्यवार फ़ॉरेंसिक बजट, उपयोग और आवंटन में परिवर्तन के लिए अनुलग्नक 7 देखें।

कुल मिलाकर, राज्यों ने साल 2022-23 में अपने फ़ॉरेंसिक बजट का 97% हिस्सा उपयोग किया, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने 100% से अधिक का इस्तेमाल किया।

दूसरी ओर, गुजरात ने 2022-23 में फ़ॉरेंसिक बजट का सबसे कम उपयोग (54%) किया। साल 2022-23 में, इसने फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के आधुनिकीकरण (केंद्र और राज्य का योगदान क्रमशः 60% और 40%), पुलिस बल के आधुनिकीकरण, फ़ॉरेंसिक साइंस (केंद्र और राज्य का योगदान क्रमशः 60% और 40%), फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, FSL भवनों के निर्माण, उपकरणों की ख़रीद, FSL के लिए वाहन, रसायन और अन्य (उप-लघु मद) के लिए बजट का प्रावधान किया। हालांकि, फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के आधुनिकीकरण (केंद्र और राज्य का योगदान क्रमशः 60% और 40%) के लिए 2022-23 के बाद से बजट आवंटित नहीं किया गया है।

इन 11 राज्यों ने कुल मिलाकर 2022-23 से 2024-25 के बीच फ़ॉरेंसिक बजट में 7% की वृद्धि की। 2024-25 में फ़ॉरेंसिक के लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटन उत्तर प्रदेश (285 करोड़ रुपए) का था। इन 285 करोड़ रुपए में से 160 करोड़ रुपए फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (उप-लघु मद) की स्थापना के लिए आवंटित किए गए।

कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान ने 2022-23 से 2024-25 के बीच अपने आवंटन में कटौती की है।

कर्नाटक: बदलाव की कहानी

अगस्त 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में फ़ॉरेंसिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए तत्काल क़दम उठाने के आदेश दिए थे। इसके बाद इस दिशा में कई ठोस बुनियादी क़दम उठाए गए हैं।[6] राज्य को आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर सभी फ़ॉरेंसिक लैब में नवीनतम और सबसे आधुनिक उपकरणों सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था ताकि उनका कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके। कर्नाटक सरकार को राज्य और क्षेत्रीय फ़ॉरेंसिक साइंस लैब में मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरने का भी निर्देश दिया गया था ताकि यहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी सुनिश्चित किए जा सकें।

कर्नाटक के बजट की समीक्षा से पता चलता है कि 2021-22 और 2022-23 के बीच, राज्य ने बजट के इस्तेमाल को छह गुना बढ़ा कर 21% से 127% तक पहुंचा दिया।

साल 2023-24 में, कर्नाटक ने विशिष्ट विषय की मदों में आवंटन बढ़ाया। जैसे, राज्य ने शुरुआत में फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, बैंगलोर (उप-लघु मद) के तहत 2022-23 (BE) में भवन निर्माण ख़र्च के लिए 5 लाख रुपए निर्धारित किए, फिर इसे संशोधित कर 1.55 करोड़ रुपए (RE) किया और इसके बाद 2024-25 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 1.60 करोड़ रुपए कर दिया।

जनवरी 2023 तक, उच्च GDP वाले राज्यों में से तमिलनाडु (SFSLs में 29% और RFSLs में 26%) के बाद सबसे कम रिक्तियां कर्नाटक में थीं और यह सबसे अधिक बजट (2024-25 (BE) में 130 करोड़ रुपए) आवंटित करने वाले राज्यों में से भी एक था।

6 कर्नाटक हाई कोर्ट का सरकार को फ़ॉरेंसिक लैब में शीर्ष पदों को भरने का निर्देश। द न्यूज़ मिनट का लिंक:: https://www.thenewsminute.com/karnataka/k-taka-hc-issues-direction-govt-over-forensic-labs-directs-top-posts-be-filled-154193

फ़ॉरेंसिक इंफ़्रास्ट्रक्चर का विस्तार और सुदृढ़ीकरण[7]
केंद्र सरकार की पहल

1. ई-फ़ॉरेंसिक IT प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया गया है जो देश की 117 फ़ॉरेंसिक साइंस लैब्स (केंद्र और राज्य स्तरीय) को जोड़ता है।
2. राज्यों की फ़ॉरेंसिक साइंस लैब (राज्य FSLs) में DNA एनालिसिस और साइबर फ़ॉरेंसिक क्षमताओं को बेहतर करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सभी संबंधित परियोजनाओं (30) के लिए 245.29 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर अब तक 185.28 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं।
3. इसके अलावा, साल 2022 में 2080.5 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 'फ़ॉरेंसिक क्षमताओं की आधुनिकीकरण योजना' को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च गुणवत्ता वाले फ़ॉरेंसिक साइंस सेंटर्स तैयार करने के लिए मोबाइल फ़ॉरेंसिक वैन ख़रीदने सहित मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता उपलब्ध है। साथ ही देश में फ़ॉरेंसिक साइंस के लिए शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के ज़रिए इन लैब के लिए प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध कराने में मदद की जा रही है। अब तक, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज के आधुनिकीकरण/उन्नयन' परियोजना के एक हिस्से के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, इस योजना के तहत अब तक 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की परियोजनाओं के लिए 433 मोबाइल फ़ॉरेंसिक वैन की ख़रीद को मंजूरी दी गई है।

7 फ़ॉरेंसिक लैब्स: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085688

अध्याय 8

राज्य मानवाधिकार आयोग

राज्य मानवाधिकार आयोग बजट: प्रमुख निष्कर्ष

0.8 रुपए
2024-25 में पांच उच्च-GDP वाले राज्यों में SHRC पर **प्रति व्यक्ति ख़र्च**।

8%
2022-23 (RE) और 2024-25 (BE) के बीच पांच राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में **SHRCs के बजट में वृद्धि।**

5 राज्य
गृह, न्याय और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत SHRC को बजट उपलब्ध कराते हैं।[1]

43%
राष्ट्रीय स्तर पर SHRC कर्मचारियों की रिक्तियां। 2020-21 में गुजरात और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 71% और 62% के साथ राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा **रिक्तियां** रहीं।[2]

चित्र 8.1: SHRC बजट: अधिकतम और न्यूनतम आवंटन 2024-25 (BE)

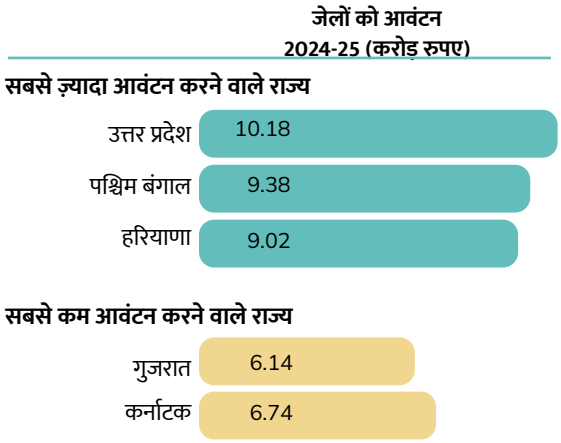

SHRC बजट कोड

IJR ने उच्चतम GDP वाले 11 राज्यों में गृह, न्याय और सामाजिक सुरक्षा/कल्याण विभागों के तहत SHRCs को आवंटित बजट का विश्लेषण किया। यह अध्ययन उप-लघु मद स्तर तक ही सीमित है।

राष्ट्रीय स्तर पर, SHRCs में कर्मचारियों के 43% पद ख़ाली हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में साल 2020-21 में राष्ट्रीय औसत से अधिक, क्रमशः 71% और 62%, रिक्तियां थीं। उत्तर प्रदेश की मामलों के निपटारे की दर भी राष्ट्रीय औसत (68%) से कम (52%) रही जो इन राज्यों में सबसे कम है।[3]

1 गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बंगाल।
2 SHRC में रिक्तियां: RTI पर आधारित - IJR 3 (2022)।
3 एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर समाधान या निपटारा किए गए मामलों और उसी अवधि के दौरान पंजीकृत नए मामलों के अनुपात के आधार पर/केस क्लीयरेंस रेट (CCR) तैयार की जाती है।

इन राज्यों ने SHRCs के लिए 2024-25 (BE) में कुल 42 करोड़ रुपए आवंटित किए।

मानवाधिकारों पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

इन 5 राज्यों ने 2024-25 में राज्य मानवाधिकार आयोगों पर प्रति व्यक्ति 0.8 रुपए ख़र्च किए।

साल 2022-23 से 2024-25 के बीच, इन 5 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों के बजट में 8% की मामूली वृद्धि हुई (2024-25 में 42 करोड़ रुपए) और 2021-22 और 2022-23 के बीच ख़र्च में 32% की वृद्धि हुई। राज्य मानवाधिकार आयोगों के बजट का राज्यवार विवरण अनुलग्नक 8 में दिया गया है।

वर्ष 2024-25 में 10.18 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। इसने 'राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन' के उप-लघु मद के तहत बजट आवंटित किया। राज्य ने 2022-23 से 2024-25 के बीच अपने आवंटन में 8% की वृद्धि भी की। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका औपचारिक गठन 2002 में हुआ था।[4]

दूसरी ओर, गुजरात और कर्नाटक ने लगभग 6 करोड़ रुपए (BE 2024-25) आवंटित किए। सम्मिलित रूप से, इन राज्यों ने अपने SHRC बजट का 90% से अधिक का उपयोग किया।

चित्र 8.2: 11 राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के लिए आवंटित बजट

उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 10.2 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है, जबकि गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल ने 6 करोड़ से 9 करोड़ रुपए के बीच राशि आवंटित की। राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति ख़र्च 0.8 रुपए रहा, हालांकि कई राज्यों ने अपने राज्य बजट दस्तावेज़ों में SHRC बजट की जानकारी नहीं दी है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	विभाग	2024-25 (BE) (करोड़ रुपए)	प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए में)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP
गुजरात	गृह विभाग	6.1	0.8
हरियाणा	गृह विभाग	9	3
कर्नाटक	विधि, न्याय एवं मानवाधिकार विभाग	6.7	1
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	NP	NP	NP
राजस्थान	NP	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	गृह विभाग (पुलिस)	10.2	0.4
पश्चिम बंगाल	गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	9.4	0.9
कुल		**41.5**	**0.8**

राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में हैं।

4 उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग: https://uphrc.up.nic.in/pdf/Introduction.pdf

इस अध्ययन के लिए वर्ष 2023-24 और 2024-25 के राज्य से संबंधित बजट दस्तावेजों (विभिन्न राज्यों के विभागों की विस्तृत अनुदान मांग से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए। इसमें गृह विभाग (जिसके तहत पुलिस और जेल विभाग आते हैं) और विधि एवं न्याय विभाग (न्याय, जिसमें क़ानूनी सहायता भी शामिल है) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अध्ययन में उप-मद स्तर तक और जहां ज़रूरी हो, विषय और विस्तृत मद स्तर तक गहन विश्लेषण किया गया है। आंकड़े एकत्र करने के दौरान, यह पाया गया कि सभी राज्यों का बजट आवंटन एक समान नहीं है।

उदहारण के लिए:

1. पुलिस

क. CCPWC: इन 11 राज्यों में से केवल सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) ने महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बजट उपलब्ध कराया।

ख. सेफ़ सिटी: इसी तरह, गुजरात के अहमदाबाद के सेफ़ सिटी होने के बावजूद, यह राज्य गृह या न्याय प्रशासन विभागों के बजट दस्तावेजों में सेफ़ सिटी के लिए कोई बजट आवंटन नहीं करता है।

ग. आंध्र प्रदेश और हरियाणा द्वारा 'पुलिस के लिए आवासीय भवनों के निर्माण' के लिए बजट आवंटित नहीं किया जाता है।

2. न्यायपालिका

क. हाई कोर्ट्स और सिविल एवं सेशन कोर्ट्स के लिए राज्य सरकारें अलग-अलग उप-लघु मदों के अंतर्गत बजट प्रदान करती हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न न्यायालयों, जैसे कि आपराधिक न्यायालय, लघु वाद न्यायालय आदि, को अलग-अलग उप-लघु मदों के साथ लघु मदों के तहत बजट आवंटित किया जाता है। इससे बजट आवंटन में व्यापक दृष्टिकोण और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश इन सभी को सिविल एवं सेशन कोर्ट्स के लघु मद के अंतर्गत रखते हैं।

ख. इसी प्रकार, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के लिए अलग से बजट आवंटित नहीं करते हैं।

3. जेल

क. राज्य यह स्पष्ट विवरण नहीं उपलब्ध कराते हैं कि आवंटन केंद्रीय जेल के लिए है या ज़िला जेल के लिए। जैसे, मध्य प्रदेश राज्य और केंद्रीय जेलों संबधी आवंटन को एक स्थान पर दर्शाता है, वहीं तमिलनाडु 'जेलों (उप-जेलों के अतिरिक्त)' और हरियाणा 'बोर्स्टल इंस्टिट्यूट एंड जुवेनाइल जेल' सहित केंद्रीय एवं ज़िला जेलों' आदि के लिए बजट प्रावधान करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश उप-लघु मद स्तर तक केंद्रीय और अलग-अलग प्रकार के जेलों के लिए कोई आवंटन नहीं करते हैं।

केवल गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान ही ज़िला और केंद्रीय जेलों के आंकड़ों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग उपलब्ध कराते हैं।

ख. छह राज्य: 11 राज्यों में से हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जेल आधुनिकीकरण के लिए बजट प्रदान करते हैं। जबकि केवल दो राज्य (राजस्थान और उत्तर प्रदेश) जेल कर्मचारी आवास के लिए भी प्रावधान करते हैं।

4. क़ानूनी सहायता

क. क़ानूनी सहायता बजट सभी 11 राज्यों द्वारा न्यायपालिका के लिए आवंटित बजट का हिस्सा होता है। क़ानूनी सहायता के लिए कोई अलग मुख्य मद नहीं है।

ख. 11 राज्यों में से केवल छह (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) ने विधि एवं न्याय विभाग या सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग के बजट में पीड़ित मुआवज़ा के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। ADR और मध्यस्थता के लिए भी, 11 राज्यों में से केवल छह (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) ने बजट आंकड़े उपलब्ध कराए।

बजट आवंटन में एकरूपता के बिना, राज्यों के बीच सार्थक तुलना करना चुनौतीपूर्ण है। जैसे, यदि केंद्रीय और ज़िला जेलों संबंधी आवंटन की तुलना करनी है, तो इसमें अलग-अलग आंकड़ों की कमी बाधा डालती है। इसी प्रकार, क़ानूनी सहायता के सीमित आंकड़ों के कारण केवल एक निश्चित स्तर तक ही गहन विश्लेषण संभव हो पाता है। संसाधनों का उपयोग समझने के लिए भी अलग-अलग आंकड़े ज़रूरी हैं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1 : न्याय के लिए बजट

राज्य	राज्य का बजट (₹ करोड़) 2024-25 (BE)	न्याय के लिए बजट (₹ करोड़) 2024-25 (BE)	राज्य बजट में न्याय के बजट का हिस्सा (%) 2024-25 (BE)	न्याय के लिए प्रति व्यक्ति ख़र्च (₹) 2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	2,01,186	9,691	4.84	1,828
गुजरात	3,28,447	11,528	3.51	1,593
हरियाणा	2,19,877	8,026	3.65	2,657
कर्नाटक	3,46,409	14,500	4.19	2,129
मध्य प्रदेश	3,26,381	14,716	4.51	1,680
महाराष्ट्र	6,69,491	35,629	5.32	2,797
राजस्थान	4,95,467	12,782	2.58	1,561
तमिलनाडु	4,53,682	14,609	3.22	1,895
तेलंगाना	2,75,891	11,663	4.23	3,047
उत्तर प्रदेश	6,96,632	51,005	7.32	2,143
पश्चिम बंगाल	3,04,689	12,813	4.21	1,287
कुल	**43,18,151**	**1,96,962**	**औसत: 4.6**	**औसत: 2,031**

न्याय व्यवस्था के लिए 5 वर्षों का बजट (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	6,930	7,674	8,101	7,873	9,691
गुजरात	7,283	9,093	8,737	10,051	11,528
हरियाणा	6,350	7,787	7,097	7,865	8,026
कर्नाटक	8,721	11,315	10,678	12,482	14,500
मध्य प्रदेश	8,736	11,292	10,340	12,656	14,716
महाराष्ट्र	21,218	26,868	24,819	32,105	35,629
राजस्थान	8,881	10,592	9,856	11,336	12,782
तमिलनाडु	9,881	12,138	11,881	13,677	14,609
तेलंगाना	8,665	10,461	9,712	10,682	11,663
उत्तर प्रदेश	28,891	37,459	32,179	39,497	51,005
पश्चिम बंगाल	10,891	13,284	11,170	12,091	12,813
कुल	**1,26,446**	**1,57,963**	**1,44,569**	**1,70,315**	**1,96,962**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं।

अनुलग्नक 2 : पुलिस बजट (करोड़ रुपए)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	5,940	6,458	6,858	7,245	7,869
गुजरात	5,819	7,265	7,000	8,046	8,837
हरियाणा	5,202	6,297	5,765	6,030	6,287
कर्नाटक	6,801	8,946	8,538	9,638	11,572
मध्य प्रदेश	6,914	8,635	8,081	9,471	10,381
महाराष्ट्र	18,334	22,578	21,145	25,394	30,127
राजस्थान	7,295	8,539	7,933	9,151	9,911
तमिलनाडु	8,109	9,952	9,753	10,839	12,090
तेलंगाना	7,774	8,893	8,574	9,396	9,208
उत्तर प्रदेश	24,957	29,298	27,503	29,476	39,425
पश्चिम बंगाल	9,671	11,775	9,778	10,391	11,012
कुल	**1,06,815**	**1,28,637**	**1,20,928**	**1,35,077**	**1,56,719**

राज्य बजट और न्याय के लिए बजट में पुलिस का हिस्सा और प्रति व्यक्ति ख़र्च

राज्य	राज्य बजट में पुलिस बजट का हिस्सा (%)		न्याय के लिए बजट में पुलिस बजट का हिस्सा (%)		प्रति व्यक्ति ख़र्च (₹)	
	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	3	4	84	81	1219	1485
गुजरात	3	3	80	77	1028	1221
हरियाणा	3	3	81	78	2110	2081
कर्नाटक	3	3	79	80	1330	1699
मध्य प्रदेश	3	3	76	71	1009	1185
महाराष्ट्र	4	4	84	85	1800	2365
राजस्थान	2	2	81	78	1321	1561
तमिलनाडु	3	3	82	83	1299	1568
तेलंगाना	4	3	85	79	2346	2406
उत्तर प्रदेश	5	6	78	77	1256	1657
पश्चिम बंगाल	5	4	89	86	1194	1106
औसत	4	4	81	80	1354	1616

पुलिस: आवंटन और उपयोग (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 के बीच आवंटन में बदलाव(%)	उपयोग(2022-23) (%)
आंध्र प्रदेश	22	106
गुजरात	22	96
हरियाणा	0	92
कर्नाटक	29	95
मध्य प्रदेश	20	94
महाराष्ट्र	33	94
राजस्थान	16	93
तमिलनाडु	21	98
तेलंगाना	4	96
उत्तर प्रदेश	35	94
पश्चिम बंगाल	-6	83
औसत	22	94

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 2.1: पुलिस प्रशिक्षण के लिए बजट और पुलिस बजट में इसका हिस्सा

पुलिस बजट: प्रशिक्षण

पुलिस प्रशिक्षण का बजट (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	48.14	67.85	67.88	136.65
गुजरात	48.22	64.18	61.78	90.93
हरियाणा	46.54	71.18	65.17	61.07
कर्नाटक	118.88	2.62	2.53	0.01
मध्य प्रदेश	151.29	80.46	164.12	246.11
महाराष्ट्र	163.38	235.74	203.65	281.31
राजस्थान	144.91	167.53	154.62	197.24
तमिलनाडु	98.15	369.17	330.82	226.33
तेलंगाना	86.13	83.13	77.05	155.76
उत्तर प्रदेश	168.39	282.67	184.7	637.26
पश्चिम बंगाल	29.22	34.04	32.22	174.86
कुल	**1,103**	**1,459**	**1,345**	**2,208**

पुलिस बजट में से प्रशिक्षण बजट का हिस्सा

पुलिस में प्रशिक्षण का हिस्सा (%)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.81	1.05	0.99	1.74
गुजरात	0.83	0.88	0.88	1.03
हरियाणा	0.89	1.13	1.13	0.97
कर्नाटक	1.75	0.03	0.03	0.00
मध्य प्रदेश	2.19	0.93	2.03	2.37
महाराष्ट्र	0.89	1.04	0.96	0.93
राजस्थान	1.99	1.96	0.87	1.99
तमिलनाडु	1.21	3.71	3.39	1.87
तेलंगाना	1.11	0.93	0.90	1.69
उत्तर प्रदेश	0.67	0.96	0.67	1.62
पश्चिम बंगाल	0.30	0.29	0.33	1.59
औसत	**1.03**	**1.13**	**1.11**	**1.41**

प्रशिक्षण बजट: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 के बीच आवंटन में बदलाव(%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	101	141
गुजरात	42	128
हरियाणा	-14	140
कर्नाटक	-100	2
मध्य प्रदेश	206	108
महाराष्ट्र	19	125
राजस्थान	18	107
तमिलनाडु	-39	337
तेलंगाना	87	89
उत्तर प्रदेश	125	110
पश्चिम बंगाल	414	110
औसत	51	122

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 2.2: पुलिस बजट का आधुनिकीकरण

पुलिस बजट: आधुनिकीकरण (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)	पुलिस स्टेशनों की संख्या (जनवरी, 2023)
आंध्र प्रदेश	245	154	135	106	276	1,028
गुजरात	21	48	28	41	37	768
हरियाणा	NA	63	43	2	20	417
कर्नाटक	81	71	74	29	30	1,060
मध्य प्रदेश	62	30	11	32	26	1,159
महाराष्ट्र	146	133	109	178	116	1,191
राजस्थान	116	65	51	29	99	982
तमिलनाडु	18	282	281	40	48	2,334
तेलंगाना	49	7	37	17	13	844
उत्तर प्रदेश	108	269	153	225	123	1,851
पश्चिम बंगाल	104	213	193	166	216	655
कुल	**952**	**1,335**	**1,114**	**864**	**1,003**	**12,289**

पुलिस का आधुनिकीकरण: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	2022-23 RE से 2024-25 BE तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (%) (2022-23)
आंध्र प्रदेश	79	87
गुजरात	-24	59
हरियाणा	-68	69
कर्नाटक	-58	104
मध्य प्रदेश	-12	38
महाराष्ट्र	-13	82
राजस्थान	53	78
तमिलनाडु	-83	100
तेलंगाना	97	550
उत्तर प्रदेश	-54	57
पश्चिम बंगाल	1	91
औसत	-25	83

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 2.2(a): पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कर्नाटक का बजट

	¯ÉÃRö²Ã¶ðPÉ Head of Account	¯ÉPÀÌ Accounts 2021-22	DAiÀÄªÀåAiÀÄ CAzÁdÄ Budget Estimates 2022-23	¥ÀjµÀÌøvÀ CAzÁdÄ Revised Estimates 2022-23	DAiÀÄªÀåAiÀÄ CAzÁdÄ Budget Estimates 2023-24
	1	2	3	4	5
	2055-00-114-0-01 UÀtPÀ AiÀÄAvÀæªÀÄÆ®¨sÀvÀ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¹¹nJ£ïJ¸ï / Computer Infrastructure Facilities and CCTNS				
051	¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ *General Expenses*	......	......	3100.00	1500.00
125	DzsÀÄ¤ÃPÀgÀt *Modernisation*	99.99	100.00	100.00	350.00
	dªÀiÁè **HOA Total :**	**99.99**	**100.00**	**3200.00**	**1850.00**
	2055-00-114-0-02 ¥ÉÆ°Ã¸ï E¯ÁSÉAiÀÄ°è AiÀÄAvÀæAvÀæAvÀæ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð / Hardware/Software Maintenance & Connectivity in Police Department				
051	¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ *General Expenses*	762.59	800.00	800.00	......
	dªÀiÁè **HOA Total :**	**762.59**	**800.00**	**800.00**	**0.00**
	2055-00-114-0-04 C¥ÀgÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁ¢UÀ¼À ªÀiÁ»w UÀtQÃPÀgÀt PÁAiÀÄð / Crime and Criminal Tracking Network and systems(CCTNS)				
051	¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ *General Expenses*	1799.99	1500.00	1500.00	......
	dªÀiÁè **HOA Total :**	**1799.99**	**1500.00**	**1500.00**	**0.00**

अनुलग्नक 2.2(b): पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पश्चिम बंगाल का बजट

State Development Schemes				
007- Women Safety under Nirbhaya (State Share) (OCASPS) [HH]				
50- Other Charges	1,57,42,769	50,00,000	24,00,00,000	...
77- Computerisation	98,67,479	40,00,000	10,00,000	...
Total - 2055-00-115-007	2,56,10,248	90,00,000	24,10,00,000	...
011- Community Policing Initiative (State Share) (OCASPS) [HH]				
50- Other Charges	...	34,00,000	...	...
Total - 2055-00-115-011	...	34,00,000	...	...
015- Policing the Megacity of Kolkata under Modernisation of Police Force (State Share) (OCASPS) [HH]				
50- Other Charges	...	33,20,000	25,00,000	...

अनुलग्नक 2.3: पुलिस विभाग की आवासीय इमारतों का निर्माण

पुलिस विभाग की आवासीय इमारतों का निर्माण (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	578	804	803	555	344
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	100	250	250	450	200
मध्य प्रदेश	405	413	1,813	317	162
महाराष्ट्र	829	951	874	1,950	1,566
राजस्थान	89	80	68	37	30
तमिलनाडु	16	139	81	251	433
तेलंगाना	27	333	18	22	95
उत्तर प्रदेश	2,731	2,169	2,731	2,169	3,591
पश्चिम बंगाल	7	26	18	50	28
कुल	**4,783**	**5,165**	**6,655**	**5,800**	**6,449**

पुलिस विभाग की आवासीय इमारतों का निर्माण: आवंटन और उपयोग में बदलाव

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	NP	NP
गुजरात	-57	100
हरियाणा	NP	NP
कर्नाटक	-20	100
मध्य प्रदेश	-61	438
महाराष्ट्र	65	92
राजस्थान	-62	85
तमिलनाडु	211	58
तेलंगाना	-71	5
उत्तर प्रदेश	66	126
पश्चिम बंगाल	7	69
औसत	25	129

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 2.4: महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध रोकथाम के लिए बजट(CCPWC)

CCPWC (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.16	12.34	11.78	0.00	0.54
हरियाणा	5.00	13.00	3.90	0.01	0.01
कर्नाटक	35.06	2.62	2.53	0.49	0.01
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	9.39	9.00	4.69	18.33	11.20
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
उत्तर प्रदेश	0.30	0.22	0.00	0.22	0.22
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
कुल	**50.75**	**37.58**	**22.91**	**19.14**	**11.98**

अनुलग्नक 2.5: सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के लिए बजट

सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	0.00	241.94	332.86	261.43	50.00
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	93.44	209.57	136.65	146.40	0.00
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	14.00	523.34	65.53	107.38	0.00
पश्चिम बंगाल	45.76	27.82	28.31	60.95	44.58
कुल	**153.20**	**1,002.67**	**563.35**	**576.16**	**94.58**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 3: न्यायपालिका का बजट

राज्यवार न्यायपालिका का बजट (क़ानूनी सहायता सहित) (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	819	1,019	1,048	439	1,585
गुजरात	1,155	1,475	1,386	1,742	2,238
हरियाणा	875	1,167	1,019	1,506	1,372
कर्नाटक	1,458	1,881	1,659	2,342	2,462
मध्य प्रदेश	1,374	2,078	1,739	2,551	3,608
महाराष्ट्र	2,487	3,772	3,200	5,913	4,590
राजस्थान	1,364	1,768	1,653	1,900	2,555
तमिलनाडु	1,432	1,750	1,722	2,345	1,999
तेलंगाना	751	1,414	989	1,115	2,294
उत्तर प्रदेश	3,009	6,818	3,403	8,234	8,828
पश्चिम बंगाल	932	1,202	1,084	1,380	1,464
कुल	**15,657**	**24,343**	**18,902**	**29,466**	**32,996**

राज्य बजट और न्यायिक बजट में न्यायपालिका का हिस्सा और न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

राज्य	कुल राज्य बजट में न्यायपालिका के बजट का %		न्याय व्यवस्था के बजट में न्यायपालिका के बजट का %		न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (₹)	
	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.45	0.79	13.2	16.0	192	299
गुजरात	0.58	0.68	16.2	19.0	209	309
हरियाणा	0.63	0.62	15.0	17.0	391	454
कर्नाटक	0.69	0.79	16.6	17.0	280	361
मध्य प्रदेश	0.83	1.11	18.4	25.0	243	412
महाराष्ट्र	0.65	0.69	14.0	13.0	301	360
राजस्थान	0.06	0.06	16.7	20.0	221	312
तमिलनाडु	0.5	0.44	14.4	14.0	228	259
तेलंगाना	0.59	0.83	13.5	20.0	373	600
उत्तर प्रदेश	1.21	1.27	18.2	17.0	292	371
पश्चिम बंगाल	0.47	0.48	9.1	11.0	122	147
औसत	**0.7**	**0.8**	**15.4**	**16.8**	**256**	**340**

न्यायपालिका का बजट: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 के बीच आवंटन में बदलाव(%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	55	103
गुजरात	52	94
हरियाणा	18	87
कर्नाटक	31	88
मध्य प्रदेश	74	84
महाराष्ट्र	22	85
राजस्थान	45	93
तमिलनाडु	14	98
तेलंगाना	62	70
उत्तर प्रदेश	29	50
पश्चिम बंगाल	22	90
औसत	**36**	**78**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 3.1: उच्च न्यायलय और अधीनस्थ न्यायालय के लिए बजट

उच्च न्यायालय (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	74	103	106	126	134
गुजरात	131	161	148	204	268
हरियाणा	179	254	239	260	276
कर्नाटक	250	354	277	394	692
मध्य प्रदेश	156	252	204	278	493
महाराष्ट्र	412	687	610	1,178	705
राजस्थान	162	204	195	224	252
तमिलनाडु	305	371	367	485	407
तेलंगाना	167	303	226	250	386
उत्तर प्रदेश	556	1,693	798	1,984	2,166
पश्चिम बंगाल	236	393	312	409	407
कुल	**2,626**	**4,774**	**3,482**	**5,793**	**6,186**

अधीनस्थ न्यायलय (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	634	741	769	68	1,014
गुजरात	790	1,020	965	1,195	1,398
हरियाणा	523	690	595	1,007	819
कर्नाटक	1,013	1,319	1,194	1,713	1,524
मध्य प्रदेश	874	1,290	1,054	1,723	2,424
महाराष्ट्र	1,793	2,685	2,226	4,169	3,314
राजस्थान	934	1,220	1,132	1,291	1,870
तमिलनाडु	981	1,189	1,173	1,622	1,383
तेलंगाना	469	759	589	700	961
उत्तर प्रदेश	1,622	2,647	1,888	3,202	3,566
पश्चिम बंगाल	521	586	561	756	791
कुल	**10,153**	**14,146**	**12,146**	**17,446**	**19,064**

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 के बीच आवंटन में बदलाव (%)		उपयोग (2022-23)(%)	
	उच्च न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय	उच्च न्यायालय	अधीनस्थ न्यायालय
आंध्र प्रदेश	30	37	103	104
गुजरात	66	37	92	95
हरियाणा	9	19	94	86
कर्नाटक	96	16	78	91
मध्य प्रदेश	96	88	81	82
महाराष्ट्र	3	23	89	83
राजस्थान	23	53	95	93
तमिलनाडु	10	16	99	99
तेलंगाना	27	27	75	78
उत्तर प्रदेश	28	35	47	71
पश्चिम बंगाल	4	35	79	96
औसत	**30**	**35**	**73**	**86**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 3.1 (जारी): उच्च न्यायलय और अधीनस्थ न्यायालय के लिए बजट

जजों की वैकेंसी, लंबित केस और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बजट[1]

राज्य	जजों की वैकेंसी (%)		कुल लंबित केस (लाख)	
	उच्च न्यायालय (21.11.2024)	अधीनस्थ न्यायालय (01.12.2024)	उच्च न्यायालय (30.11.2024)	अधीनस्थ न्यायालय (30.11.2024)
आंध्र प्रदेश	30	13	2	9
गुजरात	38	31	2	16
हरियाणा	38	29	3	14
कर्नाटक	19	16	3	22
मध्य प्रदेश	28	17	5	20
महाराष्ट्र	34	11	7	54
राजस्थान	36	20	7	23
तमिलनाडु	11	25	5	15
तेलंगाना	36	21	2	9
उत्तर प्रदेश	49	27	8	116
पश्चिम बंगाल	40	21	2	32
कुल	**36**	**21**	**46**	**330**

न्यायपालिका के बजट में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायलय का हिस्सा

राज्य	न्यायपालिका के कुल बजट में से उच्च न्यायपालिका का हिस्सा (%)		न्यायपालिका के कुल बजट में से अधीनस्थ न्यायपालिका का हिस्सा (%)	
	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	10	8	73	64
गुजरात	11	12	69	62
हरियाणा	22	20	59	60
कर्नाटक	19	28	70	62
मध्य प्रदेश	12	14	62	67
महाराष्ट्र	18	15	71	72
राजस्थान	12	10	69	73
तमिलनाडु	21	20	68	69
तेलंगाना	21	17	54	42
उत्तर प्रदेश	25	25	39	40
पश्चिम बंगाल	33	28	49	54
औसत	**20**	**19**	**58**	**58**

[1] उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियां और लंबित मामले: स्रोत: संसदीय प्रश्न: भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, राज्यसभा, तारांकित प्रश्न संख्या 185, उत्तर 12/12/2024 को दिया गया।

अनुलग्नक 3.2: न्यायपालिका का प्रशिक्षण बजट

न्यायपालिका का बजट: प्रशिक्षण (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.00	0.45	4.04	6.82	9.14
गुजरात	3.62	6.95	6.27	8.11	9.98
हरियाणा					
कर्नाटक	12.40	3.72	3.63	2.61	2.54
मध्य प्रदेश	0.00	5.00	0.00	1.00	16.00
महाराष्ट्र	5.95	19.52	16.12	16.75	14.49
राजस्थान	5.74	5.23	4.93	6.18	8.81
तमिलनाडु	5.25	9.86	9.23	11.69	10.60
तेलंगाना	3.58	6.78	3.74	3.75	5.09
उत्तर प्रदेश	33.08	71.62	29.12	159.13	164.08
पश्चिम बंगाल	6.15	8.09	5.72	8.81	8.16
कुल	**76**	**137**	**83**	**225**	**249**

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण बजट में बढ़ोतरी (₹ करोड़)

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच, सबसे अधिक वृद्धि "न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर में प्रशासनिक भवन, छात्रावास आदि के निर्माण तथा निदेशक के आवासीय भवन और छात्रावास के रसोईघर एवं भोजन कक्ष" के लिए ₹50 करोड़ और "न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में निर्माण कार्य" के लिए ₹40 करोड़ की गई।

उप-लघु मद	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर में प्रशासनिक भवन, छात्रावास आदि तथा निदेशक का आवासीय भवन और छात्रावास के रसोईघर एवं भोजन कक्ष का निर्माण	0.0001	50
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में निर्माण कार्य	10.17	50.3

न्यायिक प्रशिक्षण: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	1931	898
गुजरात	44	90
हरियाणा	NP	NP
कर्नाटक	-32	98
मध्य प्रदेश	220	0
महाराष्ट्र	-26	83
राजस्थान	68	94
तमिलनाडु	8	94
तेलंगाना	-25	55
उत्तर प्रदेश	129	41
पश्चिम बंगाल	1	71
औसत	**82**	**61**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 3.3: फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के लिए बजट

तकनीक/इंफ़्रास्ट्रक्चर/आधुनिकीकरण (₹ करोड़)

राज्य	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
गुजरात	8.74	2.08	4.79	9.90
कर्नाटक	38.31	26.99	25.35	18.89
मध्य प्रदेश	91.56	60.20	90.14	155.85
महाराष्ट्र	78.64	50.05	62.50	11.80
तमिलनाडु	18.72	19.61	30.05	20.42
तेलंगाना	11.67	14.98	12.68	27.00
उत्तर प्रदेश	134.00	152.10	206.00	136.00
पश्चिम बंगाल	2.00	0.00	0.45	2.00
कुल	384	326	432	382

FTSCs की संख्या

राज्य	कार्यरत FTCs की संख्या (अक्टूबर 2024 तक)	POCSO कोर्ट्स की संख्या (अक्टूबर 2024 तक)	FTSCs में लंबिक मामले (अक्टूबर 2024 तक)
आंध्र प्रदेश	16	16	6,425
गुजरात	35	24	5,680
हरियाणा	16	16	4,351
कर्नाटक	31	17	5,436
मध्य प्रदेश	67	57	10,352
महाराष्ट्र	8	4	572
राजस्थान	45	30	5,426
तमिलनाडु	14	14	4,525
तेलंगाना	36	0	8,424
उत्तर प्रदेश	218	74	91,125
पश्चिम बंगाल	6	6	4,235
कुल	492	258	1,46,551
कुल अखिल भारतीय	750		2,03,157

FTSCs: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	2022-23 RE से 2024-25 BE तक आवंटन में बदलाव	उपयोग %
गुजरात	13.3	24
कर्नाटक	-50.7	70
मध्य प्रदेश	70.2	66
महाराष्ट्र	-85.0	64
तमिलनाडु	9.1	105
तेलंगाना	131.3	128
उत्तर प्रदेश	1.5	113
पश्चिम बंगाल	0.0	0
औसत	-1.0	85

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 3.4: तकनीक/इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिकीकरण के लिए बजट

तकनीक/इंफ्रास्ट्रक्चर/आधुनिकीकरण (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	13	62	58	112	76
गुजरात	1	12	3	17	44
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	237	302	237	302	318
मध्य प्रदेश	1,080	1,678	1,392	2,040	2,967
महाराष्ट्र	53	181	119	192	133
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	29	34	36	45	37
तेलंगाना	25	308	83	73	865
उत्तर प्रदेश	472	2,510	443	3,072	3,079
पश्चिम बंगाल	102	154	169	159	173
कुल	**2,012**	**5,240**	**2,541**	**6,011**	**7,693**

तकनीक/इंफ्रास्ट्रक्चर/आधुनिकीकरण:आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	23	94
गुजरात	267	25
हरियाणा	NP	NP
कर्नाटक	5	78
मध्य प्रदेश	77	83
महाराष्ट्र	-27	66
राजस्थान	NP	NP
तमिलनाडु	9	106
तेलंगाना	181	27
उत्तर प्रदेश	23	18
पश्चिम बंगाल	12	110
औसत	**47**	**48**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 3.5: महाधिवक्ता कार्यालय के लिए बजट

महाधिवक्ता कार्यालय (₹ crore)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	44.85	49.88	51.51	58.83	57.65
गुजरात	120.27	143.39	141.46	159.92	278.48
हरियाणा	47.72	64.77	53.22	62.81	72.70
कर्नाटक	33.29	45.85	38.83	48.84	47.32
मध्य प्रदेश	27.31	38.48	37.33	49.42	51.32
महाराष्ट्र	57.56	69.81	64.66	86.70	101.18
राजस्थान	0.06	0.06	0.05	0.08	0.19
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	18.49	26.17	20.08	25.34	27.61
उत्तर प्रदेश	255.11	302.60	278.90	375.39	395.82
पश्चिम बंगाल	85.53	98.61	97.15	103.69	105.81
कुल	**690**	**840**	**783**	**971**	**1,138**

महाधिवक्ता कार्यालय :आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	16	103
गुजरात	94	99
हरियाणा	12	82
कर्नाटक	3	85
मध्य प्रदेश	33	97
महाराष्ट्र	45	93
राजस्थान	217	83
तमिलनाडु	NP	NP
तेलंगाना	6	77
उत्तर प्रदेश	31	92
पश्चिम बंगाल	7	99
औसत	**35**	**93**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 4: अभियोजन के लिए बजट

अभियोजन निदेशालय (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	42.80	40.71	41.43	42.96	50.90
गुजरात	1.12	5.32	5.15	1.65	5.20
हरियाणा	88.35	113.78	90.47	116.39	126.50
कर्नाटक	89.24	102.76	93.43	112.71	115.40
मध्य प्रदेश	97.07	107.48	102.49	130.57	143.50
महाराष्ट्र	112.63	147.16	135.93	180.00	226.70
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	43.08	49.33	47.69	56.28	59.40
तेलंगाना	24.58	26.51	34.12	36.08	45.10
उत्तर प्रदेश	0.00	2.97	0.00	1.80	1.80
पश्चिम बंगाल	41.00	53.00	48.00	53.00	55.00
कुल	**540**	**649**	**599**	**732**	**830**

अभियोजन निदेशालय: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	25	102
गुजरात	-2	97
हरियाणा	11	80
कर्नाटक	12	91
मध्य प्रदेश	34	95
महाराष्ट्र	54	92
राजस्थान	NP	NP
तमिलनाडु	20	97
तेलंगाना	70	129
उत्तर प्रदेश	-39	0
पश्चिम बंगाल	4	91
औसत	**28**	**92**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 5: जेल बजट

राज्यवार जेल बजट (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	171	196	195	189	237
गुजरात	309	353	351	264	452
हरियाणा	272	323	314	329	368
कर्नाटक	462	488	481	502	466
मध्य प्रदेश	447	579	520	634	727
महाराष्ट्र	397	518	473	799	912
राजस्थान	222	284	270	285	315
तमिलनाडु	339	436	406	493	520
तेलंगाना	140	155	149	171	160
उत्तर प्रदेश	925	1,344	1,273	1,786	2,753
पश्चिम बंगाल	288	307	309	320	336
कुल	**3,973**	**4,983**	**4,740**	**5,771**	**7,247**

राज्य बजट और न्याय के लिए बजट में जेल बजट का हिस्सा और जेल पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

राज्य	राज्य बजट में जेल बजट का हिस्सा (%)		न्याय के लिए बजट में जेल बजट का हिस्सा (%)		जेल पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (₹)	
	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.09	0.12	2.55	2.44	37.04	44.8
गुजरात	0.14	0.14	3.89	3.92	49.75	49.75
हरियाणा	0.17	0.17	4.14	4.58	108.13	121.71
कर्नाटक	0.18	0.13	4.32	3.21	72.62	68.35
मध्य प्रदेश	0.23	0.22	5.12	4.94	67.63	82.95
महाराष्ट्र	0.09	0.14	1.93	2.56	41.29	71.63
राजस्थान	0.07	0.06	2.7	2.47	35.48	38.49
तमिलनाडु	0.13	0.11	3.59	3.56	56.88	67.43
तेलंगाना	0.07	0.06	1.48	1.38	40.79	41.92
उत्तर प्रदेश	0.24	0.4	3.59	5.4	57.59	115.67
पश्चिम बंगाल	0	0.01	2.31	2.62	31.14	33.78
औसत	**0.1**	**0.2**	**3.2**	**3.7**	**52**	**74**

तेलंगाना की जेलें और बजट

	2021	2022
जेलों की संख्या	37	37
क़ैदियों की संख्या	7316	6497
अधिभोग दर (%)	91.5	81.2
बजट (AE)	140.47	148.51

अनुलग्नक 5.1 : केंद्रीय और ज़िला जेलें

केंद्रीय जेलें (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	89	95	95	102	105
हरियाणा	3	2	1	1	1
कर्नाटक	NP	NP	NP	NP	NP
मध्य प्रदेश	398	451	430	517	580
महाराष्ट्र	219	279	249	316	359
राजस्थान	103	243	237	256	282
तमिलनाडु	211	269	258	312	352
तेलंगाना	NP	NP	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
पश्चिम बंगाल	109	115	118	123	126
कुल	**1,132**	**1,454**	**1,388**	**1,627**	**1,805**

ज़िला जेलें (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	41	46	46	49	60
हरियाणा	2	2	2	2	2
कर्नाटक	NP	NP	NP	NP	NP
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	152	183	174	196	225
राजस्थान	52	0	0	0	0
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
पश्चिम बंगाल	79	85	84	83	86
कुल	**326**	**316**	**306**	**330**	**373**

अनुलग्नक 5.2: जेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट

जेल इंफ्रास्ट्रक्चर (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	3	3	1	1	9
गुजरात	127	157	157	60	209
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	184	150	150	150	101
मध्य प्रदेश	32	88	55	84	107
महाराष्ट्र	0	9	8	54	197
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	7	9	1	9	0
तेलंगाना	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	78	323	247		
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
कुल	**431**	**737**	**619**	**1,042**	**1,990**

जेल इंफ्रास्ट्रक्चर: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	216	47
गुजरात	34	100
हरियाणा	NP	NP
कर्नाटक	-33	100
मध्य प्रदेश	22	62
महाराष्ट्र	2156	88
राजस्थान	NP	NP
तमिलनाडु	-98	15
तेलंगाना	-100	0
उत्तर प्रदेश	323	77
पश्चिम बंगाल	NP	NP
औसत	**170**	**84**

11 उच्च GDP वाले राज्यों में जेलों की उपलब्ध क्षमता और क़ैदियों की संख्या

राज्य	उपलब्ध क्षमता (2022)	क़ैदियों की संख्या (2022)
आंध्र प्रदेश	8,659	8,659
गुजरात	14,065	14,065
हरियाणा	20,953	20,953
कर्नाटक	15,589	15,589
मध्य प्रदेश	29,715	29,715
महाराष्ट्र	25,443	25,443
राजस्थान	22,963	22,963
तमिलनाडु	24,342	24,342
तेलंगाना	7,997	7,997
उत्तर प्रदेश	67,600	67,600
पश्चिम बंगाल	21,476	21,476
औसत	**2,58,802**	**2,58,802**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 5.3: जेल स्टाफ़ के प्रशिक्षण के लिए बजट

प्रशिक्षण (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	1	2	3	2	4
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	1	1	1	1	1
मध्य प्रदेश	2	2	1	2	2
महाराष्ट्र	NP	NP	NP	NP	NP
राजस्थान	2	1	1	2	2
तमिलनाडु	1	1	0	1	1
तेलंगाना	1	2	2	3	2
उत्तर प्रदेश	4	4	4	4	6
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
कुल	**11**	**12**	**12**	**14**	**17**

जेल बजट में से प्रशिक्षण बजट का हिस्सा (%)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.84	0.90	1.36	0.93	1.50
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16
मध्य प्रदेश	0.34	0.28	0.24	0.34	0.32
महाराष्ट्र	NP	NP	NP	NP	NP
राजस्थान	0.71	0.44	0.46	0.56	0.56
तमिलनाडु	0.19	0.15	0.10	0.13	0.13
तेलंगाना	1.00	1.09	1.07	1.60	1.10
उत्तर प्रदेश	0.39	0.32	0.29	0.24	0.21
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
औसत	**0.28**	**0.24**	**0.24**	**0.24**	**0.23**

कुल जेल स्टाफ़ में से प्रशिक्षित जेल स्टाफ़ (%)

राज्य	2019	2020	2021	2022
आंध्र प्रदेश	33	9	13	28
गुजरात	13	19	28	15
हरियाणा	3	7	18	46
कर्नाटक	24	8	155	66
मध्य प्रदेश	14	22	28	26
महाराष्ट्र	43	3	5	12
राजस्थान	33	20	15	25
तमिलनाडु	55	5	6	7
तेलंगाना	92	17	11	29
उत्तर प्रदेश	3	1	8	20
पश्चिम बंगाल	8	6	14	12
औसत	26	10	24	24
अखिल भारतीय	21	10	15	21

अनुलग्नक 5.4: जेल आधुनिकीरण के लिए बजट

जेलों का आधुनिकीकरण (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	8	25	25	5	30
कर्नाटक	11	37	37	10	10
मध्य प्रदेश	4	3	1	3	3
महाराष्ट्र	3	11	12	139	78
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	8	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	4
कुल	**33**	**75**	**75**	**156**	126

जेलों का आधुनिकीकरण: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	NP	NP
गुजरात	NP	NP
हरियाणा	20	100
कर्नाटक	-73	100
मध्य प्रदेश	5	40
महाराष्ट्र	639	118
राजस्थान	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP
उत्तर प्रदेश	NP	NP
पश्चिम बंगाल	2840	0
औसत	**67**	**100**

अनुलग्नक 5.5: जेल स्टाफ़ के आवास के लिए बजट

जेल स्टाफ़ के आवास के लिए बजट (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	NP	NP	NP	NP	NP
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	NP	NP	NP	NP	NP
राजस्थान	0.94	0.95	0.65	0.65	0.65
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	10.74	27	27.66	31.5	36
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
औसत	**11.78**	**32.69**	**33.05**	**112.14**	**48.17**

अनुलग्नक 6: क़ानूनी सहायता का बजट

राज्यवार क़ानूनी सहायता का बजट

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	28	34	35	41	45
गुजरात	41	52	47	60	93
हरियाणा	37	44	41	59	76
कर्नाटक	38	39	39	45	53
मध्य प्रदेश	58	74	68	99	116
महाराष्ट्र	23	51	44	83	72
राजस्थान	39	63	61	71	89
तमिलनाडु	24	30	28	60	38
तेलंगाना	23	27	28	31	39
उत्तर प्रदेश	54	166	101	174	212
पश्चिम बंगाल	10	12	11	17	17
कुल	**376**	**591**	**502**	**739**	**849**

राज्य बजट और न्यायिक बजट में क़ानूनी सहायता का हिस्सा (%)

	राज्य बजट में क़ानूनी सहायता का हिस्सा (%)			न्यायिक बजट में क़ानूनी सहायता का हिस्सा (%)		
राज्य	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2024-25 (BE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.02	0.02	0.02	0.44	0.43	0.46
गुजरात	0.02	0.02	0.03	0.57	0.54	0.81
हरियाणा	0.02	0.02	0.03	0.56	0.58	0.95
कर्नाटक	0.01	0.01	0.02	0.35	0.36	0.36
मध्य प्रदेश	0.03	0.03	0.04	0.65	0.66	0.79
महाराष्ट्र	0.01	0.01	0.01	0.19	0.18	0.20
राजस्थान	0.02	0.02	0.02	0.60	0.63	0.70
तमिलनाडु	0.01	0.01	0.01	0.25	0.23	0.26
तेलंगाना	0.01	0.01	0.01	0.25	0.29	0.34
उत्तर प्रदेश	0.03	0.02	0.03	0.44	0.31	0.42
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.01	0.09	0.10	0.13
औसत	**0.02**	**0.02**	**0.02**	**0.37**	**0.35**	**0.43**

क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (₹)

राज्य	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	6.40	8.41
गुजरात	7.31	12.87
हरियाणा	14.70	25.22
कर्नाटक	5.85	7.72
मध्य प्रदेश	8.60	13.29
महाराष्ट्र	4.04	5.62
राजस्थान	7.92	10.90
तमिलनाडु	3.91	4.88
तेलंगाना	7.00	10.24
उत्तर प्रदेश	7.13	8.90
पश्चिम बंगाल	1.20	1.71
कुल	**6.20**	**8.70**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 6.1: पीड़ितों के मुआवज़े के लिए बजट

पीड़ितों के लिए मुआवज़ा (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	4
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	11	17	16	17	17
कर्नाटक	8	10	10	10	10
मध्य प्रदेश	9	4	10	10	25
महाराष्ट्र	NP	NP	NP	NP	NP
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	0	2	2	3	3
तेलंगाना	1	2	2	2	5
उत्तर प्रदेश	1	2	2	3	3
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
कुल	28	37	42	45	66

क़ानूनी सहायता बजट में पीड़ितों के मुआवज़े का हिस्सा

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	NP	NP	NP	NP	0.44
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	29.90	38.76	38.21	28.91	22.31
कर्नाटक	19.85	25.40	25.87	22.07	19.02
मध्य प्रदेश	14.84	4.90	14.76	10.12	21.47
महाराष्ट्र	NP	NP	NP	NP	NP
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	0.00	6.67	7.22	5.03	7.98
तेलंगाना	4.30	7.92	7.58	6.44	12.77
उत्तर प्रदेश	2.74	1.20	1.89	1.44	1.18
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
औसत	7.48	6.21	8.30	6.02	7.80

पीड़ितों को मुआवज़ा: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	NP	NP
गुजरात	NP	NP
हरियाणा	0	94
कर्नाटक	0	100
मध्य प्रदेश	525	250
महाराष्ट्र	NP	NP
राजस्थान	NP	NP
तमिलनाडु	50	100
तेलंगाना	150	100
उत्तर प्रदेश	50	100
पश्चिम बंगाल	NP	NP
औसत	78	114

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 6.2: ADR/मध्यस्थता केंद्र

ADR केंद्र/मध्यस्थता केंद्र

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
गुजरात	NP	NP	NP	NP	NP
हरियाणा	NP	NP	NP	NP	NP
कर्नाटक	2.88	4.02	3.91	4.24	4.15
मध्य प्रदेश	6.67	12.50	5.81	9.50	12.50
महाराष्ट्र	0.00	7.01	5.99	0.00	0.00
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	2.95	3.59	3.64	5.74	5.80
तेलंगाना	0.02	0.24	0.00	0.00	2.36
उत्तर प्रदेश	4.69	36.61	7.16	30.00	35.05
पश्चिम बंगाल	NP	NP	NP	NP	NP
कुल	**17.22**	**63.96**	**26.51**	**49.48**	**59.86**

ADR/मध्यस्थता: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 तक आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	NP	NP
गुजरात	NP	NP
हरियाणा	NP	NP
कर्नाटक	3	97
मध्य प्रदेश	0	46
महाराष्ट्र	-100	85
राजस्थान	NP	NP
तमिलनाडु	62	101
तेलंगाना	883	0
उत्तर प्रदेश	-4	20
पश्चिम बंगाल	NP	NP
औसत	**-6**	**41**

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 7: फ़ॉरेंसिक्स के लिए बजट

राज्यवार फ़ॉरेंसिक्स का बजट (₹ करोड़)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	34	29	23	24	49
गुजरात	47	105	57	67	132
हरियाणा	20	25	22	25	35
कर्नाटक	61	302	383	329	130
मध्य प्रदेश	29	36	28	37	49
महाराष्ट्र	99	157	126	230	171
राजस्थान	41	58	56	55	54
तमिलनाडु	36	49	49	81	73
तेलंगाना	10	13	13	14	13
उत्तर प्रदेश	96	157	131	154	285
पश्चिम बंगाल	199	212	222	220	227
कुल	671	1,143	1,108	1,236	1,218

न्याय के लिए बजट में फ़ॉरेंसिक्स का हिस्सा (%)

राज्य	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	0.49	0.38	0.28	0.30	0.50
गुजरात	0.65	1.15	0.65	0.67	1.14
हरियाणा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
कर्नाटक	0.70	2.67	3.58	2.63	0.90
मध्य प्रदेश	0.33	0.32	0.27	0.29	0.33
महाराष्ट्र	0.47	0.58	0.51	0.72	0.48
राजस्थान	0.46	0.55	0.57	0.49	0.42
तमिलनाडु	0.37	0.40	0.42	0.59	0.50
तेलंगाना	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11
उत्तर प्रदेश	0.33	0.42	0.41	0.39	0.56
पश्चिम बंगाल	0.39	0.66	0.68	0.62	0.50
औसत	0.53	0.72	0.77	0.73	0.62

फ़ॉरेंसिक: आवंटन और उपयोग में बदलाव (%)

राज्य	RE 2022-23 से BE 2024-25 के बीच आवंटन में बदलाव (%)	उपयोग (2022-23)(%)
आंध्र प्रदेश	69	80
गुजरात	25	54
हरियाणा	36	85
कर्नाटक	-57	127
मध्य प्रदेश	37	78
महाराष्ट्र	9	80
राजस्थान	-7	97
तमिलनाडु	50	101
तेलंगाना	-2	96
उत्तर प्रदेश	81	83
पश्चिम बंगाल	7	105
औसत	7	97

सभी ग्रैफ़िक में राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

अनुलग्नक 8: SHRCs के लिए बजट

राज्य मानवाधिकार आयोग(SHRC) का राज्यवार बजट (₹ करोड़)

राज्य	विभाग	2021-22 (AE)	2022-23 (RE)	2022-23 (AE)	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)
आंध्र प्रदेश	विधि विभाग एवं गृह विभाग (गृह प्रशासन)	NP	NP	NP	NP	NP
गुजरात	गृह विभाग	4.57	6.01	4.91	5.73	6.14
हरियाणा	गृह विभाग	8.00	8.00	8.20	8.20	9.02
कर्नाटक	विधि, न्याय और मानवाधिकार विभाग	6.56	7.31	6.74	7.28	6.74
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	NP	NP	NP	NP	NP	NP
राजस्थान	NP	NP	NP	NP	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP	NP	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	गृह विभाग (पुलिस)	6.80	8.20	6.71	7.69	10.18
पश्चिम बंगाल	गृह, कारागार और आपदा प्रवंधन विभाग (गृह प्रभाग)	6.63	8.75	8.75	9.01	9.38
कुल		**32.56**	**38.47**	**35.32**	**37.91**	**41.46**

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।

शब्दावली

वास्तविक व्यय (AE - Actual Expenditure)

सरकार द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में अनुमानित ख़र्च के विपरीत वास्तव में ख़र्च की गई राशि।

न्यायिक प्रशासन (Administration of Justice)

राज्य के बजट में न्यायपालिका और क़ानूनी सहायता के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार विभाग।

बजट अनुमान (BE - Budget Estimates)

सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए किसी विभाग या योजना के लिए निर्धारित अनुमानित राशि।

पूंजीगत परिव्यय (Capital Outlay)

न्याय प्रणाली के अंतर्गत आधारभूत ढांचे, भवनों, उपकरणों और तकनीक जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय।

विस्तृत मद (Detailed Head):

बजट वर्गीकरण का एक स्तर, जो सेवाओं या मदों को विशेष रूप से दर्शाता है, जैसे वेतन या तकनीकी व्यय।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP - Gross State Domestic Product)

राज्य की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का माप।

मुख्य मद (Major Head)

चार अंकों का बजट कोड जो व्यापक सेवा क्षेत्रों को दर्शाता है, जैसे पुलिस (2055) या न्यायपालिका (2014)।

लघु मद (Minor Head)

किसी मुख्य मद के अंतर्गत एक उप-वर्गीकरण, जो विशिष्ट योजनाओं या कार्यों को दर्शाता है (जैसे ज़िला पुलिस, प्रशिक्षण)।

न्याय पर प्रति व्यक्ति ख़र्च

राज्य में प्रति व्यक्ति न्याय व्यवस्था पर खर्च की गई औसत राशि।

संशोधित अनुमान (RE - Revised Estimates)

बजट का एक अपडेट वर्जन, जो वित्तीय वर्ष के बीच में वास्तविक व्यय में हुए बदलावों को दिखाता है।

उप-मुख्य मद (Sub-Major Head)

मुख्य मद के अंतर्गत एक बजट कोड, जो कार्यों को और अधिक विभाजित करता है (जैसे सामान्य, विशेष बल)।

उप-लघु शीर्ष (Sub-Minor Head)

लघु मद के अंतर्गत एक विस्तृत वर्गीकरण, जो अधिक विशिष्ट गतिविधियों को दर्शाता है (जैसे ज़िला पुलिस के अंतर्गत प्रशिक्षण)।

सूत्र

क. समग्र न्याय प्रणाली

राज्य बजट में न्याय बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(न्याय के लिए बजट 2024–25 BE / कुल राज्य बजट 2024–25 BE) * 100

प्रति व्यक्ति न्याय पर ख़र्च (रु., 2024–25 BE):
न्याय के लिए बजट 2024–25 BE / राज्य की जनसंख्या (मार्च 2024)

न्यायिक बजट में स्तंभ की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(स्तंभ का बजट 2024–25 BE / कुल न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

न्याय बजट में वृद्धि (%, 2022–23 RE से 2024–25 BE तक):
((न्याय के लिए बजट 2024–25 BE - 2022–23 RE) / 2022–23 RE) * 100

ख. पुलिस

प्रति पुलिसकर्मी पर ख़र्च (रु., 2024–25 BE):
पुलिस बजट 2024–25 BE / राज्य की जनसंख्या (मार्च 2024)

राज्य बजट में पुलिस बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(पुलिस बजट 2024–25 BE / राज्य बजट 2024–25 BE) * 100

न्यायिक बजट में पुलिस बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(पुलिस बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(पुलिस प्रशिक्षण बजट 2024–25 BE / पुलिस बजट 2024–25 BE) * 100

प्रशिक्षण बजट उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(पुलिस प्रशिक्षण AE 2022–23 / पुलिस प्रशिक्षण RE 2022–23) * 100

पुलिस प्रशिक्षण बजट में बदलाव (%, 2022–23 RE से 2024–25 BE):
((पुलिस प्रशिक्षण बजट 2024–25 BE - 2022–23 RE) / 2022–23 RE) * 100

पुलिस बजट में आवास पर ख़र्च (%, 2024–25 BE):
(पुलिस आवास बजट 2024–25 BE / पुलिस बजट 2024–25 BE) * 100

पुलिस आधुनिकीकरण बजट का उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(आधुनिकीकरण AE 2022–23 / आधुनिकीकरण RE 2022–23) * 100

CCPWC बजट का उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(CCPWC AE 2022–23 / CCPWC RE 2022–23) * 100

सेफ़ सिटी बजट में बदलाव (%, 2022–23 RE से 2024–25 BE):
((सेफ़ सिटी बजट 2024–25 BE - 2022–23 RE) / 2022–23 RE) * 100

सेफ़ सिटी बजट का उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(सेफ़ सिटी AE 2022–23 / सुरक्षित शहर RE 2022–23) * 100

ग. न्यायपालिका

प्रति व्यक्ति न्यायपालिका पर ख़र्च (रु., 2024–25 BE):
न्यायपालिका का बजट 2024–25 BE / राज्य की जनसंख्या

न्याय के लिए बजट में न्यायपालिका के बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(न्यायपालिका का बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

राज्य बजट में न्यायपालिका के बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(न्यायपालिका के लिए बजट 2024–25 BE / राज्य बजट 2024–25 BE) * 100

न्यायपालिका के बजट में प्रशिक्षण की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(न्यायपालिका का प्रशिक्षण बजट 2024–25 BE / न्यायपालिका के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

प्रशिक्षण बजट का उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(न्यायपालिका का प्रशिक्षण बजट AE 2022–23 / न्यायपालिका का प्रशिक्षण बजट RE 2022–23) * 100

न्यायपालिका के बजट का उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(न्यायपालिका का बजट AE 2022–23 / न्यायपालिका का बजट RE 2022–23) * 100

1. न्यायपालिका के बजट में परिवर्तन (%, 2022–23 RE से 2024–25 BE):
(न्यायपालिका के लिए बजट 2024–25 BE - 2022–23 RE) / 2022–23 RE) * 100

2. FTSC के बजट का उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(FTSC बजट AE 2022–23 / FTSC बजट RE 2022–23) * 100

घ. जेल

क़ैदियों पर प्रति व्यक्ति दैनिक ख़र्च (रु., 2024–25 BE):
जेल बजट 2024–25 BE / (क़ैदियों की प्रतिदिन औसत संख्या * 365)

न्याय के लिए बजट में जेल बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(जेल बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

जेल बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(जेल प्रशिक्षण बजट 2024–25 BE / जेल बजट 2024–25 BE) * 100

जेल के आवास बजट उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(जेल का आवास बजट AE 2022–23 / जेल आवास का बजट RE 2022–23) * 100

ङ. क़ानूनी सहायता

न्याय के लिए बजट में क़ानूनी सहायता की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(क़ानूनी सहायता बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

प्रति व्यक्ति क़ानूनी सहायता ख़र्च (रु., 2024–25 BE):
क़ानूनी सहायता बजट 2024–25 BE / राज्य की जनसंख्या

क़ानूनी सहायता बजट में पीड़ितों के मुआवज़े की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(पीड़ित मुआवज़ा बजट 2024–25 BE / क़ानूनी सहायता बजट 2024–25 BE) * 100

च. SHRC, फ़ॉरेंसिक्स और अभियोजन

न्याय के लिए बजट में SHRC बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(SHRC बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

न्याय के लिए बजट में फ़ॉरेंसिक बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(फ़ॉरेंसिक बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

न्याय के लिए बजट में अभियोजन बजट की हिस्सेदारी (%, 2024–25 BE):
(अभियोजन बजट 2024–25 BE / न्याय के लिए बजट 2024–25 BE) * 100

अभियोजन बजट उपयोग (%, 2022–23 AE / RE):
(अभियोजन बजट AE 2022–23 / अभियोजन बजट RE 2022–23) * 100

संदर्भ

न्याय के विभिन्न स्तंभों के लिए बजट, राज्यों के वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट दस्तावेज़ से लिए गए हैं।

1) 'कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम "नेशनल फ़ॉरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्हान्समेंट स्कीम" (N.F.I.E.S.) को मंज़ूरी दी', (19 जून, 2024), प्रेस सूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार.https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2026705#:~:text=The%20Union%20Cabinet%20chaired%20by,%2D25%20to%202028%2D29

2) 'फ़ॉरेंसिक लैब्स', (18 दिसंबर, 2024), प्रेस सूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085688

3) 'कर्नाटक हाई कोर्ट ने फ़ॉरेंसिक लैब्स को लेकर सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए, शीर्ष पदों को भरने का आदेश', *द न्यूज़ मिनट,* 21 अगस्त, 2021. https://www.thenewsminute.com/karnataka/k-taka-hcissues-direction-govt-over-forensic-labs-directs-top-posts-be-filled-154193

4) आर्बिट्रेशन & सुलह केंद्र – बेंगलुरु (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय). https://www.arbitrationcentreblr.org/objectives.html

5) कोर्ट परिसर, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड. https://njdg.ecourts.gov.in/njdg_v3/

6) क्राइम इन इंडिया, 2022, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत. https://www.ncrb.gov.in/crime-in-india-year-wise.html?year=2022&keyword=

7) पुलिस संगठनों के आंकड़े (DoPO), 2023, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D).

8) भारतीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की निर्देशिका (DIPTI), 2023, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D).

9) बजट व्यय 2024-25, बजट विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत (फरवरी 2024). https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25(I)/doc/eb/allsbe.pdf

10) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारागार में 'जेल आधुनिकीकरण परियोजना' के लिए दिशानिर्देश, महिला सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत (अप्रैल, 2022). https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2024-09/GuidelinesModernisationPrisons_13092024.pdf.

11) मॉडल जेल मैन्युअल का कार्यान्वयन, गृह मंत्रालय, भारत (अप्रैल, 2022). https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1907161

12) इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (2023). *इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग.* https://indiajusticereport.org/files/IJR%202022_Full_Report.pdf

13) इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (2025). *इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग.* https://indiajusticereport.org/files/IJR%204_Full%20Report_English%20(1).pdf

14) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 'महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर अपराध की रोकथाम' (8 जनवरी, 2019) स्रोत: https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1559115

15) FTSCs की संख्या और लंबित मामले, न्याय विभाग डैशबोर्ड. https://dashboard.doj.gov.in/fast-track-special-court/pendency_by_ftsc

16) ओंकार गोकले, 'बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई, ठाणे में 45,000 मामलों के लंबित होने पर चिंता व्यक्त की', द इंडियन एक्सप्रेस, 30 जनवरी, 2025. https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/bombay-high-court-raises-concerns-over-pendency-of-45000-cases-with-fsls-in-mumbai-thane-for-5-yrs-9806502/

17) संसदीय प्रश्न- लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 222, 02/02/2024 को उत्तर दिया गया, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

18) संसदीय प्रश्न- लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 917, 29/11/2024 को उत्तर दिया गया, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

19) संसदीय प्रश्न- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1242, 01/08/2024 को उत्तर दिया गया, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

20) संसदीय प्रश्न- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2043, 12/12/2024 को उत्तर दिया गया, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

21) संसदीय प्रश्न- राज्य सभा, तारांकित प्रश्न संख्या 185, 12/12/2024 को उत्तर दिया गया, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

22) जनसंख्या अनुमान 1 मार्च 2023 के अनुसार। भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011–2036. https://www.india.gov.in/population-projections-india-and-states-2011-2036?page=3

23) प्रेस सूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' (2 जुलाई, 2019) स्रोत: https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=191091#:~:text=modernisation%20of%20Police%20Forces&text=The%20Government%20of%20India%20has,Extremism%20%28LWE%29%20affected%20Districts

24) प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया, 2022, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत. https://www.ncrb.gov.in/prison-statistics-india-year-wise.html?year=2022&keyword=

25) PRS विधान अनुसंधान, 'अनुदान की मांग 2024-25 विश्लेषण: गृह मामले' (9 अगस्त, 2024). https://prsindia.org/budgets/parliament/demand-for-grants-2024-25-analysis-home-affairs

26) सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट्स, गृह मंत्रालय, भारत. https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/safe-city-projects

27) सुशांत कुलकर्णी, 'जेलों में कृषि में आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करेगा महाराष्ट्र', *द इंडियन एक्सप्रेस,* 31 जनवरी, 2023. https://indianexpress.com/article/cities/pune/maharashtra-modern-farm-equipment-prison-farming-8413602/

28) टाटा ट्रस्ट्स. (2019). *इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग.* https://indiajusticereport.org/files/IJR_2019_Full_Report154ef5.pdf

29) उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग https://uphrc.up.nic.in/pdf/Introduction.pdf

30) पीड़ित मुआवज़ा, राष्ट्रीय क़ानूनी सेवा प्राधिकरण. https://nalsa.gov.in/victim-compensation/

चित्रों की सूची

परिचय

चित्र 1.1: बड़े राज्यों की GDP और आबादी (2023-24) 12
चित्र 1.2: न्याय व्यवस्था: उप-प्रणालियां और उनके संबंधित विभाग 13
चित्र 1.3 राज्य बजट दस्तावेज़ों की संरचना 14
चित्र 1.4: गृह विभाग के तहत पुलिस प्रशिक्षण के लिए वर्णनात्मक बजट 14
चित्र 1.5: न्यायिक बजट में हिस्सा 15
चित्र 1.6: आर्थिक अन्याय? 15
चित्र 1.7: न्याय पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (BE 2024-25) 15
चित्र 1.8: 11 राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए, 2024-25) 16
चित्र 1.9: न्यायिक बजट, 2022-23 से 2024-25 तक (करोड़ रु. में) 16

पुलिस

चित्र 2.1: पुलिस का अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE) 18
चित्र 2.2: 11 राज्यों का पुलिस बजट (करोड़ रु. में) 19
चित्र 2.3: पुलिस पर राज्यवार प्रति व्यक्ति ख़र्च (2024-25, रु) 20
चित्र 2.4: पुलिस पर प्रति व्यक्ति ख़र्च 20
चित्र 2.5: पुलिस संख्या और प्रशिक्षण 21
चित्र 2.6: पुलिस प्रशिक्षण: संस्थान, कर्मी और बजट 21
चित्र 2.7: पुलिस बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%) 22
चित्र 2.8: पुलिस आधुनिकीकरण (करोड़ रुपए) 23
चित्र 2.9: पुलिस आवास: उपलब्धता और बजट 25
चित्र 2.10: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध और उनकी रोकथाम के लिए बजट 26
चित्र 2.11: सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के लिए बजट 27

न्यायपालिका

चित्र 3.1: न्यायपालिका- अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE) 30
चित्र 3.2: 11 राज्यों का न्यायपालिका का बजट (क़ानूनी सहायता सहित) (करोड़ रुपए) 31
चित्र 3.3: न्यायपालिका पर राज्यवार प्रति व्यक्ति ख़र्च (2024-25, रु.) 32
चित्र 3.4: न्यायपालिका पर प्रति व्यक्ति ख़र्च 32
चित्र 3.5: लंबित मामले और बजट 33
चित्र 3.6: जजों के रिक्त पद 33
चित्र 3.7: न्यायपालिका के बजट का उपयोग 34
चित्र 3.8: 2022-23 और 2024-25 के बीच राज्यों द्वारा किया गया कुल आवंटन 34
चित्र 3.9: उत्तर प्रदेश: लंबित केसों की ज़्यादा दर 35

न्यायपालिका

चित्र 3.10: अधीनस्थ न्यायालय: जजों की संख्या और प्रशिक्षण बजट 35
चित्र 3.11: न्यायपालिका बजट में प्रशिक्षण बजट की हिस्सेदारी (%) 36
चित्र 3.12: FTSC: लंबित मामले और बजट 37
चित्र 3.13: FTSC बजट का उपयोग 38
चित्र 3.14: महाराष्ट्र: फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के बजट में 28% की कमी 38
चित्र 3.15: अदालतों और ई-कोर्ट्स के लिए बजट 39
चित्र 3.16: महाधिवक्ता कार्यालय के लिए बजट 40

अभियोजन

चित्र 4.1: 1-3 वर्ष से लंबित आपराधिक केस (2024) 43
चित्र 4.2: 11 राज्यों का अभियोजन बजट (करोड़ रुपए) 44

जेल

चित्र 5.1: जेल- अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE) 46
चित्र 5.2: 11 राज्यों का जेल बजट (करोड़ रुपए) 47
चित्र 5.3: जेलों में अधिभोग 48
चित्र: 5.4: प्रति क़ैदी ख़र्च 48
चित्र: 5.5: केंद्रीय और ज़िला जेल: क़ैदियों की संख्या और बजट 49
चित्र 5.6: जेलों की अधिभोग दर में बदलाव (2009-2022) 50
चित्र 5.7: जेलों में बढ़ती भीड़ 50
चित्र 5.8: प्रशिक्षण का बजट 51
चित्र 5.9: न्याय के विभिन्न स्तंभों में प्रशिक्षण का हिस्सा (%) 51
चित्र 5.10: जेल: 11 राज्यों में मानव संसाधन और बजट (करोड़ रुपए) 52
चित्र 5.11: उच्च GDP वाले राज्यों में विचाराधीन क़ैदी (2022) 53
चित्र 5.12: जेलों का आधुनिकीकरण 53
चित्र 5.13: जेल कर्मचारियों के लिए आवास - बजट और उपयोग (2022-23) 54
चित्र 5.14: जेल कर्मचारी आवास और मकान किराया भत्ता (HRA) 55

क़ानूनी सहायता

चित्र 6.1: क़ानूनी सहायता बजट: अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE) 58
चित्र 6.2: क़ानूनी सहायता बजट (2024-25) 59
चित्र 6.3: क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए में, 2024-25 BE) 59
चित्र 6.4: क़ानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति ख़र्च (रुपए में, 2022-23 RE 60

क़ानूनी सहायता

चित्र 6.5: क़ानूनी सहायता में पीड़ितों के लिए मुआवज़ा 60
चित्र 6.6: पीड़ित को मुआवज़ा (करोड़ रुपए) 61
चित्र 6.7: मध्यस्थता: प्राप्त और निपटाए गए मामले (अप्रैल 2023-मार्च 2024) 62
चित्र 6.8: 11 राज्यों में ADR, मध्यस्थता और बजट 63

फ़ॉरेंसिक

चित्र 7.1: फ़ॉरेंसिक लैब्स में ख़ाली पद (%) 67
चित्र 7.2: फ़ॉरेंसिक: लैब्स/यूनिट्स, रिक्तियां और बजट (करोड़ रुपए में) 67

SHRC

चित्र 8.1: SHRC बजट: अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE) 72
चित्र 8.2: 11 राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRC) के लिए आवंटित बजट 73

‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट’ के बारे में

‘न्याय के लिए बजट’ में 1 करोड़ से अधिक आबादी और उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले शीर्ष 11 राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए बजटीय आवंटन और ख़र्चों का अध्ययन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेज़ों का उपयोग करते हुए, यह आवंटन और उपयोग के स्तर और न्याय व्यवस्था के मुख्य स्तंभों- पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क़ानूनी सहायता को मिले बजट का विश्लेषण करता है। हर स्तंभ में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े जानने और अधिक इस्तेमाल के लिए
https://indiajusticereport.org पर क्लिक करें।
ईमेल आईडी: indiajusticereport@gmail.com फोन नंबर: 9717676026 / 7837144403

पार्टनर्स

CHRI | COMMON CAUSE | DAKSH | Centre for Social Justice | TISS | PRAYAS | VIDHI Centre for Legal Policy | How INDIA Lives

डिज़ाइन

डोनर्स

Frappe | Rohini Nilekani philanthropies | TATA TRUSTS | Cyrus Guzder | J.T. Pathak Trust | LAL FAMILY FOUNDATION | Ravi Venkatesan | Tree of Life Foundation | Azim Premji Foundation | AI FOUNDATION